



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विनियोग लेखे

2024-2025



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2024-2025

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ
विषय सूची	i-iii
प्रस्तावना	iv-v
विनियोग लेखे का सार	vi-xvii
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xviii-xix
अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	
भारित विनियोग-लोक ऋण	1-3
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4-8
01. सामान्य प्रशासन	9-15
02. विमानन	16-18
03. गृह	19-30
04. पर्यावरण	31-32
05. जेल	33-35
06. वित्त	36-44
07. वाणिज्यिक कर	45-49
08. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	50-56
09. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	57-59
10. वन	60-70
11. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	71-72
12. ऊर्जा	73-79
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	80-94
14. पशुपालन एवं डेयरी	95-103
15. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	104-105
16. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	106-110
17. सहकारिता	111-116
18. श्रम	117-119
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	120-127
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	128-133
21. लोक सेवा प्रबंधन	134-136
22. नगरीय विकास एवं आवास	137-144

	पृष्ठ
23. जल संसाधन	145-155
24. लोक निर्माण कार्य	156-166
25. खनिज साधन	167-168
26. संस्कृति	169-173
27. स्कूल शिक्षा	174-179
28. राज्य विधान मंडल	180-183
29. विधि और विधायी कार्य	184-191
30. ग्रामीण विकास	192-204
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	205-208
32. जनसंपर्क	209-210
33. जनजातीय कार्य	211-222
34. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	223-224
35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	225-226
36. परिवहन	227-230
37. पर्यटन	231-232
38. आयुष	233-239
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	240-244
40. पंचायत	245-247
41. प्रवासी भारतीय	248
42. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	249-251
43. खेल और युवा कल्याण	252-257
44. उच्च शिक्षा	258-266
45. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	267-268
46. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	269-272
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	273-279
48. नर्मदा घाटी विकास	280-284
49. अनुसूचित जाति कल्याण	285-290
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	291-295
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	296-298
52. चिकित्सा शिक्षा	299-307
53. अल्प संख्यक कल्याण	308-310

	पृष्ठ
54. पिछड़ा वर्ग कल्याण	311-314
55. महिला एवं बाल विकास	315-318
56. कुटीर एवं ग्रामोद्योग	319-323
57. आनंद	324

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	आकस्मिकता निधि के अग्रिम से प्राप्त व्यय का अनुदानवार ब्यौरा, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई	326
परिशिष्ट-II	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	327-329

प्रस्तावना

वर्ष 2024-25 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में :-

- “मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
- “पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
- “पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को *तिरछे* अंकों में दर्शाया गया है।

टिप्पणी :

“अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम” – “और भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत पारित निरंक आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम” शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

1. जब आकस्मिकता निधि अधिनियम में संशोधन अधिनियम द्वारा, समेकित निधि से धनराशि के विनियोग द्वारा आकस्मिक निधि के कोष को बढ़ाया गया है और राशि को वर्ष के दौरान किसी भी विनियोग अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है।
2. जब वृद्धि एक अध्यादेश द्वारा होती है जो 31 मार्च तक अस्तित्व में थी और एक अधिनियम नहीं बनी है।
3. जब वृद्धि किसी ऐसे अध्यादेश द्वारा की गई हो जो समाप्त हो गया हो और जिसे वर्ष के अंत से पहले किसी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया हो।

मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक 14.09.2004 को अनुमोदित निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु मान्य किये गए हैं।

बचत के प्रकरणों में टिप्पणी दी जावे यदि:

1. किसी अनुदान में कुल प्रावधान पांच प्रतिशत या इससे अधिक बचत हो।
2. किसी उप शीर्ष में कुल प्रावधान का दस प्रतिशत या अधिक की कुल बचत उप शीर्ष में होने पर टिप्पणी दी जावे यदि बचत की राशि:-
 - क. बचत की राशि ₹ 40 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक हो।
 - ख. बचत की राशि ₹ 20 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य हो।
 - ग. बचत की राशि ₹ 10 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम हो।
3. अनुदान में भारित व्यय के अंतर्गत कुल बचत ₹ 10 लाख से कम नहीं हो।

आधिक्य व्यय के प्रकरणों में विनियोग लेखे पर टिप्पणी दी जावे यदि:-

1. उन सभी प्रकरणों में जहाँ किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो।
2. किसी उप शीर्ष के कुल प्रावधान में उप शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹ 10 लाख और दस प्रतिशत से अधिक हो।
3. ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ किसी उप शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है टिप्पणी दी जावे यदि:-
 - क. एक उप शीर्ष के अंतर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक है और आधिक्य ₹ 40 लाख से अधिक है।
 - ख. एक उप शीर्ष के अंतर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य है और आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक है।
 - ग. एक उप शीर्ष के अंतर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम है और आधिक्य ₹ 10 लाख से अधिक है।

विनियोग लेखे का सार

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
	भारित विनियोग- लोक ऋण पूंजीगत-				
	प्रभारित	2,96,96,85,31	2,64,28,21,10	32,68,64,21	
	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व-				
	प्रभारित	2,73,99,85,62	2,58,87,86,18	15,11,99,44	
01	सामान्य प्रशासन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	9,80,03,52	6,68,71,78	3,11,31,74	
	प्रभारित	1,06,95,90	81,00,29	25,95,61	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	55,39,77	9,09,51	46,30,26	
	प्रभारित	2,25,49	1,25,10	1,00,39	
02	विमानन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,07,43,61	86,92,95	20,50,66	
	प्रभारित	1	0	1	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,76,12,10	44,63,84	1,31,48,26	
	प्रभारित	1,00,00,00	62,00,00	38,00,00	
03	गृह				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,04,73,22,87	88,85,54,99	15,87,67,88	
	प्रभारित	3,55,50	2,02,71	1,52,79	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	8,26,78,94	7,39,09,45	87,69,49	
04	पर्यावरण				
	राजस्व-				
	दत्तमत	38,71,20	2,01,91	36,69,29	
05	जेल				
	राजस्व-				
	दत्तमत	6,16,47,35	5,47,82,58	68,64,77	
	प्रभारित	7,00	0	7,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,25,58,80	38,82,46	86,76,34	
06	वित्त				
	राजस्व-				
	दत्तमत	2,63,26,43,41	2,65,26,18,50	0	1,99,75,09 (1,99,75,08,525)
	प्रभारित	1,44,65,87	17,56,54	1,27,09,33	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	5,52,87,08	2,66,43,82	2,86,43,26	
	प्रभारित	2,00,00	0	2,00,00	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
07	वाणिज्यिक कर राजस्व-				
	दत्तमत	25,83,63,87	24,23,67,44	1,59,96,43	
	प्रभारित	13,00	0	13,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	62,56,10	23,47,47	39,08,63	
08	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय राजस्व-				
	दत्तमत	98,38,47,76	62,08,99,90	36,29,47,86	
	प्रभारित	3,87,11	1,61,52	2,25,59	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	4,55,85,66	3,38,45,96	1,17,39,70	
09	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राजस्व-				
	दत्तमत	64,00,58	1,12,11	62,88,47	
	प्रभारित	50	0	50	
10	वन राजस्व-				
	दत्तमत	26,55,81,57	21,19,59,93	5,36,21,64	
	प्रभारित	2,35,01	1,93,09	41,92	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	21,64,05,92	19,54,18,77	2,09,87,15	
11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राजस्व-				
	दत्तमत	27,88,04,94	27,83,65,12	4,39,82	
	प्रभारित	5,00	0	5,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	10,08,11,10	10,08,00,00	11,10	
12	ऊर्जा राजस्व-				
	दत्तमत	2,37,07,99,27	1,96,62,43,60	40,45,55,67	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	85,57,47,29	67,69,56,43	17,87,90,86	
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजस्व-				
	दत्तमत	1,96,89,11,12	1,72,31,08,31	24,58,02,81	
	प्रभारित	45,00	12,87	32,13	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	28,20,90	2,50,76	25,70,14	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
14 पशुपालन एवं डेयरी राजस्व-				
दत्तमत	20,87,75,58	13,26,39,89	7,61,35,69	
प्रभारित	13,88	12,56	1,32	
पूँजीगत-				
दत्तमत	62,02,73	16,35,25	45,67,48	
15 घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	39,76,01	26,78,84	12,97,17	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	9,32,03	7,32,69	1,99,34	
16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	3,29,05,89	1,97,59,78	1,31,46,11	
प्रभारित	15,90	15,90	0	
पूँजीगत-				
दत्तमत	25,15,08	18,68,13	6,46,95	
17 सहकारिता				
राजस्व-				
दत्तमत	10,48,34,20	8,67,40,20	1,80,94,00	
प्रभारित	12,00	0	12,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	10,05,29,08	3,00,72,94	7,04,56,14	
18 श्रम				
राजस्व-				
दत्तमत	18,00,00,74	16,66,63,13	1,33,37,61	
प्रभारित	17,00	0	17,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,79,18	18,83	1,60,35	
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	1,45,25,44,25	1,10,85,49,08	34,39,95,17	
प्रभारित	20,50	0	20,50	
पूँजीगत-				
दत्तमत	12,73,07,27	7,27,69,06	5,45,38,21	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व-				
	दत्तमत	11,85,33,90	9,81,32,48	2,04,01,42	
	प्रभारित	2,25,00	2,23,25	1,75	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,55,35,29,54	1,48,39,74,28	6,95,55,26	
21	लोक सेवा प्रबंधन राजस्व-				
	दत्तमत	1,20,67,00	69,81,38	50,85,62	
	प्रभारित	20	0	20	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,00,00	0	1,00,00	
22	नगरीय विकास एवं आवास राजस्व-				
	दत्तमत	1,03,48,88,03	88,37,12,09	15,11,75,94	
	प्रभारित	14,73,40,10	12,97,54,14	1,75,85,96	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	55,46,40,04	36,91,81,61	18,54,58,43	
	प्रभारित	2,40,00,02	2,07,18,00	32,82,02	
23	जल संसाधन राजस्व-				
	दत्तमत	15,37,47,34	12,95,28,32	2,42,19,02	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	82,93,73,48	82,40,72,15	53,01,33	
	प्रभारित	10,10,00	8,62,32	1,47,68	
24	लोक निर्माण कार्य राजस्व-				
	दत्तमत	28,50,35,28	20,55,24,28	7,95,11,00	
	प्रभारित	10,00,11	68,17	9,31,94	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	98,53,47,31	92,36,44,97	6,17,02,34	
	प्रभारित	5,45,00,06	5,20,00,00	25,00,06	
25	खनिज साधन राजस्व-				
	दत्तमत	3,09,24,81	2,65,57,73	43,67,08	
	प्रभारित	9,30,05,00	9,29,44,54	60,46	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	11,07,35,02	11,06,90,65	44,37	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
26	संस्कृति राजस्व-				
	दत्तमत	4,81,47,27	4,06,08,22	75,39,05	
	प्रभारित	5,50	0	5,50	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	5,99,25,71	71,01,97	5,28,23,74	
27	स्कूल शिक्षा राजस्व-				
	दत्तमत	3,01,17,29,37	2,87,56,39,66	13,60,89,71	
	प्रभारित	41,34	8,60	32,74	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	34,14,98,35	33,38,27,19	76,71,16	
28	राज्य विधान मंडल राजस्व-				
	दत्तमत	1,42,18,64	90,69,62	51,49,02	
	प्रभारित	72,74	33,04	39,70	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	43,16	19,09	24,07	
29	विधि और विधायी कार्य राजस्व-				
	दत्तमत	34,42,20,10	25,98,47,54	8,43,72,56	
	प्रभारित	3,10,77,05	2,34,65,17	76,11,88	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	4,93,59,90	2,54,56,20	2,39,03,70	
	प्रभारित	5,44,03	2,94,00	2,50,03	
30	ग्रामीण विकास राजस्व-				
	दत्तमत	1,63,78,93,61	1,50,00,80,61	13,78,13,00	
	प्रभारित	6,81	0	6,81	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	43,33,51,04	33,47,39,79	9,86,11,25	
31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी राजस्व-				
	दत्तमत	3,71,40,36	3,36,58,48	34,81,88	
	प्रभारित	2,00	0	2,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	6,17,49,10	5,65,66,08	51,83,02	
32	जनसंपर्क राजस्व-				
	दत्तमत	7,31,36,67	7,15,43,52	15,93,15	
	प्रभारित	1,00	0	1,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	4,70,03	2,96,50	1,73,53	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
33	जनजातीय कार्य राजस्व-				
	दत्तमत	1,10,85,04,70	92,29,88,95	18,55,15,75	
	प्रभारित	9,00	2,00	7,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	18,92,52,56	14,87,41,05	4,05,11,51	
34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	45,83,80,34	44,05,44,88	1,78,35,46	
	प्रभारित	1,20	0	1,20	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	20,06,68	0	20,06,68	
35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राजस्व-				
	दत्तमत	24,94,81,64	24,60,43,07	34,38,57	
	प्रभारित	20,00,01	0	20,00,01	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,29,22,25	2,10,71,35	18,50,90	
36	परिवहन राजस्व-				
	दत्तमत	1,47,62,17	82,76,03	64,86,14	
	प्रभारित	25,00	0	25,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	42,72,03	40,23,59	2,48,44	
37	पर्यटन राजस्व-				
	दत्तमत	1,30,11,16	1,20,95,67	9,15,49	
	प्रभारित	1	0	1	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,83,75,83	2,83,53,80	22,03	
38	आयुष राजस्व-				
	दत्तमत	8,75,74,00	7,09,08,63	1,66,65,37	
	प्रभारित	8,00	0	8,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	24,16,04	18,76,84	5,39,20	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राजस्व-				
	दत्तमत	15,06,95,89	11,61,38,25	3,45,57,64	
	प्रभारित	1,85	0	1,85	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	20,18,70,16	20,12,32,07	6,38,09	
40	पंचायत राजस्व-				
	दत्तमत	92,08,14,96	69,40,50,03	22,67,64,93	
	प्रभारित	50	0	50	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	3	0	3	
41	प्रवासी भारतीय राजस्व-				
	दत्तमत	19,50,34	14,29,48	5,20,86	
42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास राजस्व-				
	दत्तमत	1,53,89,64	1,11,20,39	42,69,25	
	प्रभारित	5,01	0	5,01	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	4,80,60	2,20,36	2,60,24	
43	खेल और युवा कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	2,32,00,43	1,69,36,04	62,64,39	
	प्रभारित	53	0	53	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	4,44,20,63	3,31,85,34	1,12,35,29	
44	उच्च शिक्षा राजस्व-				
	दत्तमत	32,81,79,19	24,81,68,93	8,00,10,26	
	प्रभारित	35,00	25	34,75	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	7,29,35,54	4,85,74,58	2,43,60,96	
	प्रभारित	14,37	14,37	0	
45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन राजस्व-				
	दत्तमत	5,56,82	54,47	5,02,35	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	26,03,22	19,97,75	6,05,47	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजस्व-				
दत्तमत	2,58,28,51	2,10,07,92	48,20,59	
प्रभारित	5,00	0	5,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,14,00,13	1,45,59,98	68,40,15	
47 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राजस्व-				
दत्तमत	21,50,64,04	17,41,53,76	4,09,10,28	
प्रभारित	10,00	4,14	5,86	
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,16,91,51	3,83,12,17	4,33,79,34	
48 नर्मदा घाटी विकास राजस्व-				
दत्तमत	4,97,87,29	4,88,15,16	9,72,13	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,08,55,25,97	1,07,36,04,93	1,19,21,04	
प्रभारित	1,50,01	18,76	1,31,25	
49 अनुसूचित जाति कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	22,57,90,64	13,56,41,35	9,01,49,29	
प्रभारित	10,00	0	10,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,08,85,26	96,98,64	1,11,86,62	
50 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण राजस्व-				
दत्तमत	5,54,79,51	3,54,14,77	2,00,64,74	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,17,97	4,61,62	3,56,35	
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व राजस्व-				
दत्तमत	1,15,23,59	66,27,35	48,96,24	
प्रभारित	1,50	0	1,50	
पूँजीगत-				
दत्तमत	18,03	6,11	11,92	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
52 चिकित्सा शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	32,92,10,76	25,08,04,89	7,84,05,87	
प्रभारित	10,01	0	10,01	
पूँजीगत-				
दत्तमत	16,38,61,28	13,30,84,46	3,07,76,82	
53 अल्प संख्यक कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	16,47,88	10,69,55	5,78,33	
प्रभारित	10	0	10	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,40,03,41	18	1,40,03,23	
54 पिछड़ा वर्ग कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	20,66,69,22	14,03,46,58	6,63,22,64	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,19,61	3,83	1,15,78	
55 महिला एवं बाल विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	2,68,03,60,23	2,56,34,39,25	11,69,20,98	
प्रभारित	35,00	17,46	17,54	
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,06,39,27	1,64,75,38	1,41,63,89	
56 कुटीर एवं ग्रामोद्योग				
राजस्व-				
दत्तमत	1,51,88,06	89,34,36	62,53,70	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	70,75	26,42	44,33	
57 आनंद				
राजस्व-				
दत्तमत	15,00,02	4,32,00	10,68,02	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (₹ हजार में)	आधिक्य
योग	40,67,34,34,31	35,58,85,58,10	5,10,48,51,30	1,99,75,09
राजस्व—				
दत्तमत	25,96,22,11,16	22,54,81,35,76	3,43,40,50,49	1,99,75,09
प्रभारित	3,04,12,13,37	2,84,57,62,41	19,54,50,96	
पूँजीगत—				
दत्तमत	8,60,96,80,49	7,47,16,06,28	1,13,80,74,21	
प्रभारित	3,06,03,29,29	2,72,30,53,65	33,72,75,64	
आकस्मिकता निधि द्वारा विनियोग	0	0	0	
गलत वर्गीकरण/ पुनर्वर्गीकरण के कारण, आधिक्य जिसे नियमितीकरण की आवश्यकता न हो	0	0	0	
महायोग				
राजस्व—	29,00,34,24,53	25,39,38,98,17	3,62,95,01,45	1,99,75,09
पूँजीगत—	11,67,00,09,78	10,19,46,59,93	1,47,53,49,85	

निम्नलिखित अनुदानों पर आधिक्यों को नियमितीकरण की आवश्यकता है:—

अनुदान संख्या और नाम

राजस्व — 06— वित्त

पूँजीगत — निरंक

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग पर आधिक्यों को नियमितीकरण की आवश्यकता है:—

राजस्व — निरंक

पूँजीगत — निरंक

विनियोग लेखे का सार-जारी

विनियोग लेखे के सारांश में दर्शाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि से व्यय की गई कोई राशि शामिल नहीं है, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि को पूर्ति नहीं की गई।

चूँकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है:-

	राजस्व		पूँजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार-कुल व्यय	22,54,81,35,76	2,84,57,62,41	7,47,16,06,28	2,72,30,53,65
घटाइये-वसूलियों का जोड़	37,16,16,52	12,97,54,14	47,26,23,04	2,07,18,00
वित्त लेखे की विवरण संख्या-11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	22,17,65,19,24	2,71,60,08,27	6,99,89,83,24	2,70,23,35,65

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:-

[क] दत्तमत अनुदान

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57 |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 |

[ख] प्रभारित विनियोग

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 |
| (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या | 01, 02, 06, 22, 23, 29, 48, CH1 |

विनियोग खातों के सारांश में दर्शाए गए व्यय में 3.41 लाख रुपये की आहरित राशि शामिल है, जो 31 मार्च 2025 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई।

सभी नियंत्रक अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाबद्ध किए गए आँकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का पुनर्मिलान करना आवश्यक है। समस्त कोषालयों को सम्बोधित, आयुक्त (कोष एवं लेखा) के पत्र क्रमांक/861/2022/डीटीए/ भोपाल दिनांक 08-06-2022 द्वारा बजट नियंत्रक अधिकारियों के बजाय संचालनालय, कोष एवं लेखा, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश के साथ आँकड़ों का पुनर्मिलान कर रहा है।

वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 99.07 प्रतिशत, राजस्व व्यय का 99.49 प्रतिशत, पूंजीगत व्यय का 94.17 प्रतिशत तथा ऋण एवं अग्रिमों का 100.00 प्रतिशत मिलान किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही मध्यप्रदेश सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे मध्यप्रदेश सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए मध्यप्रदेश के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत मध्यप्रदेश के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और मध्यप्रदेश सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एक अनुदान के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि से ₹199.75 करोड़ की अधिक राशि का व्यय किया गया। वर्ष 2011-12 से 2020-21 की अवधि से संबंधित ₹1,173.64 करोड़ के अधिक संवितरण का राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण किया जाना अभी तक शेष है।

[अनुदान संख्या 06 को संदर्भित]

मामले का महत्व खंड के कारण विनियोग लेखे पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए हैं।



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 24 नवम्बर 2025

स्थान: नई दिल्ली

भारित विनियोग-लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष-6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

पूँजीगत :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,96,96,85,31			
पूरक	सांकेतिक	2,96,96,85,31	2,64,28,21,10	(-) 32,68,64,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,96,48

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत

- (1) ₹ 3,26,864.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 196.48 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-101.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 2,035.60	7,964.40	0.00	(-) 7,964.40	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,035.60 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-101.1083- 9.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-101.1295- 9.29 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-101.1296- 9.30 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

भारित विनियोग-लोक ऋण जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-101.1297-9.29 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-101.7416-9.53 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-101.7421-9.68 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-101.9822-6.99 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-101.9823-6.49 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-101.9828-6.20 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-101.9928-5.52 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-103.8140-भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	मूल	500.00	500.00	22.01	(-) 477.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-109.1216-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्ज	मूल	5,349.00	5,349.00	0.00	(-) 5,349.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारित विनियोग-लोक ऋण समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-110.0637- उपाय तथा साधन अग्रिम	मूल	2,00,000.00	2,00,000.00	0.00	(-) 2,00,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-110.0779- कमियों की पूर्ती के लिए अग्रिम	मूल	2,00,000.00	2,00,000.00	0.00	(-) 2,00,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत विनियोग पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-101.0002- 11.00 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2001	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 6.50	6.50	6.50	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.50 लाख का निधि का आवर्धन ऋण के पुनर्भुगतान की मांग के परिलक्षित होने के कारण हुआ।
6003-101.6240- 13.50 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2003	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 3.10	3.10	3.09	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.10 लाख का निधि का आवर्धन ऋण के पुनर्भुगतान की मांग के परिलक्षित होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6003-111.6835- केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	मूल	4,80,000.00	4,80,000.00	5,55,496.14	+ 75,496.14	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष— 2049—ब्याज अदायगियां)

राजस्व :

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,73,99,85,61			
पूरक	सांकेतिक	2,73,99,85,62	2,58,87,86,18	(-) 15,11,99,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				29,92

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(1) ₹ 1,51,199.44 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 29.92 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01.101.1083-9.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.101.1295-9.29 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.101.1296-9.30 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.101.1297-9.29 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01.101.6763- नया बाजार ऋण	मूल पुनर्वि.	1,20,000.00 (-) 1,03,913.30	16,086.70	0.00	(-) 16,086.70	₹ 1,03,913.30 लाख की प्रत्याशित बचत नए बाजार ऋणों से सम्बंधित बॉन्ड हेतु पृथक अनुपूरक में एक नई योजना खोलकर किए गए सांकेतिक प्रावधानों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.101.9822- 6.99 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.101.9828- 6.20 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2023	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.101.9928- 5.52 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.115.7111- आर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-) 5,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.200.1601.1379- राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त ऋणों पर ब्याज भुगतान	मूल	2,700.00	2,700.00	6.03	(-) 2,693.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.200.2001.1395- सिडबी से प्राप्त ऋणों पर ब्याज भुगतान	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.200.1217- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित से लिए गए ऋणों पर ब्याज	मूल	2,200.00	2,200.00	0.00	(-) 2,200.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01.200.3087- भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज	मूल	20.00	20.00	1.43	(-) 18.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.200.3089- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेंस की कमी की पूर्ती हेतु लिए गये अग्रिमों पर ब्याज	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-) 5,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.200.4486- सामान्य बीमा निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज	मूल	10.00	10.00	2.35	(-) 7.65	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.200.6343- विशेष जमा खाते पर ब्याज	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.200.6848- निगम/मंडल के पी. डी. खातों पर ब्याज	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-01.200.6973- स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.200.7824- प्रतिकारात्मक वन रोपड़ निधि पर ब्याज भुगतान	मूल	55,000.00	55,000.00	25,598.00	(-) 29,402.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.305.2205- नये ऋणों के प्रचालन सम्बन्धी व्यय	मूल	2,000.00	2,000.00	972.56	(-) 1027.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01.305.2624- पुराने ऋणों का प्रबंध	मूल	10,000.00	10,000.00	5,515.81	(-) 4,484.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-04.109.5691- 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य योजना कर्जों पर ब्याज	मूल	2,988.00	2,988.00	163.59	(-) 2,824.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-60.701.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल	30,000.00	30,000.00	0.00	(-) 30,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.3588- मृत्युसह सेवा निवृत्ति उपादान की राशि के भुगतान में विलम्ब होने पर ब्याज	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-60.701.6971- शासकीय कर्मचारी सह समूह बीमा योजना-2003 (ब्याज)	मूल	7,000.00	7,000.00	0.00	(-) 7,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-60.701.6972- शासकीय कर्मचारी सह समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	मूल	7,700.00	7,700.00	0.00	(-) 7,700.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत विनियोग पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01.101.1012- 7.26 प्रतिशत मध्यप्रदेश गवर्नमेंट स्टॉक, 2035	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,075.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान की मांग परिलक्षित होने के कारण हुआ।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01.101.1013-7.28 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2045	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,100.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान की मांग परिलक्षित होने के कारण हुआ।
2049-01.101.1014-7.22 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2045	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,025.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान की मांग परिलक्षित होने के कारण हुआ।
2049-01.101.1016-7.26 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2038	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,075.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान की मांग परिलक्षित होने के कारण हुआ।
2049-01.101.1017-7.14 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2043	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,925.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान की मांग परिलक्षित होने के कारण हुआ।
2049-01.101.1018-7.12 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य गवर्नमेंट स्टॉक, 2036	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,900.00 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान की मांग परिलक्षित होने के कारण हुआ।
2049-01.101.9823-6.49 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2024	मूल	1.00	1.00	2,433.75	+ 2,432.75	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-03.104.4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	10,000.00	10,000.00	17,567.09	+ 7,567.09	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2049-03.111.9594-एस.डी.आर.एफ. / एस.डी.एम.एफ. फण्ड (ब्याज भुगतान)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 49,813.31	49,813.31	49,813.31	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,813.31 लाख का निधि में आवर्धन ब्याज भुगतान की मांग परिलक्षित होने के कारण हुआ।
2049-04.101.3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	मूल	2,20,000.00	2,20,000.00	2,25,971.36	+ 5,971.36	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष—2012—राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013—मंत्री परिषद्, 2015—निर्वाचन, 2051—लोक सेवा आयोग, 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं, 2053—जिला प्रशासन, 2055—पुलिस, 2059—लोक निर्माण कार्य, 2062—सतर्कता, 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216—आवास, 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250—अन्य सामाजिक सेवाएं, 2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं, 3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं, 4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,76,20,52	9,80,03,52	6,68,71,78	(-) 3,11,31,74
पूरक	3,83,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 तथा 31 मार्च 2025)				2,78,95,58

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,06,95,90	1,06,95,90	81,00,29	(-) 25,95,61
पूरक				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 तथा 31 मार्च 2025)				15,44,02

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	54,82,34	55,39,77	9,09,51	(-) 46,30,26
पूरक	57,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (24 दिसंबर 2024, 28 तथा 31 मार्च 2025)				24,59,77

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,25,49			
पूरक	0	2,25,49	1,25,10	(-) 1,00,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,00,39

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 383.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 31,131.74 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 एवं 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 27,895.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	4,676.00 (-) 1,314.84	3,361.16	2,509.96	(-) 851.20	समर्पण के रूप में ₹ 1,314.84 लाख की प्रत्याशित बचत मांग पत्र, देयकों, व्यय सीमा पर छूट प्राप्त न होने तथा फर्म से देयकों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-090.4327- सचिवालय	मूल पूरक पुनर्वि.	17,201.55 75.00 (-) 5,799.94	11,476.61	11,482.79	+ 6.18	₹ 5,799.94 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 48.65 लाख की वृद्धि एवं ₹ 5,848.59 लाख की कमी (समर्पण ₹ 5,793.69 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 54.90 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि आंशिक रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मकान किराया भत्ते के भुगतान, लेखन सामग्री की खरीद, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल एवं महालेखाकार कार्यालय के विनियोग लेखे के लंबित देयकों, तीन कार्यालय वाहनों के रखरखाव तथा स्थापना कर्मचारियों को फरवरी माह के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी अंशतः पद-रिक्तियों, देयकों की अप्राप्ति तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-091.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 150.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा इस शीर्ष पर लगाये गए प्रतिबंधों के कारण भुगतान नहीं होने के कारण हुई।
2052-092.0101.1484- कर्मचारी चयन मंडल को फीस की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	3,050.00 (-) 3,050.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा बजट जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।
2052-092.0102.1484- कर्मचारी चयन मंडल को फीस की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	1,150.00 (-) 1,150.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा बजट जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।
2052-092.0103.1484- कर्मचारी चयन मंडल को फीस की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 800.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा बजट जारी नहीं किये जाने के कारण भुगतान नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2062-103.3844- लोक आयुक्त	मूल	6,100.70	6,100.70	4,531.92	(-) 1,568.78	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान के अंतर्गत ₹ 66.00 लाख की समान राशि की वृद्धि तथा कमी हुई। पुनर्विनियोजन के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-003.0102.1510- मिशन कर्मयोगी	मूल	82.50	82.50	3.04	(-) 79.46	बचत निर्धारित समयावधि में कार्य-योजना के क्रियान्वयन न हो पाने के कारण हुई।
2070-003.0103.1510- मिशन कर्मयोगी	मूल	82.50	82.50	1.60	(-) 80.90	बचत निर्धारित समयावधि में कार्य-योजना के क्रियान्वयन न हो पाने के कारण हुई।
2070-105.4079- विशेष जांच आयोग	मूल पुनर्वि.	104.40 (-) 95.55	8.85	9.35	+ 0.50	समर्पण के रूप में ₹ 95.55 लाख की प्रत्याशित बचत पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2235-60.200.5710- लोक तंत्र सेनानी सम्मान निधि	मूल पुनर्वि.	8,200.00 (-) 3,352.52	4,847.48	4,882.62	+ 35.14	समर्पण के रूप में ₹ 3,352.52 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम अधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2250-800.5669- मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 400.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3451-090.4327- सचिवालय	मूल पुनर्वि.	4,376.24 (-) 1,705.28	2,670.96	2,670.84	(-) 0.12	₹ 1,705.28 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 1,708.28 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान के कारण जबकि कमी पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

प्रभारित

- (4) ₹ 2,595.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 एवं 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,544.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03.090.4330- राज्यपाल सचिवालय (भारत)	मूल पुनर्वि.	1,009.12 (-) 321.60	687.52	687.37	(-) 0.15	₹ 321.60 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.55 लाख की वृद्धि तथा ₹ 326.15 लाख की कमी (समर्पण ₹ 286.20 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 39.95 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि न्यायिक सेवा अधिकारियों के वेतन/एरियर के भुगतान के कारण जबकि कमी अंशतः संभावित बचत एवं सेवानिवृत्तियों के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। (जुलाई 2025)
2015-101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मांग-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान बचत हुई थी।
2051-102.3689- राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पुनर्वि.	8,618.17 (-) 999.89	7,618.28	6,569.83	(-) 1,048.45	₹ 999.89 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.54 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,004.43 लाख की कमी (समर्पण ₹ 999.89 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4.54 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अधिकारियों को शेष एवं नियमित मकान किराया भत्ता के भुगतान के कारण जबकि कमी संभावित बचत एवं व्यय में मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

- (6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत विनियोग पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03.090.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	145.00 29.42	174.42	174.42	0.00	₹ 29.42 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.40 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 5.98 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 57.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 4,630.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 24 दिसंबर 2024, 28 तथा 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 2,459.77 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.7212- राजभवन में ऑडिटोरियम का निर्माण	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 400.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यय एवं समर्पण के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान नहीं किये जाने के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4059-01.051.6925- नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,250.00 (-) 336.00	1,914.00	0.00	(-) 1,914.00	समर्पण के रूप में ₹ 336.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य मार्च माह में शुरू होने तथा निर्माण ऐजेंसी द्वारा राशि की मांग नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4070-800.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	225.48 (-) 225.48	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
4216-01.106.5312-राजभवन परिसर अंतर्गत शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

(10) ₹ 100.39 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(11) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4070-800.3689-राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पुनर्वि.	175.39 (-) 99.29	76.10	76.10	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 99.29 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता एवं आवश्यकतानुसार व्यय के कारण हुई।

(12) ₹ 7,26,01,641 की समर्पण स्वीकृति क्र. 2645/ए.के./लेखा/बजट-समर्पण/2024-25 भोपाल, दिनांक 23.04.2025 को 31.03.2025 पश्चात दिनांक 23.04.2025 को जारी किये जाने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 02—विमानन

(मुख्य शीर्ष— 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं, 3053—नागर विमानन, 5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,07,43,61			
पूरक	0	1,07,43,61	86,92,95	(-) 20,50,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में दर्शित व्यय (₹ 86,92,95,245) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के आकस्मिकता निधि से व्यय की गई राशि ₹ 15,00,00,000 भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्रतिपूर्ति हेतु लंबित राशि (₹ 15,00,00,000) की वित्तीय वर्ष 2024—25 में प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,76,12,10			
पूरक	0	1,76,12,10	44,63,84	(-) 1,31,48,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 02—विमानन जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,00,00,00			
पूरक	0	1,00,00,00	62,00,00	(-) 38,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 2,050.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.4043- विमानन संचालनालय	मूल	9,816.60	9,816.60	8,583.55	(-) 1,233.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023—24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3053-80.003.0101.0689- क्षेत्रीय संयोजन (रीजनल कनेक्टिविटी)	मूल	900.00	900.00	105.30	(-) 794.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 13,148.26 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5053-02.102.0101.4727- हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	मूल	5,000.00	5,000.00	399.28	(-) 4,600.72	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—विमानन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5053-80.800.0101.0690- अधोसंरचना एवं विमानपत्तन का विकास	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
5053-80.800.0101.6592- नये जेट विमान का क्रय	मूल	7,500.00	7,500.00	2,364.56	(-) 5,135.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (5) ₹ 3,800.00 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5053-02.102.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	10,000.00	10,000.00	6,200.00	(-) 3,800.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (7) समर्पण स्वीकृति क्र. 116/1790418/2024/45 भोपाल, दिनांक 31.03.2025 राशि ₹ 1,89,98,82,677/- को निर्धारित तिथि 07.05.2025 उपरांत दिनांक 02.07.2025 को प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 03—गृह

(मुख्य शीर्ष—2013—मंत्रिपरिषद, 2055—पुलिस, 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075—विविध सामान्य सेवाएं, 2216—आवास, 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3454 —जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, 4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4216— आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 6216—आवास हेतु ऋण)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,04,62,42,86	1,04,73,22,87	88,85,54,99	(-) 15,87,67,88
पूरक	10,80,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				15,86,22,27

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	3,55,50	3,55,50	2,02,71	(-) 1,52,79
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,52,79

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	8,26,03,94	8,26,78,94	7,39,09,45	(-) 87,69,49
पूरक	75,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				87,06,06

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 1,080.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,58,767.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,58,622.27 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-001.3680- पुलिस मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	11,019.64 (-) 2,657.31	8,362.33	8,363.75	+1.42	₹ 2,657.31 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 90.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,747.31 लाख की कमी (₹ 2,657.31 लाख समर्पण + ₹ 90.00 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वित्तीय वर्ष के प्रावधानित बजट में कमी जबकि कमी अंशतः वेतन/भत्ते मद के अंतर्गत निधि के अप्रयुक्त होने पर हुई बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2055-003.0195- पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	मूल पुनर्वि.	24,611.01 (-) 6,033.85	18,577.16	18,575.68	(-) 1.48	₹ 6,033.85 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 200.40 लाख की वृद्धि तथा ₹ 6,234.25 लाख की कमी (₹ 6,033.85 लाख समर्पण + ₹ 200.40 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वित्तीय वर्ष के प्रावधानित बजट में कमी रहने जबकि कमी अंशतः वेतन/भत्ते मद के अंतर्गत निधि के अप्रयुक्त होने पर हुई बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-101.0270- अपराध अनुसंधान विभाग	मूल पुनर्वि.	33,077.87 (-) 5,033.33	28,044.54	28,039.43	(-) 5.11	₹ 5,033.33 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 500.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 5,533.33 लाख की कमी (समर्पण ₹ 5,033.33 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 500.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः प्रावधानित बजट की कमी तथा मध्यस्थ को फीस के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी अंशतः वेतन/भत्ते मद के अंतर्गत निधि के अप्रयुक्त होने पर हुई बचत तथा संभावित बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-101.0279- अभियोजन संचालनालय	मूल पूरक पुनर्वि.	14,353.96 सांकेतिक (-) 1,838.64	12,515.33	12,278.29	(-) 237.04	₹ 1,838.64 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 3.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,841.64 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,838.64 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2055-104.4492- सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	मूल पुनर्वि.	1,85,123.65 (-) 23,110.60	1,62,013.05	1,62,010.01	(-) 3.04	₹ 23,110.60 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2,707.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 25,817.60 लाख की कमी (₹ 22,897.99 लाख समर्पण + ₹ 2,919.61 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः प्रावधानित बजट की कमी तथा लेखानुदान बजट अंतर्गत शासन द्वारा 20 प्रतिशत रोके जाने से उपलब्ध मद में बजट शेष नहीं होने के कारण कर्मचारियों को वेतन/भत्ते का भुगतान नहीं होने के कारण हुई जबकि कमी अंशतः वेतन/भत्ते मद के अंतर्गत निधि के अप्रयुक्त होने पर हुई बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-108.0101.7185- राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	9,984.18 (-) 1,080.80	8,903.38	8,903.31	(-) 0.07	₹ 1,080.80 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 140.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,220.80 लाख की कमी (₹ 1,080 लाख समर्पण + ₹ 140.00 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः प्रावधानित बजट की कमी के कारण निधि की आवश्यकता होने तथा लेखानुदान बजट अंतर्गत शासन द्वारा 20 प्रतिशत रोके जाने से उपलब्ध मद में बजट शेष नहीं होने के कारण कर्मचारियों को वेतन/भत्ते का भुगतान नहीं होने के कारण हुई जबकि कमी अंशतः वेतन/भत्ते मद के अंतर्गत निधि के अप्रयुक्त रहने तथा संभावित बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2055-109.4491- सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल पुनर्वि.	6,09,893.17 (-) 92,120.75	5,17,772.42	5,19,257.90	+ 1,485.48	₹ 92,120.75 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 8,958.61 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,01,079.36 लाख की कमी (₹ 92,590.31 लाख समर्पण + ₹ 8,489.05 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः प्रावधानित बजट की कमी के कारण निधि की आवश्यकता होने, गत दो-तीन वर्षों में कोरोना वायरस संक्रमण एवं गंभीर बीमारियों के कारण लंबित देयकों, लंबित विद्युत बिलों एवं इकाईयों के लंबित देयकों के कारण तथा लेखानुदान बजट अंतर्गत शासन द्वारा 20 प्रतिशत रोके जाने से उपलब्ध मद में बजट शेष नहीं होने के कारण कर्मचारियों को वेतन/भत्ते का भुगतान नहीं होने के कारण जबकि कमी बचत वेतन/भत्ते मद के अंतर्गत निधि की अप्रयुक्त होने के कारण हुई संभावित बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-111.9259- पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस—पश्चिम विभाग)	मूल पुनर्वि.	18,692.93 (-) 5,909.91	12,783.02	12,782.82	(-) 0.20	₹ 5,909.91 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 58.20 लाख की वृद्धि तथा ₹ 5,968.11 लाख की कमी (₹ 5,909.91 लाख समर्पण + ₹ 58.20 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः प्रावधानित बजट में कमी के कारण निधि की आवश्यकता तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण हुई जबकि बचत तथा कमी वेतन/भत्ते मद के अंतर्गत निधि की अप्रयुक्त होने पर हुई बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-113.2634- पुलिस चिकित्सालयों की स्थापना एवं पुलिस कर्मियों का कल्याण	मूल पुनर्वि.	3,645.02 (-) 1,572.77	2,072.25	2,072.08	(-) 0.17	₹ 1,572.77 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 30.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,602.77 लाख की कमी (₹ 1,572.77 लाख समर्पण + ₹ 30.00 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः प्रावधानित बजट में कमी के कारण निधि की आवश्यकता तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण हुई जबकि कमी अंशतः वेतन/भत्ते मद के अंतर्गत निधि की अप्रयुक्त होने पर हुई बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-114.4155- वेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	25,504.05 (-) 5,702.92	19,801.13	19,724.60	(-) 76.53	₹ 5,702.92 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 189.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 5,891.92 लाख की कमी (₹ 5,445.97 लाख समर्पण + ₹ 445.95 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः गत दो-तीन वर्षों में कोरोना वायरस संक्रमण एवं गंभीर बीमारियों के कारण लंबित देयकों, तथा मध्यस्थ को शुल्क के भुगतान के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-116.3593- मेडीको लीगल इस्टिट्यूट	मूल पुनर्वि.	662.46 (-) 309.55	352.91	337.14	(-) 15.77	₹ 309.55 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 0.15 लाख की वृद्धि तथा ₹ 309.70 लाख की कमी (₹ 309.55 लाख समर्पण + ₹ 0.15 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि आधिक्य व्यय के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2055-116.4011- विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला	मूल पुनर्वि.	4,222.32 (-) 549.76	3,672.56	3,672.40	(-) 0.16	₹ 549.76 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 7.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 556.76 लाख की कमी (₹ 549.76 लाख समर्पण + ₹ 7.00 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी बचत के कारण हुई। समर्पण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-800.0101.7346- केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	मूल पुनर्वि.	13,516.50 (-) 4,145.85	9,370.65	9,370.65	0.00	₹ 4,145.85 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 26.98 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4,172.83 लाख की कमी (₹ 4,145.85 लाख समर्पण + ₹ 26.98 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2055-800.7130- महिला अपराध शाखा का गठन	मूल पुनर्वि.	3,690.51 (-) 551.52	3,138.99	3,138.42	(-) 0.57	₹ 551.52 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 96.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 647.52 लाख की कमी (₹ 551.52 लाख समर्पण + ₹ 96.00 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः लेखानुदान बजट अंतर्गत शासन द्वारा 20 प्रतिशत रोके जाने से उपलब्ध मद में बजट शेष नहीं होने के कारण कर्मचारियों को वेतन/भत्ते का भुगतान नहीं होने तथा गत दो-तीन वर्षों में कोरोना वायरस संक्रमण एवं गंभीर बीमारियों के कारण लंबित देयकों के कारण जबकि कमी बचत वेतन/ भत्ते मद के अंतर्गत निधि के अप्रयुक्त होने के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-800.8333- सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	2,038.50 (-) 1,515.65	522.85	523.65	+ 0.80	समर्पण के रूप में ₹ 1,515.65 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-107.0101.7327- राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन	मूल पुनर्वि.	6,088.01 (-) 1,309.22	4,778.79	4,778.61	(-) 0.18	₹ 1,309.22 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 45.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,354.22 लाख की कमी (₹ 1,309.22 लाख समर्पण + ₹ 45.00 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः होमगार्ड कर्मचारियों के लिए 5500 सी.यू.जी. सिम के भुगतान के कारण जबकि कमी अंशतः संविदा कर्मियों के पद रिक्त होने, व्यय में मितव्ययिता, कार्यालयीन कार्यों हेतु कर्मियों द्वारा कम यात्रा, प्रशिक्षण पर व्यय नहीं होने के कारण तथा प्रशासनिक अनुमोदन न होने के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-107.2710- प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	मूल पुनर्वि.	7,457.95 (-) 1,961.08	5,496.87	5,499.53	+ 2.66	₹ 1,961.08 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 50.76 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,011.84 लाख की कमी (₹ 1,961.08 लाख समर्पण + ₹ 50.76 लाख पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सकीय देयकों, जिनका मूल्य प्रावधानित बजट से अधिक था, की प्राप्ति एवं सफाई सम्बन्धी सेवाओं के लिए सफाईकर्मियों के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी अंशतः पद रिक्तियों, सेवानिवृत्तियों, आईएफएमआईएस सर्वर पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आखिरी दिनों में बिल बनाने का विकल्प उपलब्ध नहीं होने, व्यय में मितव्ययिता, व्यय सीमा, कार्यालयीन कार्यों हेतु कर्मियों द्वारा कम यात्रा तथा प्रशिक्षण पर व्यय नहीं होने के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2070-114.3598- मोटर गैरेज	मूल पुनर्वि.	1,093.38 (-) 509.18	584.20	584.18	(-) 0.02	समर्पण के रूप में ₹ 509.18 लाख की प्रत्याशित बचत 33 चालाकों की भर्ती न होने, 35 कर्मचारियों के समयमान बकाया के भुगतान न होने, सेवानिवृत्ति होने तथा नई भर्ती नहीं होने, त्रैमासिक व्यय सीमा, प्रशिक्षण केन्द्रों के न होने तथा नई गाड़ियों की मरम्मत कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2070-114.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संभारण	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा छूट प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60.200.0686-सांप्रदायिक दंगों में पीड़ितों को सहायता	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान	मूल	41.25	41.25	0.00	(-) 41.25	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2235-60.200.9262-जिला सैनिक बोर्ड	मूल पुनर्वि.	1,811.07 (-) 378.89	1,432.18	1,400.34	(-) 31.84	समर्पण के रूप में ₹ 378.89 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3454-01.800.0801.9946-जिला जनगणना पुस्तिका का प्रकाशन	मूल	360.00	360.00	0.00	(-) 360.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

(4) ₹ 152.79 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-109.4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 129.82	170.18	170.18	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 129.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2070-107.2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 17.47	32.53	32.53	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 17.47 लाख की प्रत्याशित बचत कम व्यय से हुई बचत के कारण हुई (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

(6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 75.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 03—गृह जारी

- (7) ₹ 8,769.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 8,706.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4055-207.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 346.50	553.50	553.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 346.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4055-207.0270- अपराध अनुसन्धान विभाग	मूल पुनर्वि.	5,500.03 (-) 1,285.50	4,214.53	4,214.53	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,285.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4055-207.3680- पुलिस मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	700.03 (-) 342.14	357.89	357.89	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 342.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4055-207.8333- सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 1,878.93	121.07	121.07	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,878.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4055-800.0101.7346- केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	मूल पुनर्वि.	3,531.50 (-) 3,491.22	40.28	40.28	0.00	₹3,491.22 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 417.73 लाख + पुनर्विनियोजन 3,073.49 लाख) शीर्ष के अंतर्गत बचत तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4055-800.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	300.02 (-) 300.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 03—गृह समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4055-800.0704.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	200.02 (-) 200.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4070-800.2710- प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	मूल पुनर्वि.	371.73 (-) 370.35	1.38	1.38	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 370.35 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय में मितव्ययिता, वाहनों के क्रय हेतु प्रशासनिक अनुमोदन नहीं मिलने के कारण हुई।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4055-109.0802.9913- विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत बालाघाट जिले को सहायता	मूल पुनर्वि.	0.02 180.84	180.86	180.86	0.00	₹ 180.84 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 1,319.16 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधि की स्वीकृति के कारण हुई। समर्पण के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4055-207.0101.1418- आंतरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्वि.	32.01 338.59	370.60	370.60	0.00	₹ 338.59 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 340.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 1.41 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एकीकृत सुरक्षा परिसर श्यामला हिल्स भोपाल के निर्माण कार्य में जी. एस.टी. प्रक्रिया लागू होने से योजना में स्वीकृत सेवा शुल्क 5.6 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत होने के कारण अतिरिक्त व्यय के कारण हुई। समर्पण के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

- (10) समर्पण राशि ₹ 3,23,25,955/- स्वीकृति क्र./614/मेलीई/लेखा/2025 भोपाल, दिनांक 31.03.2025 को निर्धारित तिथि 07.05.2025 उपरांत दिनांक 11.06.2025 को प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 04—पर्यावरण

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष—3435 पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण)

राजस्व :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	38,71,20			
पूरक	0	38,71,20	2,01,91	(-) 36,69,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 3,669.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3435-03.003.0101.2538- पर्यावरण सुधार एवं प्रबंधक के लिए इंदिरा गांधी फैलोशिप	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3435-03.101.0101.1444- जल प्रदाय निकायों का पर्यावरणीय सुधार	मूल	200.00	200.00	16.00	(-) 184.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3435-03.101.0101.2026- राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र	मूल	125.00	125.00	10.00	(-) 115.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3435-03.101.0101.9618- भोजवैट लैण्ड	मूल	150.00	150.00	48.00	(-) 102.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3435-03.101.0701.5240- राष्ट्रीय जलीय स्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी.सी. ए.)	मूल	1,064.31	1,064.31	16.43	(-) 1,047.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 04-पर्यावरण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3435-03.101.0704.5240- राष्ट्रीय जलीय स्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी.सी. ए.)	मूल	931.57	931.57	0.00	(-) 931.57	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3435-03.102.0101.0513- एफ़ो को अनुदान	मूल	850.00	850.00	40.10	(-) 809.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3435-03.102.1601- पर्यावरण संचालनालय की स्थापना	मूल	0.31	0.31	0.00	(-) 0.31	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3435-03.103.0701.9894- बायोस्फियर रिजर्व स्कीम	मूल	120.00	120.00	12.60	(-) 107.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3435-03.103.0704.9894- बायोस्फियर रिजर्व स्कीम	मूल	80.00	80.00	0.00	(-) 80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 05—जेल

(मुख्य शीर्ष— 2056—जेल, 2216—आवास, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,16,35,41			
पूरक	11,94	6,16,47,35	5,47,82,58	(-) 68,64,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				63,32,64

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,00			
पूरक	0	7,00	0	(-) 7,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में))	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,10,58,80			
पूरक	15,00,00	1,25,58,80	38,82,46	(-) 86,76,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				86,53,35

अनुदान संख्या 05—जेल जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 11.94 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 6,864.77 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 6,332.64 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2056-101.0101.1614-गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता (राज्य सहायित)	मूल	310.00	310.00	0.00	(-) 310.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2056-101.0102.1614-गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता (राज्य सहायित)	मूल	110.00	110.00	0.00	(-) 110.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2056-101.0103.1614-गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता (राज्य सहायित)	मूल	80.00	80.00	0.00	(-) 80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2056-101.0938-केन्द्रीय तथा जिला जेलें	मूल पुनर्वि.	58,033.50 (-) 5,987.93	52,045.57	52,037.31	(-) 8.26	₹ 5,987.93 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 840.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 6,827.93 लाख की कमी (समर्पण ₹ 5,931.46 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 896.47 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 1,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 8,676.34 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 8,653.35 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 05—जेल समाप्त

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.0849- जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 587.26	212.74	212.74	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 587.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.2374- वर्कशॉप/बैरक का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 788.71	1,711.29	1,688.30	(-) 22.99	समर्पण के रूप में ₹ 788.71 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4059-01.051.0101.6405- जेल भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	7,310.01 (-) 5,463.34	1,846.67	1,846.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,463.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0102.0849- जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	40.00 (-) 40.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4070-800.0801.5044- जेलों का आधुनिकीकरण	पूरक पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 06-वित्त

(मुख्य शीर्ष- 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय, 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि, 7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,63,26,43,41			
पूरक	सांकेतिक	2,63,26,43,41	2,65,26,18,50	(+)1,99,75,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				14,35,60

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,44,65,87			
पूरक	0	1,44,65,87	17,56,54	(-) 1,27,09,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				4,10

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,02,87,08			
पूरक	1,50,00,00	5,52,87,08	2,66,43,82	(-) 2,86,43,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				22,90,52

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,00,00			
पूरक	0	2,00,00	0	(-) 2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

(1) दत्तमत अनुदान पर ₹ 1,99,75,08,525 के आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता है ।

(2) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.4295- संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	मूल पुनर्वि.	537.02 500.00	1,037.02	839.03	(-) 197.99	₹ 500.00 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 588.21 लाख की वृद्धि तथा ₹ 88.21 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः संविदा कर्मियों को वेतन/भत्ते के भुगतान के कारण जबकि कमी अंशतः चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति देयकों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। शेष कमी तथा वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2054-003.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	100.00	100.00	181.64	+ 81.64	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2054-095.0101.6327- म.प्र. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना	मूल	1,073.88	1,073.88	1,130.16	+ 56.28	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	4,90,300.00	4,90,300.00	6,55,363.57	+ 1,65,063.57	आधिक्य मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेंशन वसूली राशि के संशोधन पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य से पेंशन देनदारियों हेतु अतिरिक्त वसूली के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.102.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	26,400.01	26,400.01	27,277.04	+ 877.03	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2071-01.105.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	1,59,000.00	1,59,000.00	2,05,063.73	+ 46,063.73	आधिक्य मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेंशन वसूली राशि के संशोधन पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य से पेंशन देनदारियों हेतु अतिरिक्त वसूली के कारण हुआ। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.111.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	1,370.00	1,370.00	1,963.45	+ 593.45	आधिक्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेंशन वसूली राशि के संशोधन पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य से पेंशन देनदारियों हेतु अतिरिक्त वसूली के कारण हुआ।
2071-01.115.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	84,000.00	84,000.00	94,909.07	+ 10,909.07	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2071-01.115.9999- एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	37,500.00	37,500.00	38,173.10	+ 673.10	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2047-103.9120- स्थापना (जिला कार्यालय)	मूल पुनर्वि.	304.85 (-) 89.20	215.65	214.51	(-) 1.14	समर्पण के रूप में ₹ 89.20 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय में मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न बचत के द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.0101.5652-म.प्र. परियोजना विकास कोष योजना	मूल पुनर्वि.	75.00 (-) 60.00	15.00	0.00	(-) 15.00	समर्पण के रूप में ₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभाग से प्रस्ताव नहीं आने पर हुई बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2052-091.0101.7377-उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 58.02	241.98	181.98	(-) 60.00	समर्पण के रूप में ₹ 58.02 लाख की प्रत्याशित बचत बैंकों से उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी राशि नहीं मांगे जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2052-091.4296-संचालनालय संस्थागत वित्त	मूल पुनर्वि.	580.56 (-) 249.35	331.21	312.69	(-) 18.52	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 249.35 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2052-091.5338- राज्य वित्त आयोग	मूल	1,018.99	1,018.99	0.00	(-) 1,018.99	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2052-091.6357- पी.पी. पी. प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	529.85 (-) 524.27	5.58	0.00	(-) 5.58	₹ 524.27 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 24.27 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 500.00 लाख) अंशतः परामर्शदाताओं की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-091.9508-कर्मचारी आयोग	मूल	197.52	197.52	20.89	(-) 176.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-003.3843-लेखा प्रशिक्षण शाला, आंतरिक लेखा-परीक्षण का सुदृढीकरण	मूल	379.14	379.14	201.65	(-) 177.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-095.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	3,440.89 27.00	3,467.89	2,123.68	(-) 1,344.21	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27.00 लाख का निधि में आवर्धन प्रशासनिक अकादमी में नवनियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण के देयकों के भुगतान तथा निदेशालय एवं वित्त विभाग में पदस्थ आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2054-095.5329- लंबित देयकों का भुगतान	मूल पुनर्वि.	30,000.00 (-) 6,346.91	23,653.09	0.00	(-) 23,653.09	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,346.91 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त मांग नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-095.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	3,367.04 (-) 29.00	3,338.04	281.28	(-) 3,056.76	₹ 29.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.30 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 51.30 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रमुख परामर्शदाताओं को भुगतान के कारण जबकि कमी अंशतः राजस्व शीर्ष के द्वारा सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर घटकों की खरीद न होने तथा बिल बनने में देरी के कारण हुआ। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2054-098.4361- स्थानीय निधि संपरीक्षा	मूल	7,110.18	7,110.18	5,057.80	(-) 2,052.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.9135- म.प्र. पी.आई. कम्पनी को संधारण अनुदान	मूल	1,000.00	1,000.00	359.99	(-) 640.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.5158- सेवानिवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल	764.01	764.01	16.02	(-) 747.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.103.9998- मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.103.9999- एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	45.63	45.63	0.00	(-) 45.63	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.117.6854- अंशदायी पेंशन योजना	मूल	5,00,000.00	5,00,000.00	4,34,491.78	(-) 65,508.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2075-800.2659- पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	1,644.04 (-) 288.11	1,355.93	1,123.39	(-) 232.54	₹ 288.11 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.35 लाख की वृद्धि तथा ₹ 294.46 लाख की कमी (समर्पण ₹ 288.11 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 6.35 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता, संभावित बचत तथा मकान के किराये से हुई बचत के कारण जबकि कमी आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय न होने, चिकित्सकीय देयकों के भुगतान, व्यवसायिक सेवाओं तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवाओं के भुगतान, पद रिक्तियों तथा व्यय में मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2075-800.6576-जिला पेंशन कार्यालय	मूल पुनर्वि.	3,507.47 (-) 632.56	2,874.91	2,861.04	(-) 13.87	₹ 632.56 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 83.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 716.06 लाख की कमी (समर्पण ₹ 632.56 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 83.50 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता तथा चिकित्सकीय देयकों के भुगतान के कारण जबकि कमी संविदा कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने, संभावित बचत तथा व्यय में मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (4) ₹ 12,709.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 4.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2048.101.1086-संचित ऋण शोधन निधि में अंतरण	मूल	8,000.00	8,000.00	0.00	(-) 8,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054.095.5329-लंबित देयकों का भुगतान	मूल	4,000.00	4,000.00	0.00	(-) 4,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.9999- एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	83.51	83.51	4.65	(-) 78.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत विनियोग पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.106.9999- एकीकृत मध्य प्रदेश पेंशन	मूल	786.63	786.63	824.82	+ 38.19	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 15,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 28,643.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 2,290.52 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4070-800.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	16,004.25 (-) 35.00	15,969.25	4,466.07	(-) 11,503.18	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.00 लाख की प्रत्याशित बचत बिल निर्मित करने में देरी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4425-107.0101.1005- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंश पूँजी में धनवेष्टन	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 2,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा आनुपातिक शेयर पूँजी जारी नहीं करने पर भुगतान नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 06—वित्त समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6075-800.6787- गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	10,000.00	10,000.00	0.50	(-) 9,999.50	अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
6075.800.6788- राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बांड्स के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
7610-201.9084- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ऋण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

(10) ₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(11) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7810-800.0122- अंतर्राज्यीय परिशोधन	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

(मुख्य शीर्ष— 2030—स्टाम्प और पंजीकरण, 2039—राज्य उत्पाद शुल्क, 2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043—राज्य माल एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रह प्रभार, 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2216—आवास, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	25,58,32,63			
पूरक	25,31,24	25,83,63,87	24,23,67,44	(-) 1,59,96,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,47,34,87

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	13,00			
पूरक	0	13,00	0	(-) 13,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				13,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	62,56,10			
पूरक	0	62,56,10	23,47,47	(-) 39,08,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20 तथा 31 मार्च 2025)				38,94,59

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 2,531.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 15,996.43 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 14,734.87 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01.001.9858-संपदा- ई-रजिस्ट्री	मूल पुनर्वि.	1,805.00 (-) 92.78	1,712.22	1,351.22	(-) 361.00	समर्पण के रूप में ₹ 92.78 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
203003.001.0101.9942-डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 489.90	210.10	70.10	(-) 140.00	समर्पण के रूप में ₹ 489.90 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2030-03.001.1480-जिला प्रभार	मूल पुनर्वि.	6,999.96 (-) 1,573.91	5,426.05	5,378.04	(-) 48.01	₹ 1,573.91 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 14.51 लाख + समर्पण ₹ 1,559.40 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2030-03.001.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	250.00 (-) 85.12	164.88	109.68	(-) 55.20	समर्पण के रूप में ₹ 85.12 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2039-001.0101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	547.00 (-) 416.52	130.48	29.47	(-) 101.01	समर्पण के रूप में ₹ 416.52 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2039-001.0123- स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	1,770.91 (-) 698.01	1,072.90	917.19	(-) 155.71	समर्पण के रूप में ₹ 698.01 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2039-001.1470- जिला कार्यपालिक स्थापना	मूल पुनर्वि.	19,387.50 (-) 3,065.63	16,321.87	16,325.45	+ 3.58	समर्पण के रूप में ₹ 3,065.63 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2039-001.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	206.00 (-) 31.44	174.56	122.02	(-) 52.54	समर्पण के रूप में ₹ 31.44 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2039-800.4034- विभागीय मदिरा दुकानों को संचालन	मूल पुनर्वि.	100.01 (-) 79.82	20.19	2.19	(-) 18.00	समर्पण के रूप में ₹ 79.82 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2040-001.7086- वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल	मूल पुनर्वि.	793.87 (-) 367.52	426.35	406.49	(-) 19.86	₹ 367.52 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 429.52 लाख (समर्पण ₹ 367.52 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 62.00 लाख) की कमी तथा ₹ 62.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः वास्तविक व्यय के आधार पर बचत एवं रिक्त पद के कारण जबकि वृद्धि अपीलीय बोर्ड भोपाल एवं इंदौर पीठ के पूर्व एवं वर्तमान न्यायिक सदस्यों के वेतन और भत्तों के बकाया का भुगतान तथा अपीलीय बोर्ड में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को वेतन भुगतान के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2043-001.7816- म.प्र. भामाशाह पुरस्कार योजना	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 160.00	40.00	0.00	(-) 40.00	समर्पण के रूप में ₹ 160.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2043-101.1509- जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	25,621.81 (-) 5,371.19	20,250.62	20,222.14	(-) 28.48	₹ 5,371.19 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 5,431.19 लाख (समर्पण ₹ 5,327.19 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 104.00 लाख) की कमी तथा ₹ 60.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 13.00 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2039-001.1470- जिला कार्यपालिका स्थापना	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (6) ₹ 3,908.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 20 एवं 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 3,894.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर समाप्त

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1267- वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 727.84	772.16	772.16	0.00	₹ 727.84 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 20.00 लाख + समर्पण ₹ 707.84 लाख) वाणिज्यिक कर कार्यालय, इंदौर हेतु अन्य योजना के अंतर्गत तीन नए वाहनों के क्रय के कारण हुई। समर्पण के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7311- कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4059-01.051.0101.7382- जिला/उप पंजीयक कार्यालय भवन निर्माण/विस्तार	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 600.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4070-800.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	623.00 (-) 567.55	55.45	55.45	0.00	समर्पण के रूप में ₹567.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय

(मुख्य शीर्ष—2029—भू—राजस्व, 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं, 2053—जिला प्रशासन, 2058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण, 2216—आवास, 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245—प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 4058— लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4250— अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6245—प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत हेतु ऋण)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	97,65,65,74			
पूरक	72,82,02	98,38,47,76	62,08,99,90	(-) 36,29,47,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				33,51,52,00

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	3,77,11			
पूरक	10,00	3,87,11	1,61,52	(-) 2,25,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				10,10

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	4,55,85,66			
पूरक	0	4,55,85,66	3,38,45,96	(-) 1,17,39,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				61,64,02

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 7,282.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,62,947.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 3,35,152.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-001.6846- भू-प्रबंधन	मूल पूरक पुनर्वि.	18,507.88 सांकेतिक (-) 4,507.06	14,000.82	14,011.32	+ 10.50	₹ 4,507.06 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 125.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4,632.06 लाख (₹ 4,507.06 लाख समर्पण + ₹ 125.00 लाख पुनर्विनियोजन) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मजदूरी, विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीन डीडीओ स्तर के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के कारण जबकि कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। समर्पण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2029-103.0101.1188- वेब जी.आई.एस.2.0	मूल पुनर्वि.	4,000.01 (-) 2,002.34	1,997.67	1,997.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,002.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2029-103.0101.7167- एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	69.00 (-) 69.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2029-103.1472- जिला खर्च	मूल पूरक पुनर्वि.	1,31,288.76 7,282.00 (-) 6,146.72	1,32,424.04	1,32,428.64	+ 4.60	समर्पण के रूप में ₹ 6,146.72 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-093.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	2,574.01	2,574.01	482.39	(-) 2,091.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2245-01.101.6422- सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 699.74	0.26	0.26	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 699.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2245-02.101.2018- बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत	मूल पुनर्वि.	65,000.00 (-) 50,798.04	14,201.96	14,201.96	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 50,798.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2245-02.122.0989- क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 5,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2245-80.102.6276- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	मूल पुनर्वि.	1,19,300.00 (-) 1,04,485.65	14,814.35	14,814.35	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,04,485.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2245-80.102.6374- आपदा प्रबंधन का प्रचार प्रसार	मूल पुनर्वि.	60.00 (-) 60.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2245-80.102.6436- आपदा से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 935.53	64.47	64.47	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 935.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2245-80.102.7667- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	मूल पुनर्वि.	26,200.00 (-) 20,672.29	5,527.71	5,527.70	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 20,672.29 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 08— भू—राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-80.102.7767-महामारी/रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सी.बी.आर. एन.) आपदाओं की रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्यों पर व्यय	मूल पुनर्वि.	8,000.00 (-) 8,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2245-80.102.9594-एस.डी.आर.एफ. / एस.डी.एम.एफ फंड (ब्याज भुगतान)	मूल	6,000.00	6,000.00	0.00	(-) 6,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2245-80.800.5504-राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	80,000.00 (-) 64,185.53	15,814.47	15,814.47	0.00	₹ 64,185.53 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 47,185.53 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 17,000.00 लाख) अंशतः तत्काल आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। समर्पण के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-80.800.7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	मूल पुनर्वि.	1,100.00 1,124.15	2,224.15	2,224.15	0.00	₹ 1,124.15 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 875.85 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कीट प्रकोप के कारण फसल क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के कारण हुई जबकि समर्पण के रूप में कमी के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

(5) अकाल राहत कोष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)
2245-05-101-0474- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं - अकाल राहत निधि को अन्तरण	0.01	0.00	0.01
यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई हैं। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई भी राशि मुख्य शीर्ष 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि—101—आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण—राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223— अकाल राहत निधि—101—अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा नहीं की गई।			

31 मार्च 2025 को शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-					(₹ लाख में)
विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंत शेष नामे + जमा (-)	
(1) 101- अकाल राहत निधि	(-)592.81	0.00	0.00	(-)592.81	
कुल	(-)592.81	0.00	0.00	(-)592.81	
निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2024-25 के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8223—अकाल राहत निधि—101—अकाल राहत निधि तथा 102—अकाल राहत निधि— निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।					

अनुदान संख्या 08— भू—राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय जारी

(6) राज्य आपदा मोचन निधि(एस.डी.आर.एफ.) :-

राज्य आपदा मोचन निधि के गठन तथा प्रचालन पर दिशा-निर्देशों के अनुपालन में (मुख्यशीर्ष—'8121— सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत जो कि ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत है), केन्द्र तथा राज्य सरकार को 75:25 के अनुपात में निधि का अंशदान करने की आवश्यकता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में ₹1,68,640.00 लाख प्राप्त हुए। राज्य सरकार का अंशदान वर्ष के दौरान ₹ 56,160.00 लाख है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-122— राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अंतर्गत ₹ 2,67,682.92 लाख (केन्द्रांश ₹1,68,640.00 लाख एवं एस.डी.आर.एफ. का राज्यांश ₹ 56,160.00 लाख तथा ब्याज ₹ 42,882.92 लाख) अंतरित किये गये। राज्य सरकार ने ₹ 42,882.92 लाख ब्याज का हस्तांतरण किया जो कि अप्रैल 2021 से सितम्बर 2024 की अवधि से संबंधित है।

मुख्यशीर्ष 2245 में ₹ 71,649.72 लाख का अंतरण (सेट ऑफ) किया गया तथा निधि से व्यय की पूर्ति कर ली गई एवं राज्य आपदा मोचन निधि से कोई निवेश नहीं किया गया। निधि में 31 मार्च 2025 की स्थिति में ₹ 5,18,440.37 लाख अंतिम शेष के रूप में थे। राज्य को एन.डी.आर. एफ. हेतु केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2024-25 के विवरण संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

प्रभारित

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 225.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 10.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-099.3657- राजस्व बोर्ड	मूल	161.86	161.86	86.81	(-) 75.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2053-093.1509- जिला स्थापना	मूल	200.00	200.00	68.71	(-) 131.29	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 08— भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

(10) ₹ 11,739.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 6,164.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(11) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4058-103.0101.3427- मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 512.06	87.94	87.94	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 512.06 लाख की प्रत्याशित बचत असफल निविदा के कारण हुई।
4059-01.051.0101.6664- तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	10,675.00	10,675.00	9,503.07	(-) 1,171.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4059-01.051.0102.5160- कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	460.00	460.00	0.00	(-) 460.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4059-01.051.0102.6664- तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	4,025.00	4,025.00	3,106.25	(-) 918.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4070-800.0101.5070- कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	मूल पुनर्वि.	3,535.03 (-) 2,635.96	899.07	899.07	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,635.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4070-800.6846- भू-प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	1,000.70 (-) 1,000.70	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4250-101.7667- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,000.01 (-) 2,000.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष 2810—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, 6810— नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा हेतु ऋण)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	63,85,58			
पूरक	15,00	64,00,58	1,12,11	(-) 62,88,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 15.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 6,288.47 लाख के अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा जारी

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2810-101.0101.7312- सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2810-102.0410.0718- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना	मूल	1,400.00	1,400.00	0.00	(-) 1,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-102.0412.0718- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-102.0413.0718- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-104.0101.6759- अपरम्परागत ऊर्जा से सम्बंधित सर्वेक्षण कार्य	मूल	250.00	250.00	0.00	(-) 250.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2810-105.0101.2304- निर्देशन और प्रशासन	मूल पूरक	147.41 15.00	162.41	110.92	(-) 51.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-105.0101.3220- म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान	मूल	780.00	780.00	0.00	(-) 780.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2810-105.0101.9544- म.प्र. नवीकरणीय ऊर्जा नीति अंतर्गत सुविधाएँ	मूल	150.00	150.00	0.00	(-) 150.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2810-105.0103.1609- प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2810-105.0703.1609- प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 10—वन

(मुख्य शीर्ष—2055—पुलिस, 2216—आवास, 2406—वानिकी तथा वन्य जीवन, 3054—सड़क तथा सेतु, 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	25,23,89,13			
पूरक	1,31,92,44	26,55,81,57	21,19,59,93	(-) 5,36,21,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,31,49,81

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,95,01			
पूरक	40,00	2,35,01	1,93,09	(-) 41,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				41,92

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	21,61,12,89			
पूरक	2,93,03	21,64,05,92	19,54,18,77	(-) 2,09,87,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,63,92,53

अनुदान संख्या 10—वन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 13,192.44 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 53,621.64 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 53,149.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01.001.0101.3555- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	7,928.83 (-) 3,696.16	4,232.67	4,221.65	(-) 11.02	₹ 3,696.16 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 56.30 लाख की वृद्धि तथा ₹ 3,752.46 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,696.16 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 56.30 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, लंबित देयकों, शासकीय सेवकों को चिकित्सकीय अग्रिम के भुगतान, वेतन भुगतान, मुख्यालय में टेलीफोन के लंबित देयकों के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के विशिष्ट कारण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.001.0702.5317- गहन वन प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	301.14 (-) 248.52	52.62	52.62	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 248.52 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2406-01.001.0703.5317- गहन वन प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	209.72 (-) 209.72	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01.001.0705.5317- गहन वन प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	200.51 (-) 165.43	35.08	35.08	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 165.43 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2406-01.001.0706.5317- गहन वन प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	140.68 (-) 140.68	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2406-01.003.4462- वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	मूल पुनर्वि.	201.08 (-) 201.08	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.101.0101.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,22,116.13 (-) 20,290.08	1,01,826.05	1,01,490.13	(-) 335.92	₹ 20,290.08 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 676.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 20,966.58 लाख की कमी (समर्पण ₹ 20,290.08 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 676.50 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों के चिकित्सकीय देयकों, डाक व तार, पुस्तकों, पेयजल एवं विद्युत बिल, लेखन सामग्री, पेट्रोल एवं ईंधन खर्च एवं वेतन भुगतान के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के विशिष्ट कारण तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.101.0801.0664- इको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट	मूल पुनर्वि.	46.49 (-) 46.49	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01.190.0702.5231- लघु वनोपज संघ को अनुदान	मूल पुनर्वि.	168.00 (-) 168.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.190.0704.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	468.72 (-) 357.95	110.77	110.77	0.00	₹ 357.95 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 93.74 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 264.21 लाख) संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2406-01.190.0705.5231- लघु वनोपज संघ को अनुदान	मूल पुनर्वि.	112.00 (-) 112.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.190.0705.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	156.24 (-) 128.94	27.30	27.30	0.00	₹ 128.94 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 31.25 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 97.69 लाख) संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2406-01.190.0707.7458- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	105.60 (-) 105.60	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2406-01.203.0535- इमारती लकड़ी का उत्पादन	मूल पुनर्वि.	15,916.30 (-) 2,805.49	13,110.81	13,226.04	+ 115.23	समर्पण के रूप में ₹ 2,805.49 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-02.110.0101.2899- राष्ट्रीय उद्यान स्थापना	मूल पुनर्वि.	16,896.89 (-) 2,277.27	14,619.62	14,618.46	(-) 1.16	₹ 2,277.27 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2,129.13 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4,406.40 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,277.27 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2,129.13 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान तथा वेतन भुगतान के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2406-02.110.0103.1122- चीता प्रबंधन योजना	मूल पुनर्वि.	48.00 (-) 40.00	8.00	8.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-02.110.0702.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	2,338.86 (-) 1,759.30	579.56	579.56	0.00	₹ 1,759.30 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 89.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,669.35 लाख) भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के विरुद्ध अधिक बजट प्रावधान होने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-02.110.0702.8862- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	530.20 (-) 408.51	121.69	121.69	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 408.51 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-02.110.0703.8862- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	531.25 (-) 409.56	121.69	121.69	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 409.56 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2406-02.110.0705.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	1,880.74 (-) 1,374.23	506.51	506.56	+ 0.05	₹ 1,374.23 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.05 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,374.18 लाख) भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के विरुद्ध अधिक बजट प्रावधान होने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष बचत एवं अंतिम आधिक्य के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-02.110.0705.8862- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	349.67 (-) 268.54	81.13	81.13	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 268.54 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-02.110.0706.8862- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	मूल पुनर्वि.	354.17 (-) 273.04	81.13	81.13	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 273.04 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 40.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 41.92 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

(6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01.101.0101.0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	140.01 40.00 (-) 35.00	145.01	145.01	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 35.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 293.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 20,987.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 16,392.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4406-01.070.0101.4342-वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	4,500.03 (-) 925.22	3,574.81	3,574.81	0.00	₹ 925.22 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 500.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,425.22 लाख की कमी (समर्पण ₹ 360.22 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,065.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4406-01.101.0101.0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 482.99	17.01	17.01	0.00	₹ 482.99 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2.99 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 480.00 लाख) संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी तथा अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4406-01.101.0101.5387- कार्य योजना का निर्माण	मूल पुनर्वि.	842.50 (-) 248.55	593.95	593.95	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 248.55 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4406-01.101.0701.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल पुनर्वि.	2,944.61 (-) 262.38	2,682.23	1,440.21	(-) 1,242.02	₹ 262.38 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.01 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 262.37 लाख) पूर्व में प्राप्त राशि पुनः वापिस किये जाने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4406-01.101.0702.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल पुनर्वि.	1,110.27 (-) 98.94	1,011.33	543.04	(-) 468.29	₹ 98.94 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.01 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 98.93 लाख) पूर्व में प्राप्त राशि पुनः वापिस किये जाने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4406-01.101.0703.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल पुनर्वि.	772.37 (-) 68.83	703.54	377.77	(-) 325.77	₹ 68.83 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.01 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 68.82 लाख) पूर्व में प्राप्त राशि पुनः वापिस किये जाने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4406-01.101.0704.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल पुनर्वि.	1,963.08 (-) 174.92	1,788.16	960.13	(-) 828.03	₹ 174.92 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.01 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 174.91 लाख) पूर्व में प्राप्त राशि पुनः वापिस किये जाने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4406-01.101.0705.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल पुनर्वि.	740.18 (-) 65.96	674.22	362.02	(-) 312.20	₹ 65.96 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.01 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 65.95 लाख) पूर्व में प्राप्त राशि पुनः वापिस किये जाने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4406-01.101.0706.7488- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	मूल पुनर्वि.	514.91 (-) 45.89	469.02	251.84	(-) 217.18	₹ 45.89 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.01 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 45.88 लाख) पूर्व में प्राप्त राशि पुनः वापिस किये जाने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4406-01.800.1306- वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	1,220.01 (-) 223.26	996.75	996.75	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 223.26 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4406-01.800.9665- केम्पा आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार	मूल पुनर्वि.	6,194.01 (-) 2,161.92	4,032.09	4,032.09	0.00	₹ 2,161.92 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 134.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,296.42 लाख की कमी (समर्पण ₹ 586.92 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,709.50 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि निविदा प्रक्रिया द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य जिसकी लागत ₹ 25.00 लाख से अधिक है, के अलावा विभागीय स्तर पर वानिकी कार्य हेतु अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण जबकि कमी सरकार द्वारा ₹ 25.00 लाख से अधिक मूल्य के निर्माण कार्यों हेतु ही निविदा प्रक्रिया का प्रयोग करने के निर्णय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4406-01.800.9666- केम्पा वन्य जीव संरक्षण योजना प्रभार	मूल पुनर्वि.	3,833.01 (-) 2,479.35	1,353.66	1,313.66	(-) 40.00	₹ 2,479.35 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 172.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,651.85 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,479.35 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 172.50 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि, निविदा प्रक्रिया द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य जिसकी लागत ₹ 25.00 लाख से अधिक है, के अलावा विभागीय स्तर पर वानिकी कार्य हेतु अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण जबकि कमी सरकार द्वारा ₹ 25.00 लाख से अधिक मूल्य के निर्माण कार्यों हेतु ही निविदा प्रक्रिया का प्रयोग करने के निर्णय के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 10—वन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4406-01.800.9668- केम्पा ब्याज	मूल पुनर्वि.	1,022.08 (-) 431.57	590.51	346.25	(-) 244.26	₹ 431.57 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 22.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 454.07 लाख की कमी (समर्पण ₹ 231.57 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 222.50 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्यालय स्थापना कार्य एवं वेतन के भुगतान के कारण जबकि कमी प्रस्ताव नहीं होने तथा निधि की कम आवश्यकता के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4406-01.800.0101.2330- वन मानचित्रों का डिजिटাইजेशन	मूल पुनर्वि.	1,000.00 198.28	1,198.28	1,198.28	0.00	₹ 198.28 लाख का निधि का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 51.72 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अनुमोदित ग्राम विकास योजना के अंतर्गत विस्थापित गाँवों में विकास सम्बन्धी कार्यों के कारण हुई। समर्पण के रूप में कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 11—औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

(मुख्य शीर्ष— 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852—उद्योग, 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4070— अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4875— अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 6856—पेट्रो—केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	18,62,04,94			
पूरक	9,26,00,00	27,88,04,94	27,83,65,12	(-) 4,39,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 एवं 31 मार्च 2025)				4,31,48

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	0	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,58,11,10			
पूरक	50,00,00	10,08,11,10	10,08,00,00	(-) 11,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 एवं 31 मार्च 2025)				11,10

अनुदान संख्या 11—औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 439.82 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 (₹ 20,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 72,600.00 लाख) में प्राप्त ₹ 92,600.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 439.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 एवं 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 431.48 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) ₹ 439.82 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 11.10 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 5,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 11.10 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 28 एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (6) ₹ 11.10 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, 2801-बिजली, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,07,09,56,15			
पूरक	1,29,98,43,12	2,37,07,99,27	1,96,62,43,60	(-) 40,45,55,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	85,57,47,29			
पूरक	सांकेतिक	85,57,47,29	67,69,56,43	(-) 17,87,90,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 4,04,555.67 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2024 में (₹ 8,76,363.12 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 4,23,480.00 लाख) में प्राप्त ₹ 12,99,843.12 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,04,555.67 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2801-80.101.0101.5381- अटल कृषि ज्योति योजना	मूल पूरक	78,000.00 10,47,457.24	11,25,457.24	9,26,279.00	(-) 1,99,178.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2801-80.101.0101.7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल पुनर्वि	1,57,236.22 (-) 472.53	1,56,763.69	0.00	(-) 1,56,763.69	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 472.53 लाख की प्रत्याशित बचत शीर्ष के अंतर्गत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2801-80.101.0102.1436- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना	मूल	3,000.00	3,000.00	0.00	(-) 3,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2801-80.101.0102.7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	80,613.13	80,613.13	0.00	(-) 80,613.13	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2801-80.101.0103.7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	62,150.65	62,150.65	0.00	(-) 62,150.65	सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः
प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2801-80.101.0101.5378- अटल गृह ज्योति योजना	मूल	1,36,135.00	1,98,379.84	2,92,898.20	+ 94,518.36	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	62,244.84				
2801-80.101.0102.5378- अटल गृह ज्योति योजना	मूल	1,09,088.01	1,32,557.37	1,89,701.14	+ 57,143.77	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
	पूरक	23,469.36				
2801-80.101.0103.5378- अटल गृह ज्योति योजना	मूल	1,04,777.01	1,21,103.52	1,66,927.64	+ 45,824.12	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
	पूरक	16,326.51				

(5) विद्युत ऊर्जा विकास निधि:—

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 (अध्यादेश क्र. 02 वर्ष 2001 द्वारा संशोधित) के नियम 3(2) अनुसार, गत वर्ष में संग्रहित ऊर्जा विकास उपकर के बराबर की राशि, आगामी वर्ष में ऊर्जा विकास निधि में अंतरित की जानी चाहिये।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ऊर्जा विकास उपकर के रूप में संग्रहित ₹ 83,333.85 लाख के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष ऊर्जा विकास निधि में ₹ 83,479.73 लाख में अंतरित किये गए। वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने ऊर्जा विकास उपकर के रूप में ₹ 79,017.45 लाख संग्रहित किये।

01 अप्रैल 2024 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 4,97,654.80 लाख था। वर्ष के दौरान ₹ 83,479.73 लाख राशि निधि में जमा की गई एवं राशि ₹ 1,06,528.75 लाख निधि में से व्यय की गई। 31 मार्च 2025 को निधि में ₹ 4,74,605.78 लाख का अंतशेष था। इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि-110-विद्युत विकास निधि", के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2024-25 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

पूँजीगत :

- (6) ₹ 1,78,790.86 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4801-05.190.0101.1937- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण जायका हेतु अंशपूँजी	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-) 2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4801-05.190.0101.7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	2,45,196.00	2,45,196.00	0.00	(-) 2,45,196.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0102.7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	86,504.00	86,504.00	0.00	(-) 86,504.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0103.7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल	1,29,500.00	1,29,500.00	0.00	(-) 1,29,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0702.9542- रीवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस. एस.)	मूल	34,810.74	34,810.74	0.00	(-) 34,810.74	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4801-05.190.0703.9542-रीवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस. एस.)	मूल	23,207.16	23,207.16	0.00	(-) 23,207.16	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.1201.0700-ग्रीन कोरिडोर	मूल	400.00	400.00	0.00	(-) 400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6801-190.0101.5336-विद्युत गृहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य	मूल	2,792.00	2,792.00	0.00	(-) 2,792.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
6801-190.0101.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	25,000.00	25,000.00	0.00	(-) 25,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
6801-190.0102.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	8,000.00	8,000.00	0.00	(-) 8,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
6801-190.0103.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	8,500.00	8,500.00	0.00	(-) 8,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6801-190.0705.9542-रीवैम्ब्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	मूल	3,350.00	3,350.00	0.00	(-) 3,350.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6801-190.0706.9542-रीवैम्ब्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	मूल	2,436.00	2,436.00	0.00	(-) 2,436.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6801-190.1201.1284-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)	मूल	158.00	158.00	0.00	(-) 158.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6801-190.1202.1284-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)	मूल	56.00	56.00	0.00	(-) 56.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6801-190.1203.1284-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)	मूल	41.20	41.20	0.00	(-) 41.20	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6801-190.1901.9542-रीवैम्ब्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	मूल	60,000.00	60,000.00	0.00	(-) 60,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6801-190.1902.9542-रीवैम्ब्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	मूल	34,750.79	34,750.79	0.00	(-) 34,750.79	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6801-190.1903.9542-रीवैम्ब्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी. एस.एस.)	मूल	12,230.21	12,230.21	0.00	(-) 12,230.21	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
6801-205.1201.0700-ग्रीन कोरिडोर	मूल	400.00	400.00	0.00	(-) 400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
6801-205.1201.6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	2,300.00	2,300.00	0.00	(-) 2,300.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6801-205.1201.7255-33/11 के.व्ही.उपकेंद्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु	मूल	441.00	441.00	0.00	(-) 441.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4801-05.190.0101.2051-विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अंशपूँजी का प्रदाय	मूल	0.01	0.01	4,45,500.00	+ 4,45,499.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4801-05.190.0101.6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	300.00	300.00	2,640.00	+ 2,340.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4801-05.190.0410.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	15,000.00	15,000.00	21,281.10	+ 6,281.10	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4801-05.190.0410.9654-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु अंशपूँजी	मूल	0.01	0.01	1,344.00	+ 1,343.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4801-05.190.0704.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	0.00	63,238.64	+ 63,238.64	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4801-05.190.0705.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	0.00	12,882.62	+ 12,882.62	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4801-05.190.0706.9542-रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.)	पूरक	सांकेतिक	0.00	7,782.40	+ 7,782.40	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(मुख्य शीर्ष—2401—फसल कृषि कर्म, 2402—मृदा तथा जल संरक्षण, 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार, 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2702—लघु सिंचाई, 2801—बिजली, 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402— मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,96,89,11,11			
पूरक	1	1,96,89,11,12	1,72,31,08,31	(-) 24,58,02,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				21,72,89,79

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	45,00			
पूरक	0	45,00	12,87	(-) 32,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				32,13

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	28,20,90			
पूरक	सांकेतिक	28,20,90	2,50,76	(-) 25,70,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				25,70,14

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 2,45,802.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 2,17,289.79 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-001.0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	मूल पुनर्वि.	52,040.02 (-) 14,613.72	37,426.30	37,444.70	+ 18.40	₹ 14,613.72 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 55.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 14,669.22 लाख की कमी (समर्पण ₹ 13,766.76 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 902.46 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी संभावित बचत, भर्ती प्रक्रियाधीन होने तथा वित्त विभाग द्वारा तिमाही व्यय सीमा में छूट हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0101.1445-दबाव सिंचाई प्रणाली के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	3,100.00 (-) 3,100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना समीक्षा समिति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।
2401-102.0102.1445-दबाव सिंचाई प्रणाली के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	1,100.00 (-) 1,100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना समीक्षा समिति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।
2401-102.0103.1445-दबाव सिंचाई प्रणाली के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 800.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना समीक्षा समिति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-102.0701.7499- स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट अंडर आर.के.व्ही.वाय.	मूल पुनर्वि.	1,860.07 (-) 1,720.69	139.38	818.05	+ 678.67	समर्पण के रूप में ₹ 1,720.69 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान के अनुसार भारत सरकार से रिलीज एवं मदर सेंक्शन प्राप्त नहीं होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एस.एन.ए. स्पर्श मोड्यूल की नई प्रक्रिया शुरू होने तथा स्पर्श मोड्यूल में चल रही कठिनाईयों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-102.0702.7499- स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट अंडर आर.के.व्ही.वाय.	मूल पुनर्वि.	660.03 (-) 400.00	260.03	421.37	+ 161.34	₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान के अनुसार भारत सरकार से रिलीज एवं मदर सेंक्शन प्राप्त नहीं होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एस.एन.ए. स्पर्श मोड्यूल की नई प्रक्रिया शुरू होने तथा स्पर्श मोड्यूल में चल रही कठिनाईयों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-102.0703.7499- स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट अंडर आर.के.व्ही.वाय.	मूल पुनर्वि.	480.02 (-) 156.94	323.08	513.86	+ 190.78	₹ 156.94 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 74.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 230.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से रिलीज प्राप्त होने के कारण जबकि कमी भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज एवं मदर सेंक्शन प्राप्त नहीं होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एस.एन.ए. स्पर्श मोड्यूल की नई प्रक्रिया शुरू होने तथा स्पर्श मोड्यूल में चल रही कठिनाईयों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-102.0703.7501- फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्वोरिटी	मूल पुनर्वि.	3,395.99 (-) 1,564.47	1,831.52	2,632.52	+ 801.00	₹ 1,564.47 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 845.13 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,409.60 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,114.80 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 294.80 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी संभावित बचत, भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज एवं मदर सेंक्शन प्राप्त नहीं होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एस.एन.ए. स्पर्श मोड्यूल की नई प्रक्रिया शुरू होने तथा स्पर्श मोड्यूल में चल रही कठिनाईयों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-102.0704.7498- सब मिशन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट	मूल पुनर्वि.	6,133.37 (-) 4,762.04	1,371.33	1,371.33	0.00	₹ 4,762.04 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,226.71 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,535.33 लाख) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार रिलीज प्राप्त नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई।
2401-102.0704.7501- फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्वोरिटी	मूल पुनर्वि.	9,696.52 (-) 6,654.19	3,042.33	2,842.33	(-) 200.00	₹ 6,654.19 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2,050.18 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,604.01 लाख) भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार रिलीज प्राप्त नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-105.0701.1229- स्वाइल हैल्थ कार्ड अंडर आर.के.व्ही.वाय.	मूल पुनर्वि.	191.61 (-) 103.84	87.77	0.00	(-) 87.77	समर्पण के रूप में ₹ 103.84 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना उप मिशन के साथ विलय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (जुलाई 2025)।
2401-105.0702.1229- स्वाइल हैल्थ कार्ड अंडर आर.के.व्ही.वाय.	मूल पुनर्वि.	56.38 (-) 30.57	25.81	0.00	(-) 25.81	समर्पण के रूप में ₹ 30.57 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना उप मिशन के साथ विलय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (जुलाई 2025)।
2401-105.0704.1229- स्वाइल हैल्थ कार्ड अंडर आर.के.व्ही.वाय.	मूल पुनर्वि.	127.74 (-) 69.22	58.52	0.00	(-) 58.52	समर्पण के रूप में ₹ 69.22 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना उप मिशन के साथ विलय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (जुलाई 2025)।
2401-108.0701.7500- नेशनल मिशन ऑन ईडिबल ऑइल एंड ऑइल सीड	मूल पुनर्वि.	3,068.94 (-) 983.60	2,085.34	2,375.34	+ 290.00	₹ 983.60 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 967.92 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 1,951.52 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज एवं मदर सेंक्शन प्राप्त नहीं होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एस.एन.ए. स्पर्श मोड्यूल की नई प्रक्रिया शुरू होने तथा स्पर्श मोड्यूल में चल रही कठिनाईयों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-108.0702.7500- नेशनल मिशन ऑन ईडिबल ऑइल एंड ऑइल सीड	मूल पुनर्वि.	1,032.84 (-) 409.12	623.72	689.22	+ 65.50	₹ 409.12 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 330.88 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 740.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज एवं मदर सेंक्शन प्राप्त नहीं होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एस.एन.ए. स्पर्श मोड्यूल की नई प्रक्रिया शुरू होने तथा स्पर्श मोड्यूल में चल रही कठिनाईयों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-108.0703.7500- नेशनल मिशन ऑन ईडिबल ऑइल एंड ऑइल सीड	मूल पुनर्वि.	917.85 (-) 513.73	404.12	467.23	+ 63.11	₹ 513.73 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 227.01 लाख की वृद्धि तथा ₹ 740.74 लाख की कमी (समर्पण ₹ 590.74 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 150.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी संभावित बचत, भारत सरकार से बजट प्रावधान अनुसार रिलीज एवं मदर सेंक्शन प्राप्त नहीं होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एस.एन.ए. स्पर्श मोड्यूल की नई प्रक्रिया शुरू होने तथा स्पर्श मोड्यूल में चल रही कठिनाईयों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-109.0101.9530- प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार योजना	मूल पुनर्वि.	1,860.00 (-) 1,860.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा तिमाही व्यय सीमा पर लगाये गए प्रतिबंध के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-109.0101.9534- कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन	मूल पुनर्वि.	310.00 (-) 310.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा तिमाही व्यय सीमा पर लगाये गए प्रतिबंध के कारण हुई।
2401-109.0101.9537- कृषि अधोसंरचना निधि का संचालन	मूल पुनर्वि.	310.00 (-) 310.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2401-109.0101.9538- निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	682.00 (-) 682.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा तिमाही व्यय सीमा पर लगाये गए प्रतिबंध के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-109.0101.9901- राज्य कृषि वानिकी योजना	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 400.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा तिमाही व्यय सीमा पर लगाये गए प्रतिबंध के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-109.0103.9530- प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार योजना	मूल पुनर्वि.	630.00 (-) 630.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा तिमाही व्यय सीमा पर लगाये गए प्रतिबंध के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-109.0704.7494- सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	मूल पुनर्वि.	1,061.77 (-) 1,061.77	0.00	0.00	0.00	₹ 1,061.77 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 833.36 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 228.41 लाख) भारत सरकार द्वारा मदर सेंक्शन में संशोधन तथा भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-109.0704.9920- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग	मूल पुनर्वि.	488.00 (-) 488.00	0.00	0.00	0.00	₹ 488.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 321.05 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 166.95 लाख) भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज प्राप्त नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई।
2401-109.0706.7493- नेशनल ई गवर्नेंस प्लान	मूल पुनर्वि.	937.02 (-) 937.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-109.0705.7494- सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	मूल पुनर्वि.	280.83 (-) 280.83	0.00	0.00	0.00	₹ 280.83 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 220.43 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 60.40 लाख) भारत सरकार द्वारा मदर सेंक्शन में संशोधन तथा भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-109.0705.7493- नेशनल ई गवर्नेंस प्लान	मूल पुनर्वि.	937.33 (-) 937.33	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-110.0101.8768- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	1,22,094.61 (-) 55,125.10	66,969.51	66,969.51	0.00	₹ 55,125.10 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 46,974.58 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,150.52 लाख) वित्त विभाग के निर्देशानुसार वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत आहरण की स्वीकृति तथा वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत पूर्ण व्यय की अनुमति नहीं मिलने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-110.0102.8768- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	46,000.00 (-) 20,751.22	25,248.78	25,248.78	0.00	₹ 20,751.22 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 14,827.12 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5,924.10 लाख) वित्त विभाग के निर्देशानुसार वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत आहरण की स्वीकृति तथा वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत पूर्ण व्यय की अनुमति नहीं मिलने तथा संभावित बचत के कारण हुई।
2401-110.0103.8768- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	32,000.00 (-) 14,435.63	17,564.37	17,564.37	0.00	₹ 14,435.63 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 10,453.53 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,982.10 लाख) वित्त विभाग के निर्देशानुसार वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत आहरण की स्वीकृति तथा वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत पूर्ण व्यय की अनुमति नहीं मिलने तथा संभावित बचत के कारण हुई।
2401-113.0101.9598- प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	1,220.00 (-) 1,220.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-113.0102.9598- प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	460.00 (-) 460.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-113.0701.7501- फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी	मूल पुनर्वि.	292.80 (-) 292.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के निर्देशानुसार एक योजना के अंतर्गत एक एस.एल. एस. रखने से संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी के एस. एल.एस. कोड एम.पी. 359 के अकार्यशील हो जाने के कारण हुई।
2401-113.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	360.00 (-) 360.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के निर्देशानुसार एक योजना के अंतर्गत एक एस.एल. एस. रखने से संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी के एस. एल.एस. कोड एम.पी. 358 के अकार्यशील हो जाने के कारण हुई।
2401-113.0703.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	240.00 (-) 240.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के निर्देशानुसार एक योजना के अंतर्गत एक एस.एल. एस. रखने से संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी के एस. एल.एस. कोड एम.पी. 358 के अकार्यशील हो जाने के कारण हुई।
2401-113.0704.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	720.02 (-) 720.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के निर्देशानुसार एक योजना के अंतर्गत एक एस.एल. एस. रखने से संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी के एस. एल.एस. कोड एम.पी. 358 के अकार्यशील हो जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-113.0704.7450- ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.)	मूल पुनर्वि.	5,080.00 (-) 3,761.33	1,318.67	1,318.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,761.33 लाख की प्रत्याशित बचत दिसंबर 2024 माह से पी.एफ.एम.एस. के स्थान पर एस.एन.ए. स्पर्श प्रक्रिया शुरू होने के कारण वित्त विभाग द्वारा जनवरी 2025 से राज्यांश का आहरण नहीं करने के कारण हुई।
2401-113.4204- शासकीय मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना	मूल पुनर्वि.	2,363.66 (-) 778.30	1,585.36	1,586.06	+ 0.70	समर्पण के रूप में ₹ 778.30 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-800.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	8,869.72 (-) 7,376.77	1,492.95	5,135.74	+ 3,642.79	समर्पण के रूप में ₹ 7,376.77 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज एवं मदर सेंक्शन प्राप्त नहीं होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एस.एन.ए. स्पर्श मोड्यूल की नई प्रक्रिया शुरू होने तथा स्पर्श मोड्यूल में चल रही कठिनाईयों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-800.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	3,147.32 (-) 1,705.29	1,442.03	2,320.59	+ 878.56	समर्पण के रूप में ₹ 1,705.29 लाख की प्रत्याशित बचत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज एवं मदर सेंक्शन प्राप्त नहीं होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में एस. एन.ए. स्पर्श मोड्यूल की नई प्रक्रिया शुरू होने तथा स्पर्श मोड्यूल में चल रही कठिनाईयों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-800.0704.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	5,913.14 (-) 1,182.63	4,730.51	1,052.67	(-) 3,677.84	समर्पण के रूप में ₹ 1,182.63 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार रिलीज प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2401-800.0801.5311- लघु सिंचाई गणना एवं जल निकायों की गणना	मूल पुनर्वि.	374.11 (-) 374.11	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि सीधे बैंक खातों (सी. एन.ए. मोड्यूल में) में जारी करने के कारण हुई।
2408-01.101.0101.1469- समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान	मूल	62,000.00	62,000.00	44,316.76	(-) 17,683.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.101.0102.1469- समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान	मूल	22,000.00	22,000.00	15,726.21	(-) 6,273.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.7847- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	1,00,000.00 (-) 22,042.46	77,957.54	77,957.54	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 22,042.46 लाख की प्रत्याशित बचत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राशि अंतरित होने तथा वित्त विभाग द्वारा निधि के आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-103.0102.5081- सूरज धारा योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 1,686.80	1,686.81	1,686.81	0.00	₹ 1,686.80 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,699.03 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 12.23 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान तथा न्यायिक प्रकरणों के निपटान के कारण हुई। समर्पण द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-103.0102.8769- अन्नपूर्णा योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 1,222.15	1,222.16	1,222.16	0.00	₹ 1,222.15 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,332.94 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 110.79 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की आवश्यकता, लंबित देयकों के भुगतान तथा न्यायिक प्रकरणों के निपटान के कारण हुई। समर्पण द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-103.0103.5081- सूरज धारा योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 1,215.54	1,215.55	1,215.55	0.00	₹ 1,215.54 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,233.82 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 18.28 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान तथा न्यायिक प्रकरणों के निपटान के कारण हुई। समर्पण द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-103.0103.8769- अन्नपूर्णा योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 613.23	613.24	613.24	0.00	₹ 613.23 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 644.92 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 31.69 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निधि की आवश्यकता, लंबित देयकों के भुगतान तथा न्यायिक प्रकरणों के निपटान के कारण हुई। समर्पण द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-800.0703.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	2,288.96 297.17	2,586.13	2,941.96	+ 355.83	₹ 297.17 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 672.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 374.83 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (4) ₹ 32.13 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-001.0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	मूल पुनर्वि.	35.00 (-) 22.13	12.87	12.87	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 22.13 लाख के विनियोग की प्रत्याशित बचत भर्ती प्रक्रिया के प्रक्रियाधीन होने तथा वित्त विभाग द्वारा त्रैमासिक व्यय सीमा में छूट नहीं मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई।
2401-113.4204-शासकीय मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :
दत्तमत

- (6) ₹ 2,570.14 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4401-113.0101.1457-म.प्र. में कृषि अनुसन्धान को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	310.00 (-) 310.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना समीक्षा समिति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4401-113.0102.1457- म.प्र. में कृषि अनुसन्धान को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	110.00 (-) 110.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना समीक्षा समिति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।
4401-800.0101.9576- कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	930.00 (-) 930.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत त्रैमासिक व्यय सीमा पर वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई।
4401-800.0102.9576- कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	330.00 (-) 330.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत त्रैमासिक व्यय सीमा पर वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई।
4401-800.0103.9576- कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	240.00 (-) 240.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत त्रैमासिक व्यय सीमा पर वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई।
4402-800.4289 - संचालनालय मुख्यालय स्तर का अमला	मूल पुनर्वि.	360.28 (-) 110.13	250.15	250.15	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 110.13 लाख की प्रत्याशित बचत त्रैमासिक व्यय सीमा पर वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी

(मुख्य शीर्ष—2216—आवास, 2403—पशुपालन, 4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	20,87,75,58			
पूरक	0	20,87,75,58	13,26,39,89	(-) 7,61,35,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,61,35,35

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	13,88			
पूरक	0	13,88	12,56	(-) 1,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,32

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	62,02,73			
पूरक	0	62,02,73	16,35,25	(-) 45,67,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				45,67,48

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

(1) ₹ 76,135.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 76,135.35 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-001.0705.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	180.48 (-) 147.15	33.33	33.33	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 147.15 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज कम राशि की प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-001.0801.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	213.62 (-) 207.12	6.50	6.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 207.12 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज कम राशि की प्राप्त होने के कारण हुई।
2403-001.0802.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	80.54 (-) 80.54	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज कम राशि की प्राप्त होने के कारण हुई।
2403-001.0803.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	56.04 (-) 56.04	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज कम राशि की प्राप्त होने के कारण हुई।
2403-101.0101.1443-मुख्यमंत्री सहकारिता दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	9,300.00 (-) 9,300.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-101.0101.9612-मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	मूल पुनर्वि.	11,801.00 (-) 9,106.07	2,694.93	2,694.93	0.00	₹ 9,106.07 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 8,648.37 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 457.70 लाख) योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने पर व्यय—सीमा तक व्यय करने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0102.1443-मुख्यमंत्री सहकारिता दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	3,300.00 (-) 3,300.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0102.9612-मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	मूल पुनर्वि.	4,550.00 (-) 3,458.00	1,092.00	1,092.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,458.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना हेतु व्यय—सीमा तक व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर व्यय किया गया एवं वित्त विभाग को व्यय—सीमा बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया किन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय नहीं किये जा सकने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0103.1443-मुख्यमंत्री सहकारिता दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	2,400.00 (-) 2,400.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-101.0103.9612- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना	मूल पुनर्वि.	3,200.00 (-) 2,432.00	768.00	768.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,432.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना हेतु व्यय—सीमा तक व्यय करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर व्यय किया गया एवं वित्त विभाग को व्यय—सीमा बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया किन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय नहीं किये जा सकने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0701.1458- महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	2,537.94 (-) 1,611.93	926.01	926.01	0.00	₹ 1,611.93 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,581.14 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 30.79 लाख) अंशतः संभावित बचत, मैप किये गए शीर्ष से राशि के आहरण तथा भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के कारण हुई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बाद भी 600.00 लाख की राशि का आहरण नहीं की जा सका। समर्पण के रूप में शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2403-101.0703.1458- महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 521.66	178.34	178.34	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 521.66 लाख की प्रत्याशित बचत मैप किये गए शीर्ष से राशि के आहरण तथा भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2403-101.0704.1458- महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	1,396.30 (-) 1,111.98	284.32	284.32	0.00	₹ 1,111.98 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,002.04 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 109.94 लाख) अंशतः संभावित बचत तथा भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर व्यय के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-101.0705.9570- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल पुनर्वि.	723.90 (-) 562.61	161.29	161.29	0.00	₹ 562.61 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.10 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 562.51 लाख) सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2403-101.0706.1458- महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	1,366.00 (-) 1,309.41	56.59	56.59	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,309.41 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर व्यय के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0801.1505- नेशनल एनिमल डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन.ए. डी.सी.पी.)	मूल पुनर्वि.	4,712.00 (-) 2,600.53	2,111.47	2,111.47	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,600.53 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर व्यय के कारण हुई।
2403-101.0802.1505- नेशनल एनिमल डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन.ए. डी.सी.पी.)	मूल पुनर्वि.	1,672.00 (-) 1,582.00	90.00	90.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,582.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर व्यय के कारण हुई।
2403-101.0803.1505- नेशनल एनिमल डिजीज कन्ट्रोल प्रोग्राम (एन.ए. डी.सी.पी.)	मूल पुनर्वि.	1,216.00 (-) 1,216.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर व्यय के कारण हुई।
2403-102.0101.7482- गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र	मूल पुनर्वि.	5,007.58 (-) 3,609.81	1,397.77	1,397.77	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,609.81 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुपात में व्यय तथा राशि सब्सिडी शीर्ष 42-007 से ₹ 71 से प्रति गाय प्रति दिन की दर पर अनुबंध अनुसार वितरित किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-102.0102.1108- गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	18,774.66 (-) 4,056.31	14,718.35	14,718.12	(-) 0.23	₹ 4,056.31 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 7.44 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4,063.75 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,056.31 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7.44 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुपात में व्यय, मजदूरों की मजदूरी, तथा अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त संस्थानों हेतु वर्दियों की धुलाई के लिए भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-107.0701.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	1,159.78 (-) 853.95	305.83	305.83	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 853.95 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज कम राशि की प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-107.0704.7595- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	773.19 (-) 673.19	100.00	100.00	0.00	₹ 673.19 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 601.60 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 71.59 लाख) भारत सरकार से रिलीज कम राशि की प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-113.0701.1971- दुग्ध, अंडा, ऊन एवं मांस के उपलब्धता के अनुमान	मूल पुनर्वि.	334.60 (-) 254.60	80.00	80.00	0.00	₹ 254.60 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 271.60 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के कारण निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी अंशतः प्रावधान अनुसार भारत सरकार से अपर्याप्त रिलीज के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2403-113.0704.1971- दुग्ध, अंडा, ऊन एवं मांस के उपलब्धता के अनुमान	मूल पुनर्वि.	312.10 (-) 232.10	80.0	80.00	0.00	₹ 232.10 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 249.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के कारण निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी अंशतः प्रावधान अनुसार भारत सरकार से अपर्याप्त रिलीज के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2403-800.0801.6625- पशु संगणना की योजना	मूल पुनर्वि.	1,882.29 (-) 1,790.36	91.93	91.93	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,790.36 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर व्यय के कारण हुई।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-800.0102.2087- आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना	मूल	188.60	188.60	190.50	+ 1.90	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-101.0701.9570- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल पुनर्वि.	3,059.80 1,504.10	4,563.90	4,563.90	0.00	₹ 1,504.10 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,520.94 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 16.84 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी सांकेतिक प्रावधान तथा जिलों द्वारा समय पर एस.एन.ए. स्पर्श खातों से आहरण नहीं करने के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2403-101.0702.1458- महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	0.02 107.23	107.25	107.25	0.00	₹ 107.23 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 109.94 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 2.71 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी क्रय आदेश जारी होने के बाद कुछ देयकों के अप्राप्त रहने तथा सांकेतिक प्रावधान के कारण हुई।
2403-101.0703.9570- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल पुनर्वि.	789.70 264.55	1,054.25	1,054.25	0.00	₹ 264.55 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 533.29 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 268.74 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी सांकेतिक प्रावधान तथा जिलों द्वारा समय पर एस.एन.ए. स्पर्श खातों से आहरण नहीं करने के कारण हुई। शेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2403-101.5482- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	119.57 71.84	191.41	191.41	0.00	₹ 71.84 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 84.19 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 12.35 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सी.बी.डब्ल्यू. टी.एफ. को भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी सांकेतिक प्रावधान तथा कुछ जिलों द्वारा पुनर्विनियोजित राशि का आहरण नहीं किये जा सकने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी समाप्त

प्रभारित

(4) ₹ 1.32 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत

(5) ₹ 4,567.48 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4403-101.0101.9588- पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	530.01 (-) 80.14	449.87	449.87	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 80.14 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः नए औषधालय की स्थापना और उन्नयन नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा निधि के अप्रयुक्त रहने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-101.0103.9588- पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	140.01 (-) 48.68	91.33	91.33	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 48.68 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः नए औषधालय की स्थापना और उन्नयन नहीं होने, वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित किये जाने तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा निधि के अप्रयुक्त रहने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-800.0101.7482- गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र	मूल पुनर्वि.	5,000.01 (-) 4,347.96	652.05	652.05	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,347.96 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः सांकेतिक प्रावधान तथा अभ्यारण्य निर्माण हेतु आवंटित निधि के स्वीकृति नहीं मिलने पर राशि के समर्पण के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग

(मुख्य शीर्ष—2225—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	38,77,59			
पूरक	98,42	39,76,01	26,78,84	(-) 12,97,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	9,32,03			
पूरक	0	9,32,03	7,32,69	(-) 1,99,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 15—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 98.42 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,297.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01.102.0101.9094- समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	मूल	200.00	200.00	99.79	(-) 100.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2225-01.277.0101.7395- सैनिक स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	मूल	64.40	64.40	0.00	(-) 64.40	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2225-01.277.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	500.00	500.00	400.00	(-) 100.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल पूरक	1,802.40 0.19	1,802.59	969.74	(-) 832.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 199.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-01.800.0101.7216- विमुक्त जाति मुख्यालय	मूल	14.96	14.96	4.34	(-) 10.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4225-01.800.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	400.00	400.00	254.14	(-) 145.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

(मुख्य शीर्ष— 2405-मछली उद्योग, 4405-मछली उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	2,04,73,78	3,29,05,89	1,97,59,78	(-) 1,31,46,11
पूरक	1,24,32,11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				14,51,59

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	10,00	15,90	15,90	0
पूरक	5,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	25,15,08	25,15,08	18,68,13	(-) 6,46,95
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				8

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 12,432.11 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 13,146.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,451.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2405-001.2304-निदेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	1,321.94 (-) 360.39	961.55	767.03	(-) 194.52	₹ 360.39 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 370.94 लाख की कमी (समर्पण ₹ 369.19 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1.75 लाख) तथा ₹ 10.55 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि आकस्मिक और व्यवसायिक सेवाओं के कर्मचारियों हेतु मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्तों में कम प्रावधान होने पर निधि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2405-101.0103.9613-मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना	मूल	778.44	778.44	650.28	(-) 128.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2405-101.0701.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल	2,852.12	6,348.07	3,372.23	(-) 2,975.84	₹ 290.34 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 294.86 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4.52 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु एस.एन.ए. स्पर्श की नई प्रक्रिया के क्रियान्वयन किये जाने के कारण जबकि कमी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु एस. एन.ए. स्पर्श की नई प्रक्रिया के क्रियान्वयन किये जाने के कारण हुई। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	3,205.61				
	पुनर्वि.	290.34				
2405-101.0702.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल	1,012.04	5,495.79	2,862.21	(-) 2,633.58	₹ 127.97 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 194.91 लाख की वृद्धि तथा ₹ 66.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु एस.एन.ए. स्पर्श की नई प्रक्रिया के क्रियान्वयन किये जाने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	4,355.78				
	पुनर्वि.	127.97				
2405-101.0704.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल	1,901.42	3,892.65	1,402.13	(-) 2,490.52	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 216.06 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	2,207.29				
	पुनर्वि.	(-) 216.06				

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2405-101.0705.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल	674.70				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 194.91 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	1,105.15				
	पुनर्वि.	(-) 194.91	1,584.94	415.44	(-) 1,169.50	
2405-101.0706.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल	490.68				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 153.07 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	623.32				
	पुनर्वि.	(-) 153.07	960.93	271.58	(-) 689.35	
2405-101.0162- मत्स्यउद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल	5,849.97				₹ 1,102.21 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,065.69 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 36.52 लाख) संभावित बचत तथा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-) 1,102.21	4,747.76	4,050.28	(-) 697.48	

पूँजीगत :

दत्तमत

(4) ₹ 646.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 मार्च 2025 को केवल ₹ 0.08 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4405-101.0704.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल	620.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 370.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	(-) 370.00	250.00	250.00	0.00	

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4405-101.0705.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल पुनर्वि.	220.00 (-) 220.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4405-101.0706.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल पुनर्वि.	160.00 (-) 160.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः
प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4405-101.0703.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मूल पुनर्वि.	240.00 160.00	400.00	400.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 160.00 लाख का निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

(मुख्य शीर्ष—2425—सहकारिता, 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 6425—सहकारिता के लिये कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	9,63,84,20			
पूरक	84,50,00	10,48,34,20	8,67,40,20	(-) 1,80,94,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,04,89,79

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	12,00			
पूरक	0	12,00	0	(-) 12,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				10,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	10,05,29,08			
पूरक	0	10,05,29,08	3,00,72,94	(-) 7,04,56,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,02,07,60

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी.

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 8,450.00 लाख का अनुपूरक अनुदान दिसंबर 2024 में (₹ 5,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 में प्राप्त (₹ 3,450.00 लाख) अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 18,094.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 10,489.79 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-001.0101.0123-स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	7,512.19 (-) 2,210.02	5,302.17	5,299.25	(-) 2.92	₹ 2,210.02 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 1.05 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,211.07 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,210.02 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1.05 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतन भुगतान के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-101.0101.9088-म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण	मूल	8.00	8.00	0.00	(-) 8.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2425-101.0359-ऑडिट बोर्ड	मूल पुनर्वि.	7,388.93 (-) 2,797.70	4,591.23	4,590.41	(-) 0.82	समर्पण के रूप में ₹ 2,797.70 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0101.2341-मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	309.16 (-) 309.16	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 309.16 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के अंतर्गत सेगमेंट में कोई दावा शेष नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0101.5006- प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	मूल पुनर्वि.	9,091.22 (-) 0.02	 9,091.20	 7,272.96	 (-) 1,818.24	समर्पण के रूप में ₹ 0.02 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में जिला कार्यालयों द्वारा व्यय हेतु निधि के आहरण की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2425-107.0102.2341- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	116.57 (-) 116.57	 0.00	 0.00	 0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 116.57 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के सेगमेंट में कोई दावा शेष नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0102.9254- सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	13,800.00 (-) 6,800.00	 7,000.00	 7,007.04	 + 7.04	₹ 6,800.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण 7.04 लाख + पुनर्विनियोजन 6,792.96 लाख) वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में जिला कार्यालयों द्वारा व्यय हेतु निधि के आहरण की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2425-107.0103.2341- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	81.09 (-) 81.09	 0.00	 0.00	 0.00	समर्पण के रूप में ₹ 81.09 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग की अनुमति पश्चात योजना समाप्त किये जाने के कारण योजना कोड 9254 में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0103.5006-प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,384.58 (-) 925.94	1,458.64	981.72	(-) 476.92	समर्पण के रूप में ₹ 925.94 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में जिला कार्यालयों द्वारा व्यय हेतु निधि के आहरण की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2425-107.0103.9254-सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	9,600.00 (-) 2,780.00	6,820.00	2,823.01	(-) 3,996.99	समर्पण के रूप में ₹ 2,780.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में जिला कार्यालयों द्वारा व्यय हेतु निधि के आहरण की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0701.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	1,171.20 (-) 161.50	1,009.70	775.46	(-) 234.24	समर्पण के रूप में ₹ 161.50 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त किश्त का वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0704.1081-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	780.80 (-) 107.67	673.13	516.98	(-) 156.15	समर्पण के रूप में ₹ 107.67 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त किश्त का वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0705.1081- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	294.40 (-) 40.60	253.80	194.93	(-) 58.87	समर्पण के रूप में ₹ 40.60 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त किश्त का वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0706.1081- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	204.80 (-) 28.24	176.56	135.60	(-) 40.96	समर्पण के रूप में ₹ 28.24 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त किश्त का वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0101.9254- सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	36,600.00 8,450.00 6,551.23	51,601.23	51,678.69	+ 77.46	₹ 6,551.23 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा 7,218.69 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 667.46 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वित्तीय वर्ष में लंबित देनदारियों के विरुद्ध बचत आवंटन में कमी के कारण जबकि कमी वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में जिला कार्यालयों द्वारा व्यय हेतु निधि के आहरण की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता समाप्त

प्रभारित

- (5) ₹ 12.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 10.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (6) ₹ 70,456.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 70,207.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0101.5318- सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	मूल पुनर्वि.	62,000.00 (-) 32,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 32,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4425-107.0101.6684- नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूँजी सहायता	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिला कार्यालयों द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र नहीं होने पर अंशपूँजी सहायता प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4425-107.0102.5318- सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	मूल पुनर्वि.	22,000.00 (-) 22,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 22,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु आहरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4425-107.0103.5318- सहकारी बैंकों को अंशपूँजी	मूल पुनर्वि.	16,000.00 (-) 16,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 16,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु आहरण की प्राप्त न होने के कारण हुई।
4425-107.0801.1449- आर.सी.एस. कार्यालय का कंप्यूटरीकरण (केंद्र प्रवर्तित)	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 120.00	30.00	0.00	(-) 30.00	समर्पण के रूप में ₹ 120.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 18—श्रम

(मुख्य शीर्ष— 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00,00,74	18,00,00,74	16,66,63,13	(-) 1,33,37,61
पूरक	8,00,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				24,46,38

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,00	17,00	0	(-) 17,00
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,79,18	1,79,18	18,83	(-) 1,60,35
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				18,53

अनुदान संख्या 18—श्रम जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 13,337.61 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 (₹ 20,000.00 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 60,000.00 लाख) में प्राप्त ₹ 80,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 13,337.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 2,446.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.102.0791-कर्मचारी राज्य बीमा योजना	मूल	27,935.93	27,935.93	19,732.44	(-) 8,203.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-01.101.0712-औद्योगिक न्यायालय	मूल	1,667.74	1,667.74	730.67	(-) 937.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-01.101.4271-श्रम कानूनों के कार्यन्वयन के लिए अमला	मूल पुनर्वि.	4,142.35 (-) 1,372.88	2,769.47	2,751.63	(-) 17.84	₹ 1,372.88 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 1,374.38 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,372.88 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1.50 लाख) तथा ₹ 1.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः प्रावधानित राशि एवं वास्तविक व्यय के आधार के कारण जबकि वृद्धि मंहगाई भत्ते के लिए कम प्रावधान एवं स्थायी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2230-01.101.4272-श्रम न्यायालय	मूल	3,475.37	3,475.37	1,947.76	(-) 1,527.61	पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (₹ 50.77 लाख) की वृद्धि तथा कमी हुई। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2230-01.102.5810-औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	1,277.41 (-) 586.05	691.36	688.93	(-) 2.43	समर्पण के रूप में ₹ 586.05 लाख की प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—श्रम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01.112.0101.6808-असंगठित कर्मकार मंडल की स्थापना	मूल पुनर्वि.	60.00 (-) 48.00	12.00	0.00	(-) 12.00	समर्पण के रूप में ₹ 48.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2230-01.112.0801.1369-नेशनल डेटाबेस असंगठित श्रमिक	मूल	76.25	76.25	0.00	(-) 76.25	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (4) ₹ 17.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.102. 0791-कर्मचारी राज्य बीमा योजना	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (6) ₹ 160.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 18.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.102.0791-कर्मचारी राज्य बीमा योजना	मूल	132.13	132.13	3.61	(-) 128.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(मुख्य शीर्ष— 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211—परिवार कल्याण, 2216—आवास, 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,42,35,44,25	1,45,25,44,25	1,10,85,49,08	(-) 34,39,95,17
पूरक	2,90,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,50	20,50	0	(-) 20,50
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,73,07,27	12,73,07,27	7,27,69,06	(-) 5,45,38,21
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 29,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,43,995.17 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.6382-राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कोष	मूल	200.00	200.00	16.00	(-) 184.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.001.0101.7660-कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.001.0101.7833-स्वास्थ्य संस्थाओं का अनुरक्षण कार्य	मूल	4,880.00	4,880.00	177.80	(-) 4,702.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	7,320.00	7,320.00	4,089.19	(-) 3,230.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.001.0102.7833-स्वास्थ्य संस्थाओं का अनुरक्षण कार्य	मूल	1,840.00	1,840.00	111.36	(-) 1,728.64	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.001.0102.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	2,760.00	2,760.00	0.00	(-) 2,760.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.001.0103.7833-स्वास्थ्य संस्थाओं का अनुरक्षण कार्य	मूल	1,280.00	1,280.00	149.67	(-) 1,130.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.001.0103.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	1,920.00	1,920.00	0.00	(-) 1,920.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.110.0103.5426-स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रक्त सेवाओं का सृष्टीकरण	मूल	120.50	120.50	0.00	(-) 120.50	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.0701.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम)	मूल	1,67,142.01	1,67,142.01	1,01,647.00	(-) 65,495.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0701.9923- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	2,517.32	2,517.32	378.00	(-) 2,139.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.110.0702.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम)	मूल	59,693.01	59,693.01	36,962.40	(-) 22,730.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0702.9923- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	898.66	898.66	126.00	(-) 772.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.110.0703.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम)	मूल	43,360.01	43,360.01	25,082.00	(-) 18,278.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.110.0703.9923- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	626.22	626.22	93.00	(-) 533.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.110.0704.9923- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	1,589.56	1,589.56	252.00	(-) 1,337.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.110.0705.9923- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	598.78	598.78	84.00	(-) 514.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.110.0706.9923- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	418.06	418.06	62.00	(-) 356.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-01.110.1301.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल	1,09,789.02	1,09,789.02	13,491.00	(-) 96,298.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.1302.9922-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल	41,395.86	41,395.86	0.00	(-) 41,395.86	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.1303.9922-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल	28,797.12	28,797.12	0.00	(-) 28,797.12	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-03.103.0102.7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	मूल	246.03	246.03	77.01	(-) 169.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-05.105.0102.2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	मूल	442.54	442.54	70.58	(-) 371.96	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-06.003.0101.4224-शिक्षा और प्रशिक्षण	मूल	127.14	127.14	16.65	(-) 110.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-06.101.0101.9585-राज्य हिमोग्लोबिनो पैथी मिशन	मूल	960.55	960.55	177.65	(-) 782.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-06.101.0701.1131-सिकलसेल (एनीमिया)	मूल	1,420.28	1,420.28	0.00	(-) 1,420.28	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-06.101.0702.1131-सिकलसेल (एनीमिया)	मूल	535.50	535.50	0.00	(-) 535.50	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-06.101.0703.1131-सिकलसेल (एनीमिया)	मूल	372.48	372.48	0.00	(-) 372.48	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-06.101.0704.1131-सिकलसेल (एनीमिया)	मूल	946.62	946.62	0.00	(-) 946.62	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-06.101.0705.1131-सिकलसेल (एनीमिया)	मूल	356.76	356.76	0.00	(-) 356.76	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-06.101.0706.1131-सिकलसेल (एनीमिया)	मूल	248.26	248.26	0.00	(-) 248.26	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-06.102.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	61.00	61.00	0.00	(-) 61.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2211-800.0101.1531-मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा	मूल	1,493.00	1,493.00	0.00	(-) 1,493.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2211-800.0102.1531-मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा	मूल	563.00	563.00	0.00	(-) 563.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2211-800.0103.1531-मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा	मूल	392.00	392.00	0.00	(-) 392.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.0101.9569-आयुष्मान भारत (नान एस. ई.सी.सी. हितग्राही)	मूल	24,400.00				आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	5,490.00	29,890.00	78,080.00	+ 48,190.00	
2210-01.110.0102.9569-आयुष्मान भारत (नान एस. ई.सी.सी. हितग्राही)	मूल	9,200.00				आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	2,070.00	11,270.00	29,440.00	+ 18,170.00	

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.0103.9569- आयुष्मान भारत (नान एस. ई.सी.सी. हितग्राही)	मूल	6,400.00	7,840.00	20,480.00	+ 12,640.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	1,440.00				

प्रभारित

(5) ₹ 20.50 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.2283- निदेशन और प्रशासन	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

(7) ₹ 54,538.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0101.1320- नर्सिंग अधोसंरचना का उन्नयन एवं सुदृढीकरण	मूल	1,403.00	1,403.00	0.00	(-) 1,403.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4210-01.110.0101.1473- जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	मूल	43.32	43.32	0.00	(-) 43.32	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4210-01.110.0103.1320- नर्सिंग अधोसंरचना का उन्नयन एवं सुदृढीकरण	मूल	368.00	368.00	0.00	(-) 368.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य- बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0702.9923- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	3,905.00	3,905.00	1,134.00	(-) 2,771.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-01.110.0705.9923- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	2,600.00	2,600.00	756.00	(-) 1,844.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-01.110.0706.9923- प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल	1,816.00	1,816.00	560.00	(-) 1,256.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-01.110.1301.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल	15,187.00	15,187.00	0.00	(-) 15,187.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4210-01.110.1302.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल	6,400.00	6,400.00	0.00	(-) 6,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4210-01.110.1303.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	मूल	8,792.00	8,792.00	0.00	(-) 8,792.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4210-01.110.1701.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	316.00	316.00	31.09	(-) 284.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-01.110.1703.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	280.00	280.00	38.63	(-) 241.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-02.104.1701.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4210-02.104.1702.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	400.00	400.00	30.83	(-) 369.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-02.104.1703.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4210-04.107.0101.1110- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण (राज्य सहायित)	मूल	99.80	99.80	25.82	(-) 73.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-04.107.0102.1110- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण (राज्य सहायित)	मूल	50.19	50.19	8.71	(-) 41.48	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.104.0101.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	13,430.00	13,430.00	15,485.75	+ 2,055.75	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4210-02.104.0103.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	8,480.00	8,480.00	12,028.12	+ 3,548.12	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

- (10) समर्पण स्वीकृति क्र. 6/बजट-2210/2024-25/1393-ए-भोपाल दिनांक 31.03.2025 राशि ₹ 27,20,83,96,436 को पूर्ण वर्गीकरण के अभाव में एवं वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(मुख्य शीर्ष-2215—जलपूर्ति तथा सफाई, 3604— स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	11,01,33,89			
पूरक	84,00,01	11,85,33,90	9,81,32,48	(-) 2,04,01,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,38,77,00

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	2,25,00			
पूरक	0	2,25,00	2,23,25	(-) 1,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	91,75,59,54			
पूरक	63,59,70,00	1,55,35,29,54	1,48,39,74,28	(-) 6,95,55,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				6,09,98

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 (₹ 5,400.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 3,000.01 लाख) में प्राप्त ₹ 8,400.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(2) ₹ 20,401.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 13,877.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,204.53 (-) 574.37	3,630.16	3,492.16	(-) 138.00	₹ 574.37 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 599.57 लाख की कमी (समर्पण ₹ 574.37 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 25.20 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.20 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि संविदा पर नियुक्त कर्मियों के नियमित पदों के समान वर्गीकृत होने के कारण वेतन में वृद्धि होने, विभाग के कर्मचारियों एवं नियुक्त परामर्शदाताओं को भुगतान के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.001.2714- प्रशासन	मूल पुनर्वि.	53,790.42 (-) 10,528.22	43,262.20	42,450.56	(-) 811.64	₹ 10,528.22 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 10,564.22 लाख की कमी (समर्पण ₹ 10,528.22 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 36.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि लंबित चिकित्सकीय देयकों एवं न्यायिक मामलों के वकीलों की फीस के भुगतान तथा विभाग में नियुक्त परामर्शदाताओं को भुगतान के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01.101.0101.0545- प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	19,657.87 (-) 2,746.50	16,911.37	14,814.64	(-) 2,096.73	₹ 2,746.50 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2,896.50 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,746.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 150.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि कर्मचारियों के लंबित चिकित्सकीय देयकों के भुगतान के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.101.0102.0545- प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	215.56 (-) 7.95	207.61	108.30	(-) 99.31	समर्पण के रूप में ₹ 7.95 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.102.0101.8415- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण	मूल पूरक	4,500.00 5,574.00	10,074.00	7,560.12	(-) 2,513.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-196.0101.0819- पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल	2,400.00	2,400.00	2,076.63	(-) 323.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3604-196.0102.0819- पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल	920.00	920.00	787.27	(-) 132.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3604-196.0103.0819- पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल	640.00	640.00	553.55	(-) 86.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(4) उचंत लेन देन:—				
इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2024-25 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को यदि लेख के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत चार उप-खण्ड होते हैं।				
(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।				
प्रत्येक उपभाग के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:—				
(i) क्रय— राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उप शीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।				
(ii) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहित सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।				
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।				
(iv) कार्यशाला उचंत— किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।				
वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उप शीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतःशेषों सहित नीचे दिया गया है:—				
विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंत शेष नामे+जमा (-)
2215—जल पूर्ति तथा सफाई				(लाख ₹ में)
(i) क्रय	(-) 4,410.17	0.00	0.00	(-) 4,410.17
(ii) भण्डार	+ 943.73	0.00	0.00	+ 943.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 20,309.20	0.00	0.00	+ 20,309.20
योग	+ 16,842.76	0.00	0.00	+ 16,842.76

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

प्रभारित

(5) ₹ 1.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) ₹ 1.75 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

(7) ₹ 69,555.26 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 (₹ 3,51,500.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 2,84,470.00 लाख) में प्राप्त ₹ 6,35,970.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(8) ₹ 69,555.26 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 609.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(9) निम्नलिखित उप शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय विभिन्नताएं देखी गई हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01.001.0101.9551- सिंचाई एवं पेजयल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	21,730.64 (-) 4,575.00	17,155.64	0.00	(-) 17,155.64	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,575.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत तथा कार्य प्रगति की धीमी गति होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4215-01.001.0102.9551- सिंचाई एवं पेजयल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	8,193.52 (-) 1,725.00	6,468.52	0.00	(-) 6,468.52	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,725.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत तथा कार्य प्रगति की धीमी गति होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4215-01.001.0103.9551- सिंचाई एवं पेजयल योजनाओं का सौर उर्जाकरण	मूल पुनर्वि.	5,699.84 (-) 1,200.00	4,499.84	0.00	(-) 4,499.84	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत तथा कार्य प्रगति की धीमी गति होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4215-01.001.0103.1854- ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन/वर्कशाप/ एयरकम्प्रेसन	मूल पुनर्वि.	5,695.52 (-) 609.98	5,085.54	3,708.62	(-) 1,376.92	समर्पण के रूप में ₹ 609.98 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01.102.0701.5468- जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	2,49,820.00 2,34,078.30 (-) 3,11,253.30	1,72,645.00	1,59,081.70	(-) 13,563.30	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,11,253.30 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत, केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने तथा राज्यांश की तत्काल आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4215-01.102.0702.5468- जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	1,09,151.00 88,259.00 (-) 1,45,635.67	51,774.33	46,660.33	(-) 5,114.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,45,635.67 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार से पहली किश्त के तीसरे हिस्से के रूप में केन्द्रांश की आवश्यकता, केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने तथा राज्यांश की तत्काल आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4215-01.102.0703.5468- जल जीवन मिशन (जे.जे. एम.) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	96,018.00 61,397.70 (-) 97,365.03	60,050.67	56,492.97	(-) 3,557.70	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 97,365.03 लाख की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार से पहली किश्त के तीसरे हिस्से के रूप में केन्द्रांश की आवश्यकता, केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने तथा राज्यांश की तत्काल आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन

(मुख्य शीर्ष—2053—जिला प्रशासन, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,20,67,00	1,20,67,00	69,81,38	(-) 50,85,62
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				2,79,80

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20	20	0	(-) 20
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				20

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,00,00	1,00,00	0	(-) 1,00,00
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				1,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 5,085.62 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 मार्च 2025 को केवल ₹ 279.80 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 21-लोक सेवा प्रबंधन जारी

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-093.0101.6483-अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	मूल	6,500.00	6,500.00	2,080.00	(-) 4,420.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2053-093.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 72.00	128.00	101.83	(-) 26.17	समर्पण के रूप में ₹ 72.00 लाख की प्रत्याशित बचत एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2053-800.0101.1165-जीवन विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था	मूल	305.00	305.00	122.00	(-) 183.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.0101.5722-कॉल सेंटर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 450.00	2,050.00	2,050.00	0.00	₹ 450.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 300.00 लाख + समर्पण ₹ 150.00 लाख) अन्य विभागीय परीक्षण केन्द्रों के कम संचालन, पद रिक्त रहने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.0102.1165-जीवन विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था	मूल	115.00	115.00	46.00	(-) 69.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.0103.1165-जीवन विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था	मूल	80.00	80.00	32.00	(-) 48.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-800.7047-लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान	मूल पुनर्वि.	300.00 300.00	600.00	600.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख का निधि का आवर्धन लोक सेवा केन्द्रों को वी.जी.एफ. भुगतान के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

(4) ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत 28 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आरम्भ नहीं किए गए लोक सेवा केन्द्रों के निर्माण की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-) 100.00				

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास

(मुख्य शीर्ष— 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2215—जल पूर्ति तथा सफाई, 2217—शहरी विकास, 3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217—शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,02,83,50,01			
पूरक	65,38,02	1,03,48,88,03	88,37,12,09	(-) 15,11,75,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				14,72,91

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,44,05,10			
पूरक	2,29,35,00	14,73,40,10	12,97,54,14	(-) 1,75,85,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	49,76,40,03			
पूरक	5,70,00,01	55,46,40,04	36,91,81,61	(-) 18,54,58,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				52,39

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,40,00,02			
पूरक	0	2,40,00,02	2,07,18,00	(-) 32,82,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अतः दिसंबर 2024 (₹ 6,000.02 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 538.00 लाख) में प्राप्त ₹ 6,538.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,51,175.94 लाख की अत्यधिक लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,472.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-05.191.0101.9836- नगरीय पथ व्यवसायी उत्थान योजना	मूल 800.00	800.00	64.00	(-) 736.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.191.0102.7357- झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास	मूल 204.70	204.70	0.00	(-) 204.70 सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.191.0701.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल 5,100.00	5,100.00	808.00	(-) 4,292.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.191.0702.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल 1,400.00	1,400.00	112.00	(-) 1,288.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.191.0703.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल 1,000.00	1,000.00	80.00	(-) 920.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.191.0704.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल 3,700.00	3,700.00	562.67	(-) 3,137.33 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-05.191.0705.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल	800.00	800.00	64.00	(-) 736.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.191.0706.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल	500.00	500.00	40.00	(-) 460.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.191.1301.9640- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान	मूल	52,400.00	52,400.00	12,777.00	(-) 39,623.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.191.1303.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	8,744.00	8,744.00	0.00	(-) 8,744.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.192.0101.9836- नगरीय पथ व्यवसायी उत्थान योजना	मूल	500.00	500.00	40.00	(-) 460.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.192.1303.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	8,744.00	8,744.00	0.00	(-) 8,744.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.193.0101.9836- नगरीय पथ व्यवसायी उत्थान योजना	मूल	700.00	700.00	56.00	(-) 644.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.193.1301.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	22,224.33	22,224.33	0.00	(-) 22,224.33	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023—24 तथा 2022—23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0101.1546- सिंहस्थ—2028	मूल	500.01	500.01	0.00	(-) 500.01	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0101.2045- शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के हितग्राही अंश में राज्य सरकार का ब्याज अनुदान	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-05.800.0101.7357- झीलों तथा तालाबों का संरक्षण एवं विकास	मूल	685.30	685.30	138.44	(-) 546.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0101.9019- शहीदों के परिवारों को भू खंड	मूल	240.00	240.00	23.91	(-) 216.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0101.9488- मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना (फेज-3)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0701.1335- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कैपेसिटी बिल्डिंग	मूल	2,264.90	2,264.90	555.50	(-) 1,709.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0701.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल	579.99	579.99	0.00	(-) 579.99	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0701.7838- अटल मिशन फॉर रेज्युवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत 2.0)	मूल	18,840.00	18,840.00	0.00	(-) 18,840.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0702.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल	152.13	152.13	0.00	(-) 152.13	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0703.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल	218.68	218.68	0.00	(-) 218.68	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0704.1335- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कैपेसिटी बिल्डिंग	मूल	1,509.00	1,509.00	370.33	(-) 1,138.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0704.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल	468.72	468.72	0.00	(-) 468.72	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-05.800.0704.7838-अटल मिशन फॉर रेज्युवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत 2.0)	मूल	24,000.00	24,000.00	0.00	(-) 24,000.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0705.7706-स्वच्छ भारत अभियान	मूल	122.94	122.94	0.00	(-) 122.94	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0706.7706-स्वच्छ भारत अभियान	मूल	176.73	176.73	0.00	(-) 176.73	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3604-191.0101.9578-नगरीय निकायों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अग्निशमन व्यवस्था हेतु अनुदान	मूल	3,000.00	3,000.00	0.00	(-) 3,000.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-191.9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-192.9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-193.9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	404.00	404.00	0.00	(-) 404.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-05.800.0101.7039-शहरी सुधार कार्यक्रम	मूल	700.00	700.00	1,700.00	+ 1,000.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-05.800.0101.7664-निम्न दाब सड़क बत्ती विद्युत संयोजनों की विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी	मूल	100.00	100.00	19,343.00	+ 19,243.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0101.9619-मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना—चतुर्थ चरण	मूल पूरक	25,000.00 5,000.00	30,000.00	40,000.00	+ 10,000.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0701.1356-शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आई.ई.सी.	मूल	60.00	60.00	3,840.00	+ 3,780.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0701.1544-हाउसिंग फॉर आल कैपेसिटी बिल्डिंग-1	मूल	0.01	0.01	1,606.15	+ 1,606.14	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0701.1545-हाउसिंग फॉर आल कैपेसिटी बिल्डिंग-2	मूल	0.01	0.01	206.01	+ 206.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0704.1356-शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आई.ई.सी.	मूल	40.00	40.00	2,560.00	+ 2,520.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0704.1544-हाउसिंग फॉर आल कैपेसिटी बिल्डिंग-1	मूल	0.01	0.01	535.38	+ 535.37	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2217-05.800.0710.7839-शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0	मूल	0.01	0.01	5,847.00	+ 5,846.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (5) ₹ 17,585.96 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 22,935.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 17,585.96 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 5.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3604-191.0570.1425-पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिए गए ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय	मूल पूरक	77,800.00 20,423.00	98,223.00	80,642.14	(-) 17,580.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

पूँजीगत :

दत्तमत

- (8) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 57,000.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹ 1,85,458.43 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 52.39 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4217-60.051.0701.7838- अटल मिशन फॉर रेज्युवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत 2.0)	मूल	47,100.00	47,100.00	0.00	(-) 47,100.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4217-60.051.0704.7838- अटल मिशन फॉर रेज्युवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत 2.0)	मूल	60,000.00	60,000.00	0.00	(-) 60,000.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4217-60.051.1901.1191- मास्टर प्लान रोड डेवलपमेंट स्कीम	मूल	25,000.00	25,000.00	0.00	(-) 25,000.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4217-60.051.1901.1362- यूनिटी मॉल का निर्माण	मूल	14,200.00	14,200.00	0.00	(-) 14,200.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4217-60.800.0101.1546- सिंहस्थ-2028	मूल	50,000.00	50,000.00	0.00	(-) 50,000.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
6217-60.800.0101.9619- मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना—चतुर्थ चरण	मूल	20,000.00	20,000.00	0.00	(-) 20,000.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

- (11) उपरोक्त टिप्पणी (10) में उल्लेखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति—संतुलित की गई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4217-60.051.0101.1189- कायाकल्प अभियान	मूल	40,000.00	40,000.00	60,000.00	+ 20,000.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4217-60.800.1201.5374- मध्य प्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी) फेस 2	मूल	10,000.00				आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	15,000.00	25,000.00	48,900.00	+ 23,900.00	
4217-60.800.1201.7711- एम.पी. अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल	10,000.00	10,000.00	15,303.00	+ 5,303.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
6217-60.800.0801.9492- उज्जैन स्मार्ट सिटी हेतु भारत सरकार से प्रदाय ऋण/सहायता	मूल	320.00	320.00	800.00	+ 480.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
6217-60.800.1201.5374- मध्य प्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी) फेस 2	मूल	11,500.00	11,500.00	16,600.00	+ 5,100.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

(12) ₹ 3,282.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(13) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4217-60.050.0530.2043- मेट्रो रेल	मूल	24,000.00	24,000.00	20,718.00	(-) 3,282.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

(मुख्य शीर्ष—2700—मुख्य सिंचाई, 2701—मध्यम सिंचाई, 2702—लघु सिंचाई, 2705—कमान क्षेत्र का विकास, 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	14,59,47,34	15,37,47,34	12,95,28,32	(-) 2,42,19,02
पूरक	78,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				3,79,33

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	57,78,59,69	82,93,73,48	82,40,72,15	(-) 53,01,33
पूरक	25,15,13,79			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				51,79,90

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,10,00	10,10,00	8,62,32	(-) 1,47,68
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,47,68

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त 7,800.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 24,219.02 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 379.33 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-80.001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	500.00	500.00	363.20	(-) 136.80	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2700-80.800.0101.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	1,500.00	1,500.00	1,039.37	(-) 460.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2700-80.800.0102.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	700.00	700.00	528.19	(-) 171.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2700-80.800.0103.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	700.00	700.00	550.05	(-) 149.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.800.5422-बाँध सुरक्षा कार्य	मूल	100.00	100.00	23.99	(-) 76.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2701-80.001.0101.0815-कार्यपालिक स्थापना	मूल	1,04,824.44	1,04,824.44	87,486.98	(-) 17,337.46	अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2701-80.001.0102.0815- कार्यपालिक स्थापना	मूल	2,249.98	2,249.98	1,752.73	(-) 497.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.799.0101.1051- स्टॉक	मूल	52.00	52.00	0.00	(-) 52.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.799.0101.4056- विविध-लोक निर्माण पेशगिरियाँ	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधानों के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.800.0101.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	300.00	300.00	228.95	(-) 71.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.800.0102.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	200.00	200.00	155.01	(-) 44.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.800.0103.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	200.00	200.00	148.67	(-) 51.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2702-80.800.0101.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	800.00	800.00	546.30	(-) 253.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2702-80.800.0102.0207- अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल	2,000.00	2,000.00	1,388.75	(-) 611.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2702-80.800.0102.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	600.00	600.00	344.93	(-) 255.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2702-80.800.0103.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल	400.00	400.00	253.55	(-) 146.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2705-800.0101.6544-सिंचाई समितियों को अनुदान एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	45.00 (-) 45.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जल उपभोक्ता संघ के विघटन के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2705-800.0704.3701-राज्य स्तर पर आयाकट सेल	मूल पुनर्वि.	837.92 (-) 329.33	508.59	510.38	+ 1.79	समर्पण के रूप में ₹ 329.33 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2702-80.800.0101.0207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल	3,302.50	3,302.50	3,361.84	+ 59.34	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

(5) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) के व्यय में वर्ष 2024-25 के दौरान 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किये गये हैं। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेख की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न 'उचंत' उप-शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दर्शाया गया है:-

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंत शेष नामे + जमा (-)
2701— मध्यम सिंचाई		(₹ लाख में)		
(i) क्रय	(-) 2,309.78	0.00	0.00	(-) 2,309.78
(ii) भण्डार	+ 533.63	0.00	0.00	+ 533.63
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 3,751.16	0.00	0.00	+ 3,751.16
(iv) कार्यशाला उद्यंत	+ 664.04	0.00	0.00	+ 664.04
योग	+ 2,639.05	0.00	0.00	+ 2,639.05

पूँजीगत :

दत्तमत

- (6) ₹ 5,301.33 लाख की बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 (₹ 1,51,513.79 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 1,00,000.00 लाख) में प्राप्त ₹ 2,51,513.79 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 5,301.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 5,179.90 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) यद्यपि ₹ 5,301.33 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित उप शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखित अंतर पाया गया है:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-50.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,139.00 5,946.24	7,085.24	9,085.24	+ 2,000.00	₹ 5,946.24 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 6,036.96 लाख की वृद्धि तथा ₹ 90.72 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2.72 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 88.00 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार नहीं होने तथा नगण्य राशि के कारण जबकि वृद्धि अंशतः निर्माण कार्य हेतु भुगतान के कारण हुई। शेष वृद्धि तथा अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-50.800.1901.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	5,400.00 (-) 500.62	4,899.38	2,899.38	(-) 2,000.00	₹ 500.62 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 500.00 लाख + समर्पण ₹ 0.62 लाख) निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार नहीं होने तथा नगण्य राशि के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4700-63.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	3,378.47 (-) 17.76	3,360.71	3,362.21	+ 1.50	समर्पण के रूप में ₹ 17.76 लाख की प्रत्याशित बचत सरकार/विभाग के नियम एवं उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण तथा नगण्य राशि के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4700-B4.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	100.00 5,000.00 551.08	5,651.08	5,756.05	+ 104.97	₹ 551.08 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 795.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 243.92 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि आंशिक रूप से निर्माण कार्य हेतु भुगतान के कारण हुई। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4700-B4.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	2,292.44 (-) 1.32	2,291.12	2,186.14	(-) 104.98	समर्पण के रूप में ₹ 1.32 लाख की प्रत्याशित बचत नगण्य राशि के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-36.800.0101.7076- माचक नहर विस्तार	मूल पुनर्वि.	210.00 37.00	247.00	112.90	(-) 134.10	₹ 37.00 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 237.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 200.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4701-60.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	2,900.00 7,250.00 (-) 0.05	10,149.95	10,147.41	(-) 2.54	समर्पण के रूप में ₹ 0.05 लाख की प्रत्याशित बचत नगण्य राशि के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4701-60.800.1901.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	2,600.00 1,069.06 822.68	4,491.74	4,494.29	+ 2.55	₹ 822.68 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 823.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.32 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी नगण्य राशि के कारण जबकि वृद्धि निर्माण कार्य हेतु भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4701-96.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 0.08	49.92	57.97	+ 8.05	समर्पण के रूप में ₹ 0.08 लाख की प्रत्याशित बचत नगण्य राशि के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4701-96.800.1902.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	250.00 (-) 134.69	115.31	107.26	(-) 8.05	₹ 134.69 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 100.00 लाख + समर्पण ₹ 34.69 लाख) निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-E2.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 855.25 (-) 555.27	299.99	580.24	+ 280.25	₹ 555.27 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 300.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 855.27 लाख की कमी (समर्पण ₹ 0.27 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 855.00 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार नहीं होने तथा नगण्य राशि के कारण जबकि वृद्धि निर्माण कार्य हेतु भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4701-E2.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 0.34	999.66	719.41	(-) 280.25	समर्पण के रूप में ₹ 0.34 लाख की प्रत्याशित बचत नगण्य राशि के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4702-101.0101.3803- लघु तथा लघुतम सिंचाई योजनाएं	मूल पुनर्वि.	13,094.40 (-) 9,109.36	3,985.04	3,841.89	(-) 143.15	₹ 9,109.36 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 500.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 9,609.36 लाख की कमी (समर्पण ₹ 109.36 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 9,500.00 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार नहीं होने, आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल के निर्देशानुसार डी.डी.ओ. द्वारा राशि के समर्पण के कारण जबकि वृद्धि निर्माण कार्य हेतु भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4702-101.0101.6070- संगठन स्थापना (भू-जल)	मूल पुनर्वि.	340.20 (-) 31.61	308.59	309.20	+ 0.61	₹ 31.61 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 42.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 73.61 लाख की कमी (समर्पण ₹ 38.61 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 35.00 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार नहीं होने, सरकार/विभाग के नियम एवं उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व स्थानांतरण के कारण जबकि वृद्धि स्थाई एवं अनियमित सेवा कर्मियों को वेतन भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4702-101.0101.3803- लघु तथा लघुतम सिंचाई योजनाएं	मूल पुनर्वि.	50,000.00 (-) 13,765.93	36,234.07	36,387.96	+ 153.89	₹ 13,765.93 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 6,500.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 20,265.93 लाख की कमी (समर्पण ₹ 560.93 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 19,705.00 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार नहीं होने, आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल के निर्देशानुसार डी.डी.ओ. द्वारा राशि के समर्पण के कारण जबकि वृद्धि निर्माण कार्य हेतु भुगतान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

(9) उचंत लेन-देन:—
इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में “उचंत” के अंतर्गत 2024-25 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। “उचंत” के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेख की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित “उचंत” लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तःशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंत शेष नामे +जमा (-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(लाख ₹ में)			
(i) क्रय	(-)2,289.29	0.00	0.00	(-)2,289.29
(ii) भण्डार	+ 4,022.86	0.00	0.00	+ 4,022.86
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 1,187.16	0.00	0.00	+ 1,187.16
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)211.06	0.00	0.00	(-)211.06
योग	+ 2,709.67	0.00	0.00	+ 2,709.67
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
(i) क्रय	(-)12.92	0.00	0.00	(-)12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	0.00	0.00	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	0.00	0.00	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	0.00	0.00	+ 2.22
योग	+ 64.71	0.00	0.00	+ 64.71

वित्तीय वर्ष 2021-22 से समाप्त मांग संख्या-45 “लघु सिंचाई कार्य” का शेष				
विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंत शेष नामे+ जमा (-)
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(लाख ₹ में)			
(1) क्रय	(-) 131.77	0.00	0.00	(-) 131.77
(2) भंडार	(-) 27.12	0.00	0.00	(-) 27.12
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 65.36	0.00	0.00	+65.36
(4) कार्यशाला उचंत	+0.10	0.00	0.00	+0.10
योग	(-) 93.43	0.00	0.00	(-) 93.43

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन समाप्त

वित्तीय वर्ष 2020-21 से समाप्त अनुदान संख्या 57 "जल संसाधन संबंधी बाह्य सहायित परियोजनाएं" से शेष				
विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंत शेष नामे +जमा (-)
1	2	3	4	5
(लाख ₹ में)				
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
(i) भण्डार	(-)0.27	0.00	0.00	(-)0.27
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+2.21	0.00	0.00	+2.21
योग	+1.94	0.00	0.00	+1.94
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(i) क्रय	(-)194.83	0.00	0.00	(-)194.83
(ii) भण्डार	+1,180.11	0.00	0.00	+1,180.11
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+801.70	0.00	0.00	+801.70
(iv) कार्यशाला उचंत	+49.66	0.00	0.00	+49.66
योग	+1,836.64	0.00	0.00	+1,836.64

प्रभारित

(10) ₹ 147.68 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(11) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.1833-डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 137.84	762.16	762.16	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 137.84 लाख की प्रत्याशित बचत आई. एफ.एम.आई.एस. में तकनीकी त्रुटि के कारण देयकों के भुगतान नहीं कर पाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य

(मुख्य शीर्ष— 2059—लोक निर्माण कार्य, 2216—आवास, 2217—शहरी विकास, 3053—नागर विमानन, 3054—सड़कें तथा सेतु, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	26,08,35,28			
पूरक	2,42,00,00	28,50,35,28	20,55,24,28	(-) 7,95,11,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	10,00,11			
पूरक	0	10,00,11	68,17	(-) 9,31,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	75,11,47,31			
पूरक	23,42,00,00	98,53,47,31	92,36,44,97	(-) 6,17,02,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,00,00

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	45,00,06			
पूरक	5,00,00,00	5,45,00,06	5,20,00,00	(-) 25,00,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 (₹ 6,100.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 18,100.00 लाख) में प्राप्त ₹ 24,200.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 79,511.00 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-80.052.7091- विद्युत एवं यांत्रिकी स्थापना	मूल	170.30	170.30	70.84	(-) 99.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2216-05.053.0183- एफ टाइप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण	मूल पूरक	5,000.00 6,000.00	11,000.00	5,740.28	(-) 5,259.72	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2216-05.053.1316- एफ टाइप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण	मूल पूरक	10,000.00 13,000.00	23,000.00	12,611.60	(-) 10,388.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3054-01.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	मूल	365.05	365.05	176.50	(-) 188.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3054-01.337.0101.1397- सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य	मूल	1,500.00	1,500.00	407.39	(-) 1,092.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3054-04.800.0101.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पुनर्वि.	49,000.00 (-) 8,000.00	41,000.00	23,684.44	(-) 17,315.56	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.800.0102.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पुनर्वि.	12,500.00 (-) 5,500.00	7,000.00	3,669.49	(-) 3,330.51	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3054-04.800.0103.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पुनर्वि.	13,500.00 (-) 6,000.00	7,500.00	2,057.43	(-) 5,442.57	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-80.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	300.00	300.00	0.00	(-) 300.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-80.800.3091- भारतीय सड़क कांग्रेस को अनुदान	मूल पूरक	7.00 100.00	107.00	3.75	(-) 103.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-01.053.6720- कार्यालय भवनों का रखरखाव व अनुरक्षण	मूल	1,500.00				₹ 300.00 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	300.00				
	पुनर्वि.	300.00	2,100.00	2,349.87	+ 249.87	
2216-05.053.6989- विधायक विश्राम ग्रहों का रखरखाव व अनुरक्षण	मूल	250.00				₹ 100.00 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	100.00	350.00	544.70	+ 194.70	
3054-03.337.0101.1397- सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य	मूल	3,050.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,000.00 लाख का निधि के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	4,000.00	7,050.00	7,050.00	0.00	
3054-03.337.0102.1397- सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य	मूल	1,150.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख का निधि के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	3,000.00	4,150.00	4,150.00	0.00	
3054-03.337.0103.1397- सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य	मूल	800.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख का निधि के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	3,000.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
3054-04.337.0102.1397- सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य	मूल	800.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,500.00 लाख का निधि के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	2,500.00	3,300.00	2,034.36	(-) 1,265.64	
3054-04.337.0102.1397 सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य	मूल	700.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख का निधि के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	3,000.00	3,700.00	2,548.45	(-) 1,151.55	

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

(5) उचंत लेन-देन :- -				
वर्ष 2024-25 के दौरान इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी व्यय नहीं हुआ। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेख की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत की गई हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न 'उचंत' उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित 'उचंत' लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दर्शाया गया है:-				
वित्तीय वर्ष 2021-22 में समाप्त अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण—कार्य— भवन, का शेष				
विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
2059—लोक निर्माण कार्य	(लाख ₹ में)			
(i) क्रय	(-)6,289.91	0.00	0.00	(-)6,289.91
(ii) भण्डार	+ 2,486.48	0.00	0.00	+ 2,486.48
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+14,781.38	0.00	0.00	+14,781.38
योग	+ 10,977.95	0.00	0.00	+ 10,977.95

प्रभारित

(6) ₹ 931.94 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-80.800.1833- डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल	1,000.00	1,000.00	68.17	(-) 931.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

(8) ₹ 61,702.34 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 (₹ 1,05,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 1,29,200.00 लाख) में प्राप्त 2,34,200.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(9) ₹ 61,702.34 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 200.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

(10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.9494- भोपाल में स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4059-01.051.2348- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं व्ही.व्ही.पी.ए.टी. के लिए वेयर हाउस का निर्माण	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4059-80.051.0101.9587- म.प्र. बिल्डिंग डेवलपमेंट कार्पो.लि. में निवेश	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 399.00	601.00	0.00	(-) 601.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 399.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4216-01.106.0101.3849- लोक निर्माण कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4217-01.050.0101.7218- मंत्रालय भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 3,499.00	501.00	500.00	(-) 1.00	₹ 3,499.00 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 400.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,899.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4217-01.051.0101.7715- नवीन विधायक विश्राम गृह का निर्माण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-03.101.1201.2342- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	मूल पुनर्वि.	12,000.00 (-) 10,000.00	2,000.00	1,996.50	(-) 3.50	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-03.101.1402.5225- पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	मूल	1,160.00	1,160.00	0.00	(-) 1,160.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-03.101.1403.5225- पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	मूल	790.00	790.00	0.00	(-) 790.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-03.337.0102.5139- मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 950.00	50.00	50.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 950.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-03.337.0103.5139- मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 500.00	300.00	60.35	(-) 239.65	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-03.337.0803.0948- केन्द्रीय सड़क निधि	मूल	18,400.00	18,400.00	17,584.18	(-) 815.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-03.337.1902.5139- मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	5,300.00 (-) 4,491.00	809.00	971.81	+ 162.81	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,491.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-04.337.0420.2457- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	21,750.00 (-) 19,000.00	2,750.00	2,622.12	(-) 127.88	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-04.337.0420.9892- नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल	2,000.00	2,000.00	213.68	(-) 1,786.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-04.337.0422.2457- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	8,060.00 (-) 6,500.00	1,560.00	123.48	(-) 1,436.52	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-04.337.0422.9892- नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-04.337.0423.2457- ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल पुनर्वि.	5,590.00 (-) 5,500.00	90.00	0.00	(-) 90.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-04.337.0423.9892- नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-04.337.1902.4557- सड़कों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	18,400.00 (-) 12,500.00	5,900.00	3,796.73	(-) 2,103.27	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-80.800.0101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-80.800.0102.5632-जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-80.800.0103.5632-जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

(11) उपरोक्त टिप्पणी (10) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.7088-सर्वेक्षण कार्य	मूल	300.00	300.00	339.73	+ 39.73	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4059-01.051.0101.8042-विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	500.00 700.01 600.00	1,800.01	2,099.38	+ 299.37	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख के निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-03.101.0102.4149-वृहद पुलों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	60.00 500.00	560.00	517.55	(-) 42.45	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख के निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-03.101.1202.2342-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	मूल	4,800.00	4,800.00	8,135.48	+3,335.48	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5054-03.337.0801.0948-केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पूरक पुनर्वि.	70,150.00 10,000.00 4,000.00	84,150.00	83,941.36	(-) 208.64	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,000.00 लाख के निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-03.337.0802.0948- केन्द्रीय सड़क निधि	मूल	26,450.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख के निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	2,000.00	28,450.00	27,870.59	(-) 579.41	
5054-04.337.0101.9892- नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल	12,000.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,000.00 लाख के निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	23,000.00	35,000.00	34,982.35	(-) 17.65	
5054-04.337.0103.9892- नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन	मूल	8,000.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,500.00 लाख के निधि में आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	5,500.00	13,500.00	13,465.16	(-) 34.84	
5054-05.337.1202.7368- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण)	मूल	6,000.00	6,000.00	7,395.24	+ 1,395.24	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (12) ₹ 2,500.06 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2025 में प्राप्त 50,000.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (13) ₹ 2,500.06 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (14) यद्यपि ₹ 2,500.06 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित उप शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखित अंतर पाया गया है:—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-80.800.1833- डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-) 2,000.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5053-02.102.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	300.00	300.00	0.00	(-) 300.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

(15) केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता:—

भारत सरकार के राजपत्रित अधिसूचना 31.03.2018 के द्वारा भूतपूर्व केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम अब केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। इस सीआरआईएफ का उपयोग राजमार्ग, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अधोसंरचनाओं इत्यादि के विकास और रखरखाव हेतु किया जायेगा। प्रचलित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। तत्पश्चात् इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8449—103 केन्द्रीय सड़क और अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता के अंतर्गत कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के माध्यम से लोक लेखे में स्थानांतरित किया जाना है। केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर व्यय को पहले प्रासंगिक पूँजी अथवा राजस्व अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 अथवा 3054) में दर्ज किया जायेगा एवं सम्बंधित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी मामला हो) में व्यय कटौती के रूप में लोक लेखे से मुख्य शीर्ष 8449—103 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वर्ष 2024—25 के दौरान, राज्य सरकार की सीआरआईएफ के लिए ₹ 68,214.00 लाख का अनुदान आवंटन हुआ। केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि का संचालन राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे में नहीं किया जाता है। हालाँकि, वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य, योजना कोड 0948—केन्द्रीय सड़क निधि के तहत ₹ 1,31,000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध ₹ 1,29,396.13 लाख का व्यय मुख्य शीर्ष 5054 से किया गया। ₹ 68,214.00 लाख का अनुदान लोक लेखा के माध्यम से न भेजकर, सीधे खर्च किया गया।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

(मुख्य शीर्ष—2853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	3,09,24,81	3,09,24,81	2,65,57,73	(-) 43,67,08
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	9,30,05,00	9,30,05,00	9,29,44,54	(-) 60,46
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	11,07,35,02	11,07,35,02	11,06,90,65	(-) 44,37
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 4,367.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2853-02.001.0101.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल	4,539.72	4,539.72	3,546.83	(-) 992.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2853-02.102.0420.0182- खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना	मूल	6,213.78	6,213.78	2,893.25	(-) 3,320.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (3) ₹ 60.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) ₹ 60.46 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी।

पूंजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 44.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) ₹ 44.37 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति

(मुख्य शीर्ष— 2202—सामान्य शिक्षा, 2205—कला एवं संस्कृति, 3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	4,81,47,27			
पूरक	0	4,81,47,27	4,06,08,22	(-) 75,39,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				73,96,37

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	5,50			
पूरक	0	5,50	0	(-) 5,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,50

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	5,99,25,71			
पूरक	0	5,99,25,71	71,01,97	(-) 5,28,23,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,08,23,74

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

(1) ₹ 7,539.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 7,396.37 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.7043-अतिथि विद्वानों को मानदेय	मूल पुनर्वि.	280.00 (-) 174.09	105.91	105.91	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 174.09 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2205-102.0101.0285-अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों / कलाकारों को वित्तीय सहायता	मूल पुनर्वि.	281.00 (-) 158.81	122.19	122.19	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 158.81 लाख की प्रत्याशित बचत कलाकारों/साहित्यकारों से आवेदन प्राप्त नहीं होने, व्यय नहीं होने तथा पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता न होने के कारण हुई।
2205-102.0101.0749-वेदांत पीठ की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,893.00 (-) 1,193.00	1,700.00	1,700.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,193.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2205-102.0101.5690-धर्मपाल शोध पीठ	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 252.00	448.00	448.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 252.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय नहीं होने के कारण हुई।
2205-102.0101.6042-रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	838.73 (-) 321.05	517.68	517.68	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 321.05 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय नहीं होने, पद रिक्त होने, नगण्य बचत, कोषालय से व्यय नहीं होने, संधारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-102.0101.6936-भारत भवन में कला ग्राम की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 760.00	240.00	240.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 760.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-102.0101.8001-वीर भारत योजना	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,100.00	400.00	400.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय सीमा नहीं होने तथा निधि की उपलब्धता के कारण हुई।
2205-102.0101.9904-हिंदी भवन निर्माण हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	500.01 (-) 200.01	300.00	300.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 200.01 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-102.6377-भारत भवन	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2205-102.9061-शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	मूल पुनर्वि.	230.00 (-) 165.92	64.08	64.08	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 165.92 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय नहीं होने के कारण हुई।
2205-107.0101.4283-संग्रहालय	मूल पुनर्वि.	1,721.48 (-) 370.50	1,350.98	1,303.43	(-) 47.55	₹ 370.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 371.80 लाख की कमी (समर्पण ₹ 370.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1.30 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.30 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, फर्नीचर क्रय हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों, सांकेतिक प्रावधान, वास्तविक व्यय के आधार, टी.ए. बिल्स प्राप्त नहीं होने, क्षेत्रीय डी. डी.ओ. द्वारा समय सीमा में निधि के उपयोग नहीं करने, आई.एफ. एम.आई.एस. के कारण कोषालय को बिल जमा नहीं करने, नियमित पदों में 20 प्रतिशत कमी तथा आउटसोर्स माध्यम से भर्तियाँ नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि सुरक्षा के उद्देश्य से कार्यालयों में वाई-फाई कनेक्शन, डायरी एवं कैलेंडर के क्रय एवं लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 26-संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-800.9571- रामपथ गमन अंचल विकास योजना	मूल पुनर्वि.	900.04 (-) 820.04	80.00	80.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 820.04 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-102.0101.5705- विक्रमादित्य शोधपीठ	मूल पुनर्वि.	2,500.00 800.00	3,300.00	3,300.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख का निधि में आवर्धन अपर्याप्त निधि की उपलब्धता के कारण हुई।

पूँजीगत :

दत्तमत

(4) ₹ 52,823.74 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 50,823.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-04.106.0101.1123- संग्रहालयों का उन्नयन एवं विकास कार्य	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-) 2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-04.800.0101.0749- वेदांत पीठ की स्थापना	मूल पुनर्वि.	31,208.01 (-) 29,208.01	2,000.00	2,000.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 29,208.01 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-04.800.0101.1617- सिंहस्थ-2028 के कार्य	मूल पुनर्वि.	7,000.00 (-) 7,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4202-04.800.0101.7982- संगीत महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 3,500.00	500.00	500.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार के कारण हुई।
4202-04.800.0101.8001- वीर भारत योजना	मूल पुनर्वि.	6,500.00 (-) 5,085.00	1,415.00	1,415.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,085.00 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

(मुख्य शीर्ष— 2202—सामान्य शिक्षा, 2204—खेल तथा युवा सेवायें, 2205—कला एवं संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,01,17,29,37			
पूरक	सांकेतिक	3,01,17,29,37	2,87,56,39,66	(-) 13,60,89,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,97,06,59

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	41,34			
पूरक	0	41,34	8,60	(-) 32,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				11,34

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	34,14,98,35			
पूरक	सांकेतिक	34,14,98,35	33,38,27,19	(-) 76,71,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				29,36,38

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,36,089.71 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 19,706.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) हालांकि ₹ 1,36,089.71 लाख की सम्पूर्ण अत्यधिक बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित उप शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय अंतर पाया गया है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	9,134.75 (-) 1,500.00	7,634.75	5,514.99	(-) 2,119.76	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.001.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	3,444.25 (-) 100.00	3,344.25	2,110.50	(-) 1,233.75	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.001.1500- जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	मूल	11,354.57	11,354.57	10,220.51	(-) 1,134.06	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा (₹ 0.20 लाख) समान राशि की वृद्धि तथा कमी हुई। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-01.001.3930- विकास खंड स्तर कार्यालय की स्थापना—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	मूल	11,329.22	11,329.22	9,434.65	(-) 1,894.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01.101.0101.3491- माध्यमिक शालायें	मूल पुनर्वि.	6,65,965.62 (-) 5,580.30	6,60,385.32	6,37,362.54	(-) 23,022.78	₹ 5,580.30 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,711.81 लाख की कमी तथा ₹ 14,131.51 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0101.4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	मूल पुनर्वि.	11,41,048.17 (-) 10,797.08	11,30,251.09	10,99,307.70	(-) 30,943.39	₹ 10,797.08 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,549.88 लाख की कमी तथा ₹ 24,752.80 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0102.3491- माध्यमिक शालायें	मूल	2,660.14	2,660.14	860.50	(-) 1,799.64	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-01.101.0102.4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	मूल	4,375.42	4,375.42	900.58	(-) 3,474.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0103.3491- माध्यमिक शालायें	मूल	1,850.53	1,850.53	246.59	(-) 1,603.94	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01.101.0103.4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	मूल	3,043.76	3,043.76	437.25	(-) 2,606.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-02.109.0101.0701- अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	66,734.00 (-) 5,808.15	60,925.85	54,271.94	(-) 6,653.91	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,808.15 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-02.109.0101.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	8,543.39 (-) 853.34	7,690.05	6,533.93	(-) 1,156.12	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 853.34 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-02.196.0102.8403- पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय	मूल	6,409.80	6,409.80	2,412.73	(-) 3,997.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-02.196.0103.8403- पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय	मूल	4,458.60	4,458.60	1,846.75	(-) 2,611.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-03.103.0101.7485- एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 71.15 लाख + समर्पण ₹ 128.85 लाख) आवश्यकता नहीं पड़ने के कारण हुई।
2202-80.001.0101.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल	18,910.00	18,910.00	17,749.70	(-) 1,160.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (3) ₹ 32.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 11.34 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा जारी

(4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.105.3694- राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल	मूल पुनर्वि.	11.34 (-) 11.34	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में विनियोग की प्रत्याशित बचत आहरण के मामले नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-80.001.3858- लोक शिक्षण संचालनालय	मूल	30.00	30.00	8.60	(-) 21.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 7,671.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 2,936.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) हालांकि ₹ 7,671.16 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित उप शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय अंतर पाया गया है:

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.202.0102.6970- शासकीय स्कूल/ छात्रावास/पुस्तकालय/ आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	1,736.49 (-) 944.49	792.00	270.95	(-) 521.05	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 944.49 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.202.0103.6970- शासकीय स्कूल/ छात्रावास/पुस्तकालय/ आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार	मूल	1208.00	1208.00	334.71	(-) 873.29	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27-स्कूल शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.202.1702.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	345.00	345.00	76.33	(-) 268.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4202-01.202.1703.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	240.00	240.00	80.86	(-) 159.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4202-02.103.0101.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	16,346.75 (-) 1,645.92	14,700.83	14,526.83	(-) 174.00	₹ 1,645.92 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,485.07 लाख की कमी तथा ₹ 5,839.15 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि/कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4202-02.103.1701.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	19,359.38 (-) 7,531.04	11,828.34	10,383.20	(-) 1,445.14	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,531.04 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4202-02.103.1702.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	7,299.44 (-) 4,962.63	2,336.81	2,300.00	(-) 36.81	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,962.63 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4202-02.103.1901.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	94,745.20 (-) 13,277.52	81,467.68	81,388.00	(-) 79.68	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,277.52 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

(मुख्य शीर्ष- 2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,42,18,64	1,42,18,64	90,69,62	(-) 51,49,02
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				29,28,76

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	72,74	72,74	33,04	(-) 39,70
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				39,70

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	43,16	43,16	19,09	(-) 24,07
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				22,66

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 5,149.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 2,928.76 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02.101.4007-विधायकों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,873.54 (-) 1,331.16	3,542.38	3,478.28	(-) 64.10	₹ 1,331.16 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,380.16 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,320.16 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 60.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी उपाध्यक्ष पद के रिक्त रहने, जी.आई.ए. के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए शासनादेश जारी नहीं होने, सचिवालय द्वारा इस बजट लाइन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, मितव्ययिता तथा सरकार द्वारा निर्धारित मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के कारण जबकि वृद्धि लंबित देयकों एवं बिजली बिल के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2011-02.101.6110-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष की निजी स्थापना	मूल पुनर्वि.	782.00 (-) 343.36	438.64	440.27	+ 1.63	समर्पण के रूप में ₹ 343.36 लाख की प्रत्याशित बचत पद रिक्तियों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2011-02.103.0101.4009-विधान सभा सचिवालय	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 40.00	10.00	0.00	(-) 10.00	समर्पण के रूप में ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत सचिवालय द्वारा इस बजट लाइन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02.103.0701.1386-ई—विधान परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,429.80 (-) 6.92	1,422.88	225.41	(-) 1,197.47	समर्पण के रूप में ₹ 6.92 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2011-02.103.0704.1386-ई—विधान परियोजना	मूल पुनर्वि.	953.20 (-) 27.54	925.66	127.34	(-) 798.32	समर्पण के रूप में ₹ 27.54 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2011-02.103.8808-सूचना एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	140.00 (-) 84.06	55.94	27.94	(-) 28.00	समर्पण के रूप में ₹ 84.06 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता तथा सरकार द्वारा निर्धारित मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

(3) ₹ 39.70 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02.101.0125-अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों	मूल पुनर्वि.	72.64 (-) 39.60	33.04	33.04	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 39.60 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय उपाध्यक्ष पद के रिक्त रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

(5) ₹ 24.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 22.66 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल समाप्त

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4070-800.4009- विधान सभा सचिवालय	मूल पुनर्वि.	41.75 (-) 22.66	19.09	19.09	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 22.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

(मुख्य शीर्ष— 2014—न्याय प्रशासन, 2015—निर्वाचन, 2052—सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2216—आवास, 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4216—आवास कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 7610— सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	34,36,90,85	34,42,20,10	25,98,47,54	(-) 8,43,72,56
पूरक	5,29,25			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				8,03,33,02

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	3,05,37,05	3,10,77,05	2,34,65,17	(-) 76,11,88
पूरक	5,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				66,94,31

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	4,83,59,90	4,93,59,90	2,54,56,20	(-) 2,39,03,70
पूरक	10,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,39,03,65

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,44,03			
पूरक	0	5,44,03	2,94,00	(-) 2,50,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,50,03

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 529.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 84,372.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 80,333.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 17.01	182.99	78.31	(-) 104.68	समर्पण के रूप में ₹ 17.01 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-103.0701.9634- पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,469.98 (-) 3,547.80	922.18	886.72	(-) 35.46	समर्पण के रूप में ₹ 3,547.80 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-103.0704.9634- पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,295.08 (-) 2,685.32	609.76	585.56	(-) 24.20	समर्पण के रूप में ₹ 2,685.32 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.0101.1486- स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	मूल पुनर्वि.	350.00 (-) 91.92	258.08	188.08	(-) 70.00	समर्पण के रूप में ₹ 91.92 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2014-105.0101.1487- स्केनिंग तथा अंकीकरण	मूल पुनर्वि.	2,550.00 (-) 537.98	2,012.02	1,502.02	(-) 510.00	समर्पण के रूप में ₹ 537.98 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2014-105.0101.9065- अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 312.87	1,187.13	887.13	(-) 300.00	समर्पण के रूप में ₹ 312.87 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.4497- सामान्य स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	2,03,006.20 268.75 (-) 52,699.07	1,50,575.88	1,50,174.34	(-) 401.54	₹ 52,699.07 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 69,755.51 लाख की कमी (समर्पण ₹ 52,699.07 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 17,056.44 लाख) तथा ₹ 17,056.44 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी पद रिक्त रहने, महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि जिला न्यायालयों में 423 वाटर कूलर के ए.एम. सी. शुल्क, विशेष न्यायालयों में पदस्थ अधिवक्ताओं के लंबित न्यायिक शुल्क, जिला न्यायालय में सफाई एवं बागवानी हेतु आउटसोर्स कर्मियों को भुगतान, लंबित बिजली बिल, बकाया बिल, टेलीफोन बिल एवं विभिन्न भत्तों तथा कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के नियमित देयकों के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.6020- ग्राम न्यायालय	मूल पुनर्वि.	9,008.43 (-) 3,343.22	5,665.21	5,639.12	(-) 26.09	₹ 3,343.22 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 3,993.22 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,343.22 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 650.00 लाख) तथा ₹ 650.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि न्यायिक अधिकारियों के बकाया के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.6211- केन्द्रीय जांच ब्यूरो हुत गठित विशेष न्यायलय	मूल पुनर्वि.	1,258.22 (-) 803.87	454.35	450.62	(-) 3.73	₹ 803.87 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 813.87 लाख की कमी (समर्पण ₹ 803.87 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 10.00 लाख) तथा ₹ 10.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि न्यायिक अधिकारियों के बकाया के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2015-108.9503- मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	मूल पुनर्वि.	2,835.76 (-) 896.63	1,939.13	1,731.73	(-) 207.40	₹ 896.63 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 396.63 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 500.00 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2052-090.7389- अधिवक्ता कल्याण	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 556.00	344.00	344.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 556.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।
2052-090.9057- विधि एवं विधायी कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	3,183.88 3.00 (-) 1,219.27	1,967.61	1,967.31	(-) 0.30	समर्पण के रूप में ₹ 1,219.27 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60.200.0101.1489- ए.डी.आर. सेंटर्स का निर्माण	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 132.96	17.04	17.03	(-) 0.01	₹ 132.96 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 72.96 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 60.00 लाख) फर्नीचर बिल प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 540.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 7,611.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 6,694.31 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.0101.0573- उच्च न्यायलय (भारित)	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 228.36	571.64	411.64	(-) 160.00	समर्पण के रूप में ₹ 228.36 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.0573- उच्च न्यायलय (भारत)	मूल पूरक पुनर्वि.	26,728.05 540.00 (-) 6,156.91	21,111.14	20,895.58	(-) 215.56	₹ 6,156.91 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 7,479.24 लाख की कमी (समर्पण ₹ 6,156.91 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,322.33 लाख) तथा ₹ 1,322.33 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी पद रिक्त रहने, मंहगाई भत्ते की दरों में संशोधन नहीं होने, म.प्र. न्यायिक सेवा (वेतन पेंशन का संशोधन, अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) के क्रियान्वयन तथा संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि अवकाश यात्रा रियायत देयकों के भुगतान, यात्रा भत्ता देयकों, चिकित्सकीय देयकों, पेट्रोल देयकों, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न भत्तों, कम बजट एवं अतिरिक्त निधि की आवश्यकता, आउटसोर्स कर्मियों द्वारा शिपिंग के कार्य हेतु भुगतान आवश्यक सेवाओं के सुचारु रूप से संचालन तथा आयकर संबंधी कार्यों हेतु सी.ए. / परामर्शदाता के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 10.42	189.58	114.27	(-) 75.31	समर्पण के रूप में ₹ 10.42 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2015-106.4006- राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	मूल पुनर्वि.	20.00 (-) 13.41	6.69	6.69	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 13.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 1,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 23,903.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 23,903.65 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1489- ए.डी.आर. सेंटर्स का निर्माण	मूल पुनर्वि.	750.00 (-) 634.25	115.75	115.75	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 634.25 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.9073- महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	40.00 (-) 40.00	0.00	0.00	0.00	₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 20.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 20.00 लाख) महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर हेतु नवीन भवन निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.9511- म.प्र.राज्य न्यायिक अकादमी का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,600.00 (-) 1,318.86	281.14	281.13	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 1,318.86 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4059-01.051.0701.2450- न्यायलय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	18,000.01 (-) 11,743.35	6,256.66	6,256.65	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 11,743.35 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4059-01.051.0704.2450- न्यायलय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	12,000.01 (-) 8,640.34	3,359.67	3,359.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 8,640.34 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4070-800.6020- ग्राम न्यायलय	मूल पुनर्वि.	135.01 (-) 123.23	11.78	11.78	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 123.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4235-60.800.0101.1489- ए.डी.आर. सेंटर्स का निर्माण	मूल पुनर्वि.	350.00 (-) 350.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई।

प्रभारित

(10) ₹ 250.03 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(11) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4070-800.0573- उच्च न्यायलय (भारत)	मूल पुनर्वि.	304.00 (-) 208.75	95.25	95.25	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 208.75 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

(मुख्य शीर्ष— 2215—जल पूर्ति तथा सफाई, 2216—आवास, 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505—ग्रामीण रोजगार, 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3604— स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,53,17,93,61			
पूरक	10,61,00,00	1,63,78,93,61	1,50,00,80,61	(-) 13,78,13,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				13,04,25,21

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,81			
पूरक	0	6,81	0	(-) 6,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,81

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	34,28,12,04			
पूरक	9,05,39,00	43,33,51,04	33,47,39,79	(-) 9,86,11,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				9,67,66,59

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 1,06,100.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,37,813.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,30,425.21 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-02.198.0701.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	18,600.00 (-) 11,094.87	7,505.13	7,505.13	0.00	₹ 11,094.87 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,003.40 लाख की वृद्धि तथा ₹ 16,098.27 लाख की कमी (समर्पण ₹ 12,508.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,589.77 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी जिलों द्वारा एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत अंश का आहरण नहीं करने, कम केन्द्रांश की प्राप्ति, वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत तथा वर्तमान व्यय के आधार के कारण जबकि वृद्धि वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण हुई।
2215-02.198.0702.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	6,600.00 (-) 3,936.90	2,663.10	2,663.10	0.00	₹ 3,936.90 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,775.40 लाख की वृद्धि तथा ₹ 5,712.30 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,438.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,273.80 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी जिलों द्वारा एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत अंश का आहरण नहीं करने, कम केन्द्रांश की प्राप्ति तथा विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत के कारण जबकि वृद्धि वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-02.198.0703.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	4,800.00 (-) 2,863.20	1,936.80	1,936.80	0.00	₹ 2,863.20 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,291.20 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4,154.40 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,228.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 926.40 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी जिलों द्वारा एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत अंश का आहरण नहीं करने, कम केन्द्रांश की प्राप्ति, वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों तथा विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत के कारण जबकि वृद्धि वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण हुई।
2215-02.198.0704.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	12,400.00 (-) 7,396.60	5,003.40	5,003.40	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,396.60 लाख की प्रत्याशित बचत कम केन्द्रांश की प्राप्ति, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत तथा वर्तमान व्यय के आधार पर हुई।
2215-02.198.0705.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	4,400.00 (-) 2,624.60	1,775.40	1,775.40	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,624.60 लाख की प्रत्याशित बचत कम केन्द्रांश की प्राप्ति, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत, वर्तमान व्यय के आधार तथा वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण हुई।
2215-02.198.0706.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पुनर्वि.	3,200.00 (-) 1,908.80	1,291.20	1,291.20	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,908.80 लाख की प्रत्याशित बचत कम केन्द्रांश की प्राप्ति, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत तथा वर्तमान व्यय के आधार पर हुई।
2216-03.198.0101.1134- मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना	मूल पुनर्वि.	2,480.00 (-) 2,480.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत तथा वर्तमान व्यय के आधार के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2216-03.198.0102.1134- मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना	मूल पुनर्वि.	880.00 (-) 880.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत तथा वर्तमान व्यय के आधार के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2216-03.198.0103.1134- मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना	मूल पुनर्वि.	640.00 (-) 640.00	0.00	0.00	0.00	₹ 640.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान (पुनर्विनियोजन ₹ 525.40 लाख + समर्पण ₹ 114.60 लाख) की प्रत्याशित बचत मांग की कमी, वर्तमान व्यय के आधार तथा विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2501-02.198.0702.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	11,160.00 (-) 6,650.60	4,509.40	4,509.40	0.00	₹ 6,650.60 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 605.42 लाख की वृद्धि तथा ₹ 7,256.02 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,535.62 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5,720.40 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी कम केन्द्रांश प्राप्ति, वर्तमान व्यय के आधार पर, योजना शाखा द्वारा एस. एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत मांग नहीं होने तथा योजना समाप्त होने के कारण जबकि वृद्धि भारत सरकार से अधिक अंश प्राप्ति के कारण हुई।
2501-02.198.0703.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	3,960.00 (-) 2,359.75	1,600.25	1,600.25	0.00	₹ 2,359.75 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,009.66 लाख की वृद्धि तथा ₹ 3,369.42 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,701.13 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 668.29 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी कम केन्द्रांश प्राप्ति, वर्तमान व्यय के आधार पर, योजना शाखा द्वारा एस. एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत मांग नहीं होने कारण तथा योजना समाप्त होने के कारण जबकि वृद्धि भारत सरकार से अधिक अंश प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (—) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2501-02.198.0706.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	7,440.00 (-) 5,452.73	1,987.27	1,987.27	0.00	₹ 5,452.73 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 5,380.78 लाख + समर्पण ₹ 71.95 लाख) की प्रत्याशित बचत कम केन्द्रांश प्राप्ति, वर्तमान व्यय के आधार तथा योजना शाखा द्वारा एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत मांग नहीं होने के कारण हुई।
2501-03.198.0701.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	2,640.00 (-) 1,573.65	1,066.35	1,066.35	0.00	₹ 1,573.65 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 776.92 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,350.57 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,034.75 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 315.82 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी कम केन्द्रांश प्राप्ति, वर्तमान व्यय के आधार पर तथा योजना शाखा द्वारा एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत मांग नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि भारत सरकार से अधिक अंश प्राप्ति के कारण हुई।
2501-03.198.0704.5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास)	मूल पुनर्वि.	1,920.00 (-) 1,189.24	730.76	730.76	0.00	₹ 1,189.24 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 1,175.69 लाख + समर्पण ₹ 13.55 लाख) की प्रत्याशित बचत कम केन्द्रांश की प्राप्ति, वर्तमान व्यय के आधार शाखा द्वारा एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत मांग नहीं होने तथा योजना समाप्त होने के कारण हुई।
2501-06.198.0101.9567- महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	मूल पुनर्वि.	3,660.00 (-) 3,660.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्तमान व्यय के आधार तथा विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत के कारण हुई।
2501-06.198.0102.9567- महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	मूल पुनर्वि.	1,380.00 (-) 1,380.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्तमान व्यय के आधार तथा विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत के कारण हुई।
2501-06.198.0103.9567- महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018	मूल पुनर्वि.	960.00 (-) 960.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्तमान व्यय के आधार तथा विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2501-06.198.0701.9523-स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)	मूल पुनर्वि.	1,860.00 (-) 1,565.50	294.50	294.50	0.00	₹ 1,565.50 लाख (समर्पण ₹ 1,266.06 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 299.44 लाख) की प्रत्याशित बचत कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0701.9528-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.)	मूल पुनर्वि.	744.00 (-) 550.25	193.75	193.75	0.00	₹ 550.25 लाख (समर्पण ₹ 350.25 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 200.00 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0702.9523-स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)	मूल पुनर्वि.	660.00 (-) 555.50	104.50	104.50	0.00	₹ 555.50 लाख (समर्पण ₹ 449.25 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 106.25 लाख) की प्रत्याशित बचत कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0702.9528-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.)	मूल पुनर्वि.	264.00 (-) 195.25	68.75	68.75	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 195.25 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0703.9523-स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)	मूल पुनर्वि.	480.00 (-) 404.00	76.00	76.00	0.00	₹ 404.00 लाख (समर्पण ₹ 326.73 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 77.27 लाख) की प्रत्याशित बचत कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0703.9528-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.)	मूल पुनर्वि.	192.00 (-) 142.00	50.00	50.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 142.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0704.9523-स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)	मूल पुनर्वि.	1,240.00 (-) 1,043.67	196.33	196.33	0.00	₹ 1,043.67 लाख (समर्पण ₹ 844.04 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 199.63 लाख) की प्रत्याशित बचत कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0704.9528-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.)	मूल पुनर्वि.	496.00 (-) 366.83	129.17	129.17	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 366.83 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2501-06.198.0705.9523-स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)	मूल पुनर्वि.	440.00 (-) 370.33	69.67	69.67	0.00	₹ 370.33 लाख (समर्पण ₹ 299.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 70.83 लाख) की प्रत्याशित बचत कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0705.9528-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.)	मूल पुनर्वि.	176.00 (-) 130.17	45.83	45.83	0.00	₹ 130.17 लाख (समर्पण ₹ 108.09 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 22.08 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0706.9523-स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)	मूल पुनर्वि.	320.00 (-) 269.33	50.67	50.67	0.00	₹ 269.33 लाख (समर्पण ₹ 217.82 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 51.51 लाख) की प्रत्याशित बचत कम आवश्यकता तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2501-06.198.0706.9528-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.)	मूल पुनर्वि.	128.00 (-) 94.67	33.33	33.33	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 94.67 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2505-01.198.0701.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,30,125.00 45,978.75 (-) 81,318.04	94,785.71	94,785.71	0.00	₹ 81,318.04 लाख (समर्पण ₹ 35,339.29 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 45,978.75 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत तथा वर्तमान व्यय के आधार पर हुई।
2505-01.198.0702.6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	46,375.00 17,336.25 (-) 30,202.85	33,508.40	33,508.40	0.00	₹ 30,202.85 लाख (समर्पण ₹ 12,866.60 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 17,336.25 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत तथा वर्तमान व्यय के आधार पर हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2505-01.198.0703.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	31,000.00 12,060.00 (-) 19,828.38	23,231.62	23,231.62	0.00	₹ 19,828.38 लाख (समर्पण ₹ 7,768.38 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 12,060.00 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत तथा वर्तमान व्यय के आधार पर हुई।
2505-01.198.0704.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	53,375.00 15,326.25 (-) 37,106.01	31,595.24	31,595.24	0.00	₹ 37,106.01 लाख (समर्पण ₹ 15,879.76 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 21,226.25 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने, अधिक मांग, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत तथा वर्तमान व्यय के आधार पर हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2505-01.198.0705.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	20,125.00 5,778.75 (-) 14,734.28	11,169.47	11,169.47	0.00	₹ 14,734.28 लाख (समर्पण ₹ 8,955.53 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5,778.75 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत वर्तमान व्यय के आधार पर हुई।
2505-01.198.0706.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	14,000.00 4,020.00 (-) 10,276.13	7,743.87	7,743.87	0.00	₹ 10,276.13 लाख (समर्पण ₹ 6,256.13 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,020.00 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत वर्तमान व्यय के आधार पर हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-001.0101.1033- विकास खंड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	15,593.68 (-) 7,756.67	7,837.01	7,837.50	+ 0.49	₹ 7,756.67 लाख (समर्पण ₹ 2,421.13 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5,335.54 लाख) की प्रत्याशित बचत मांग में कमी, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत और वर्तमान व्यय के आधार पर हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-001.0102.1033- विकास खंड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	2,530.75 (-) 1,249.44	1,281.31	1,281.28	(-) 0.03	₹ 1,249.44 लाख (समर्पण ₹ 649.44 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 600.00 लाख) की प्रत्याशित बचत मांग में कमी, विभिन्न योजनाओं में दिखाई गई बचत और वर्तमान व्यय के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-001.0103.1033- विकास खंड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	1,651.88 (-) 782.55	869.33	869.17	(-) 0.16	₹ 782.55 लाख (समर्पण ₹ 775.55 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7.00 लाख) की प्रत्याशित बचत मांग में कमी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-800.0102.1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	मूल	2,237.93	2,237.93	1,092.44	(-) 1,145.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-800.0103.1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	मूल	656.57	656.57	205.80	(-) 450.77	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2216-03.198.0701.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	1,48,800.00 54,096.21	2,02,896.21	2,02,896.21	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 54,096.21 लाख का निधि में आवर्धन भारत सरकार से अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुआ।
2216-03.198.0702.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	52,800.00 44,958.81	97,758.81	97,758.81	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44,958.81 लाख का निधि में आवर्धन भारत सरकार से अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुआ।
2216-03.198.0704.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	99,200.00 36,064.14	1,35,264.14	1,35,264.14	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36,064.14 लाख का निधि में आवर्धन भारत सरकार से अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुआ।
2216-03.198.0705.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पुनर्वि.	35,200.00 29,972.54	65,172.54	65,172.54	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,972.54 लाख का निधि में आवर्धन भारत सरकार से अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुआ।
2515-198.0701.0656- किचन शेड डिवाइसेस	मूल पुनर्वि.	305.00 3,706.77	4,011.77	4,011.77	0.00	₹ 3,706.77 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,620.87 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में 914.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण जबकि वृद्धि भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-198.0702.0656- किचन शेड डिवाइसेस	मूल पुनर्वि.	115.00 1,397.63	1,512.63	1,512.63	0.00	₹ 1,397.63 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,742.29 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 344.66 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण जबकि वृद्धि भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुई।
2515-198.0703.0656- किचन शेड डिवाइसेस	मूल पुनर्वि.	80.00 972.27	1,052.27	1,052.27	0.00	₹ 972.27 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,212.03 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 239.76 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण जबकि वृद्धि भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुई।
2515-198.0704.0656- किचन शेड डिवाइसेस	मूल पुनर्वि.	305.00 2,369.51	2,674.51	2,674.51	0.00	₹ 2,369.51 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,076.51 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 707.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण जबकि वृद्धि भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुई।
2515-198.0705.0656- किचन शेड डिवाइसेस	मूल पुनर्वि.	115.00 893.42	1,008.42	1,008.42	0.00	₹ 893.42 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,159.99 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 266.57 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण जबकि वृद्धि भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुई।
2515-198.0706.0656- किचन शेड डिवाइसेस	मूल पुनर्वि.	80.00 621.51	701.51	701.51	0.00	₹ 621.51 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 806.95 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 185.44 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण जबकि वृद्धि भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा अधिक केन्द्रांश की प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, (दिसंबर 2024 ₹ 10,000.00 लाख तथा मार्च 2025 ₹ 80,539.00 लाख में प्राप्त) ₹ 90,539.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 98,611.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 96,766.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4515-103.0101.1598-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस 1 एवं 2 के शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु (राज्य पोषित)	मूल पुनर्वि.	1,581.00 (-) 1,581.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
4515-103.0102.1598-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस 1 एवं 2 के शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु (राज्य पोषित)	मूल पुनर्वि.	561.00 (-) 561.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
4515-103.0103.1598-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस 1 एवं 2 के शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु (राज्य पोषित)	मूल पुनर्वि.	408.00 (-) 408.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
4515-103.0702.1391-प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क)	मूल पुनर्वि.	30,000.00 (-) 22,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 22,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुई।
4515-103.0704.7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल पुनर्वि.	30,008.00 (-) 21,112.20	8,895.80	8,895.80	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 21,112.20 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं होने तथा भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-103.0705.1391-प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क)	मूल पुनर्वि.	20,000.00 (-) 14,741.00	5,259.00	5,259.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 14,741.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4515-800.0101.7251- विकास भवन	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 169.26	30.74	30.74	0.00	₹ 169.26 लाख (समर्पण ₹ 149.26 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 20.00 लाख) की प्रत्याशित बचत मांग में कमी तथा डी.डी.ओ. द्वारा राशि के आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई।

- (8) समर्पण स्वीकृति क्र. 1815/बजट/22/आर.ई.एस./वी-3/बजट/2025 भोपाल, दिनांक 31.03.2025 राशि ₹ 92,07,93,323/- को निर्धारित तिथि 07.05.2025 उपरांत दिनांक 25.07.2025 को प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

(मुख्य शीर्ष— 2401—फसल कृषि कर्म, 2405—मछली उद्योग, 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3451—सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 5475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	3,71,40,34			
पूरक	2	3,71,40,36	3,36,58,48	(-) 34,81,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				32,82,46

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	2,00			
पूरक	0	2,00	0	(-) 2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	6,09,49,10			
पूरक	8,00,00	6,17,49,10	5,65,66,08	(-) 51,83,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				44,22,98

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 0.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 3,481.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 3,282.46 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3451-101.0101.7613- प्रदेश में क्रियान्वित योजनाओं एवं परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, सलाहकार सेवाएँ, नवाचार, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मूल पुनर्वि.	1,647.00 (-) 797.38	849.62	849.61	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 797.38 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3451-101.3686- राज्य नीति आयोग	मूल पुनर्वि.	666.91 (-) 327.95	338.96	338.96	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 327.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3454-02.001.8048- आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	मूल पुनर्वि.	7,557.59 (-) 1,532.78	6,024.81	6,025.45	+ 0.64	₹ 1,532.78 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 1,581.68 लाख की कमी (समर्पण ₹ 1,532.78 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 48.90 लाख) तथा ₹ 48.90 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वेतन भुगतान, स्थायी कर्मचारियों के भत्ते तथा बिजली बिल एवं मजदूरी के भुगतान के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.001.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 77.69	22.31	22.31	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 77.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3454-02.201.0512-राज्य सैंपल सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	106.00 (-) 97.87	8.13	8.13	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 97.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3454-02.205.0101.9584-डाटा सुदृढीकरण योजना	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की बचत वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान की बचत हुई थी।
3454-02.205.9983-राज्य सांख्यिकी आयोग	मूल पुनर्वि.	296.85 (-) 167.44	129.41	129.38	(-) 0.03	₹ 167.44 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 179.17 लाख की कमी (समर्पण ₹ 167.44 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 11.73 लाख) तथा ₹ 11.73 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि अध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय तथा दो कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 800.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 5,183.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 4,422.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01.102.1501.2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पूरक	0.01 800.00	800.01	239.97	(-) 560.04	बचत मांग में कमी तथा कम समय अवधि होने पर कम व्यय के कारण हुई।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4515-103.0101.6378- जन भागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल पुनर्वि.	1,586.00 (-) 1,153.35	432.65	432.65	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,153.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4515-103.0102.6378- जन भागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल पुनर्वि.	598.00 (-) 174.79	423.21	423.21	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 174.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4515-103.0103.6378- जन भागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल पुनर्वि.	416.00 (-) 111.09	304.91	304.91	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 111.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
5475-112.0101.9584- डाटा सुदृढीकरण योजना	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान का अप्रयुक्त रहना वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क

(मुख्य शीर्ष—2013—मंत्रिपरिषद, 2015—निर्वाचन, 2029—भू-राजस्व, 2039—राज्य उत्पाद शुल्क, 2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2041—वाहन कर, 2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2051—लोक सेवा आयोग, 2052—सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053—जिला प्रशासन, 2054—खजाना और लेखा प्रशासन, 2055—पुलिस, 2056—जेल, 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075—विविध सामान्य सेवाएं, 2202—सामान्य शिक्षा, 2203—तकनीकी शिक्षा, 2205—कला एवं संस्कृति, 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2215—जल पूर्ति तथा सफाई, 2217—शहरी विकास, 2220—सूचना तथा प्रचार, 2225—अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230—श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251—सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2401—फसल कृषि कर्म, 2403—पशु पालन, 2405—मछली उद्योग, 2406—वानिकी तथा वन्य जीवन, 2425—सहकारिता, 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2701—मध्यम सिंचाई, 2702—लघु सिंचाई, 2810—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852—उद्योग, 3054—सड़क तथा सेतु, 3452—पर्यटन, 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4220—सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,31,36,67			
पूरक	0	7,31,36,67	7,15,43,52	(-) 15,93,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				15,57,13

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				1,00

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,70,03			
पूरक	0	4,70,03	2,96,50	(-) 1,73,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				1,73,53

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 1,593.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,557.13 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) ₹ 1,593.15 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 173.53 लाख की सम्पूर्ण बचत 28 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4220-60.101.0101.0684- कार्यालय भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 170.32	129.68	129.68	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 170.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य

(मुख्य शीर्ष—2202—सामान्य शिक्षा, 2225—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,07,60,74,67	1,10,85,04,70	92,29,88,95	(-) 18,55,15,75
पूरक	3,24,30,03			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				18,37,65,81

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	9,00	9,00	2,00	(-) 7,00
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	18,92,52,56	18,92,52,56	14,87,41,05	(-) 4,05,11,51
पूरक	सांकेतिक			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				4,05,11,51

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में (₹ 24,130.03 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 8,300.00 लाख) में प्राप्त ₹ 32,430.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,85,515.75 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,83,765.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.2773- प्राथमिक शालाएं	मूल पुनर्वि.	4,02,397.60 (-) 42,063.40	3,60,334.20	3,60,334.11	(-) 0.09	₹ 42,063.40 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में ₹ 49,000.96 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,937.56 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, जिलों द्वारा आहरण नहीं करने तथा टी.ए. बिल्स प्राप्त नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता एवं अतिथि शिक्षकों को मानदेय के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.3496- माध्यमिक शालाएं	मूल पुनर्वि.	2,55,256.18 (-) 35,199.74	2,20,056.44	2,20,056.44	0.00	₹ 35,199.74 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 40,137.75 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 2,654.01 लाख + समर्पण ₹ 37,483.74 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,938.01 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, जिलों द्वारा आहरण नहीं करने तथा टी.ए. बिल्स प्राप्त नहीं होने तथा 11-001 एवं 11-003 से वेतन भुगतान के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.001.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	7,196.98 (-) 1,621.99	5,574.99	5,559.51	(-) 15.48	समर्पण के रूप में ₹ 1,621.99 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने तथा जिलों द्वारा आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.001.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	250.00 (-) 131.72	118.28	68.28	(-) 50.00	समर्पण के रूप में ₹ 131.72 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01.001.0103.2304- निर्देशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	404.26 (-) 184.95	219.31	183.66	(-) 35.65	₹ 184.95 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 164.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 20.00 लाख) वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहरण नहीं होने तथा शेष अवधि में व्यय संभव नहीं होने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2225-02.001.0102.1481- जिला प्रशासन	मूल पुनर्वि.	12,129.85 (-) 2,744.71	9,385.14	9,384.71	(-) 0.43	₹ 2,744.71 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2,870.59 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 25.88 लाख + समर्पण ₹ 2,844.71 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 125.88 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, वित्त विभाग से 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने तथा जिलों द्वारा आहरण नहीं किये जाने के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2225-02.102.0102.2324- आकांक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	1,041.90 (-) 710.38	331.52	331.52	0.00	₹ 710.38 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 871.36 लाख की कमी (समर्पण ₹ 600.03 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 271.33 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 160.98 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, वित्त विभाग से 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने, तिमाही व्यय सीमा कम होने तथा जिलों एवं डी.डी.ओ. द्वारा आहरण नहीं किये जाने के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता, कोचिंग संस्थानों को पिछले वर्ष एवं इस वर्ष के परिवहन शुल्क का भुगतान के लिए तथा पूर्व में इस बजट में केवल सांकेतिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-02.102.0102.4719- अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 46.82	3.18	3.18	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 46.82 लाख की प्रत्याशित बचत 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं होने तथा जिलों से पुनर्वास प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.7826- कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन योजना	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में समपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.8808- सूचना एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	510.00 (-) 290.83	219.17	219.17	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 290.83 लाख की प्रत्याशित बचत 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं होने तथा जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.9604- अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	6,000.00 (-) 5,520.00	480.00	480.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,520.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0802.6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 5,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में समपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केंद्र सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.190.0102.7660- कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में समपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत मांग नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-02.190.0102.9855- वन्द्या प्रकाशन	मूल पुनर्वि.	538.00 (-) 473.00	65.00	65.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 473.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.0978- क्रीडा परिसर	मूल पुनर्वि.	1,793.50 (-) 538.05	1,255.45	1255.45	0.00	₹ 538.05 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 544.05 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 6.00 लाख + समर्पण ₹ 538.05 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, वित्त विभाग से 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने, चिकित्सकीय देयकों के प्राप्त नहीं होने तथा विभिन्न भत्तों हेतु उपलब्ध निधि के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.1868- तकनीकी शिक्षा मंडल (मेपसेट)	मूल पुनर्वि.	936.00 (-) 668.60	267.40	267.40	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 668.60 लाख की प्रत्याशित बचत 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने एवं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.2604- मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग	मूल पुनर्वि.	226.76 (-) 69.47	157.29	157.29	0.00	₹ 69.47 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 77.60 लाख की कमी (समर्पण ₹ 69.47 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8.13 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.13 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने, आवश्यकता नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.8805- राज्य शासन अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 व 8)	मूल पुनर्वि.	6,500.00 (-) 717.27	5,782.73	5,782.73	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 717.27 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	151.52 (-) 115.16	36.36	36.36	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 115.16 लाख की प्रत्याशित बचत 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने, व्यय सीमा, जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं करने तथा मांग नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 एवं 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0103.9943- 11 वीं 12 वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु)	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 2,703.08	7,296.92	7,296.92	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,703.08 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2225-02.277.0422.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,059.28 (-) 1,059.28	0.00	0.00	0.00	₹ 1,059.28 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 88.09 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 971.19 लाख) 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने, आवश्यकता नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-02.277.0702.2676-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल पूरक पुनर्वि.	37,500.00 14,730.00 (-) 14,730.00	37,500.00	37,500.05	+ 0.05	समर्पण के रूप में ₹ 14,730.00 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकता न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2225-02.277.0702.6175-छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं	मूल पुनर्वि.	9,375.00 (-) 4,069.94	5,305.06	5,305.06	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,069.94 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0705.6175-छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं	मूल पुनर्वि.	3,125.00 (-) 1,356.65	1,768.35	1,768.35	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,356.65 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.1702.9516-सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,106.04 (-) 1,041.94	64.10	64.10	0.00	₹ 1,041.94 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 447.38 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 594.56 लाख) 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने, आवश्यकता नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.1702.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	151.52 (-) 90.96	60.56	60.56	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 90.96 लाख की प्रत्याशित बचत 20 प्रतिशत राशि जारी नहीं किये जाने तथा अवधि समाप्त हो जाने के कारण जिलों द्वारा आहरण नहीं होने पर हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य- बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-02.800.0602.5211- आई.टी.डी.पी./ माडा पॉकेट/ क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	7,900.00 (-) 6,320.00	1,580.00	0.00	(-) 1,580.00	₹ 6,320.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 5,746.55 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 573.45 लाख) वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0802.3728- अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	3,151.99 (-) 3,001.99	150.00	150.00	0.00	₹ 3,001.99 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 3,110.99 लाख की कमी (पुनर्विनियोजन ₹ 109.00 लाख + समर्पण ₹ 3,001.99 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 109.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः सर्वेक्षण, जांच तथा विस्तृत परियोजना के डिजाइन एवं विकास हेतु उपयुक्त निधि के कारण जबकि वृद्धि अंशतः प्रतिबद्ध दायित्व प्रधानमंत्री जनमन चरण 1 एवं 2 के नए प्रस्ताव 2024-25 तथा जनजातीय गाँवों हेतु आदिवासी गौरव दिवस आई.ई.सी. अभियान के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही शेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-02.102.8011-सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	100.00 99.95	199.95	199.95	0.00	₹ 99.95 लाख का निधि में आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 0.05 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी जिला द्वारा मांग नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुई।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 40,511.51 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-02.102.0802.1396-पी.एम. जनमन बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण योजना	मूल पुनर्वि.	7,500.00 (-) 7,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
4225-02.102.0802.6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 5,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
4225-02.277.0102.0978-क्रीडा परिसर	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-02.277.0102.7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	2,300.00 (-) 2,300.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-02.277.1902.0762-म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	मूल पुनर्वि.	14,400.00 (-) 8,640.71	5,759.29	5,759.29	0.00	₹ 8,640.71 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8,640.21 लाख) नगण्य एवं संभावित बचत के कारण हुई।
4225-02.800.0102.1092-अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं विकास (राज्य सहायित)	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 400.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4225-02.800.0602.5211-आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	18,000.00 (-) 18,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 18,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 14,609.67 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,390.33 लाख) केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-02.800.0802.3728-अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,050.00	450.00	450.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,050.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-02.277.0102.0494-आश्रम	मूल पुनर्वि.	2,000.00 7,528.42	9,528.42	9,528.42	0.00	₹ 7,528.42 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,800.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 1,271.58 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी मांग नहीं होने तथा जिलों, अन्य बी. सी.ओं. एवं विकास एजेंसियों द्वारा व्यय नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-02.277.0102.0495- जूनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	2,000.00 2,909.11	4,909.11	4,909.11	0.00	₹ 2,909.11 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 90.89 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी मांग नहीं होने तथा जिलों, अन्य बी.सी.ओ. एवं विकास एजेंसियों द्वारा व्यय नहीं होने के कारण हुई।
4225-02.800.0102.1032- कार्यालय भवनों के निर्माण/विद्युतीकरण आदि	मूल पुनर्वि.	200.00 698.71	898.71	898.71	0.00	₹ 698.71 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 1.29 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण जबकि कमी नगण्य बचत के कारण हुई।
4225-02.800.0802.1038- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 3,390.33	3,390.33	3,390.33	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,390.33 लाख का निधि में आवर्धन जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निधि की आवश्यकता के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

(मुख्य शीर्ष— 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	45,83,80,34			
पूरक	0	45,83,80,34	44,05,44,88	(-) 1,78,35,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				80,94,62

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में दर्शित व्यय (₹ 44,05,44,88,224) के अंतर्गत दिनांक 26.04.2024 को कुल स्वीकृत ₹ 2,15,83,330 के विरुद्ध आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय की गई राशि ₹ 2,15,83,330 भी शामिल है। वर्ष के दौरान इसकी निधि में प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,20			
पूरक	0	1,20	0	(-) 1,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,20

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	20,06,68			
पूरक	0	20,06,68	0	(-) 20,06,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				6,68

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 17,835.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 8,094.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) ₹ 17,835.46 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 2,006.68 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 6.68 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02.101.0101.1167-परिणाम निधि	मूल	1,240.00	1,240.00	0.00	(-) 1,240.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.101.0102.1167-परिणाम निधि	मूल	440.00	440.00	0.00	(-) 440.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.101.0103.1167-परिणाम निधि	मूल	320.00	320.00	0.00	(-) 320.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(मुख्य शीर्ष—2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	9,69,01,64			
पूरक	15,25,80,00	24,94,81,64	24,60,43,07	(-) 34,38,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)
मूल	20,00,01			
पूरक	0	20,00,01	0	(-) 20,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,29,22,25			
पूरक	0	2,29,22,25	2,10,71,35	(-) 18,50,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 3,438.57 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, (दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 45,000.00 लाख तथा मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 1,07,580.00 लाख) ₹ 1,52,580.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समाप्त

- (2) ₹ 3,438.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) ₹ 3,438.57 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

प्रभारित

- (4) ₹ 2,000.01 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-200.1464-जिला उद्योग केन्द्र	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-) 2,000.00	बचत विनोद मिल प्रकरण में सरकार से भुगतान के संबंध में निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 1,850.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4851-101.0101.6749-भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन सर्विस चार्ज	मूल	400.00	400.00	69.22	(-) 330.78	बचत जिलों से भू-अर्जन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
4851-800.0101.6820-क्लस्टरों की स्थापना	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	बचत एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार से एम.एस.ई-सी.डी.पी. योजना के अंतर्गत किसी भी नई परियोजना को स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

(मुख्य शीर्ष— 2041—वाहन पर कर, 3055—सड़क परिवहन, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,47,62,17			
पूरक	सांकेतिक	1,47,62,17	82,76,03	(-) 64,86,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (29 मार्च 2025)				1,56,11

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	25,00			
पूरक	0	25,00	0	(-) 25,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में))
मूल	21,72,03			
पूरक	21,00,00	42,72,03	40,23,59	(-) 2,48,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (29 मार्च 2025)				2

अनुदान संख्या 36-परिवहन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 6,486.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 29 मार्च 2025 को केवल ₹ 156.11 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल	2,007.34	2,007.34	884.99	(-) 1,122.35	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.50 लाख की समान राशि की वृद्धि एवं कमी हुई। कमी अंशतः वर्ष के दौरान भुगतान नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि आई.पी.एस. अधिकारियों की विभिन्न बीमारियों के लिए चिकित्सकीय देयकों के भुगतान तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2041-001.7638- स्मार्ट कार्ड योजना	मूल	3,000.00	3,000.00	1,628.08	(-) 1,371.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2041-001.8348- राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण	मूल पुनर्वि.	224.92 (-) 156.10	68.82	68.37	(-) 0.45	समर्पण के रूप में ₹ 156.10 लाख की प्रत्याशित बचत चिकित्सकीय देयकों के प्राप्त नहीं होने, अध्यक्ष, चालक तथा आशुलिपिक पदों के रिक्त होने, पूर्व वेतन आयोग अनुसार मंहगाई भत्ते के भुगतान, कर्मचारियों द्वारा चिकित्सकीय अग्रिम, अनाज अग्रिम व त्यौहार अग्रिम नहीं लेने, दैनिक मजदूरी भुगतान नहीं होने, अध्यक्ष प्रभारी जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय के माननीय न्यायाधीश भी हैं, को विभिन्न भत्तों एवं बकाया का भुगतान, फर्नीचर, पत्रिका पेट्रोल, ड्रेस का क्रय नहीं होने, बिजली का बिल, डाक सेवा, लेखन सामग्री, मशीनों तथा बजट, न्यायाधिकरण कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 36-परिवहन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-101.4280-जिला स्थापना	मूल	6,207.15	6,207.15	3,393.06	(-) 2,814.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
3055-003.0801.9910-ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु अनुदान	मूल	200.00	200.00	48.00	(-) 152.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3055-004.0701.8858-सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फंड)	मूल	150.00	150.00	0.00	(-) 150.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3055-004.9845-ग्रामीण परिवहन नीति का क्रियान्वयन	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (3) ₹ 25.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-101.4280-जिला स्थापना	मूल	25.00	25.00	0.00	(-) 25.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 248.44 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 2,100.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 248.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 29 मार्च 2025 को केवल ₹ 0.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 36—परिवहन समाप्त

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-80.201.0101.0679- उड़नदस्ता एवं चेकपोस्ट की स्थापना	मूल	1,825.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,825.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	2,100.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,825.00	2,100.00	2,098.47	(-) 1.53	
4059-80.201.0101.7311- कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-80.052.0101.0679- उड़नदस्ता एवं चेकपोस्ट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	100.00 1,825.00	1,925.00	1,920.27	(-) 4.73	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,825.00 लाख का निधि में आवर्धन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गुजरात मॉडल के कार्यान्वयन हेतु उपकरणों के क्रय के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

(मुख्य शीर्ष-3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,30,11,16	1,30,11,16	1,20,95,67	(-) 9,15,49
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				35,92

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1	1	0	(-) 1
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				1

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,52,22,03	2,83,75,83	2,83,53,80	(-) 22,03
पूरक	1,31,53,80			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2025)				22,00

अनुदान संख्या 37—पर्यटन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 915.49 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 मार्च 2025 को केवल ₹ 35.92 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3452-01.101.0701.9639- महिलाओं को पर्यटन स्थल पर सुरक्षा	मूल	527.74	527.74	0.00	(-) 527.74	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)
3452-01.101.0704.9639- महिलाओं को पर्यटन स्थल पर सुरक्षा	मूल	351.83	351.83	0.00	(-) 351.83	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)

पूंजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 22.03 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 13,153.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 22.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 मार्च 2025 को केवल ₹ 22.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) ₹ 22.03 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 38—आयुष

(मुख्य शीर्ष— 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	8,21,42,04			
पूरक	54,31,96	8,75,74,00	7,09,08,63	(-) 1,66,65,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (29 मार्च 2025)				1,21,98,10

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	8,00			
पूरक	0	8,00	0	(-) 8,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (29 मार्च 2025)				8,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	23,96,04			
पूरक	20,00	24,16,04	18,76,84	(-) 5,39,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (29 मार्च 2025)				1,20,48

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 5,431.96 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 16,665.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 29 मार्च 2025 को केवल ₹ 12,198.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.0101.9593- आयुष औषधियों का क्रय	मूल पुनर्वि.	915.00 (-) 461.44	453.56	227.56	(-) 226.00	समर्पण के रूप में ₹ 461.44 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0102.9593- आयुष औषधियों का क्रय	मूल पुनर्वि.	345.00 (-) 125.98	219.02	81.97	(-) 137.05	समर्पण के रूप में ₹ 125.98 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0103.9593- आयुष औषधियों का क्रय	मूल पुनर्वि.	240.00 (-) 134.12	105.88	55.88	(-) 50.00	समर्पण के रूप में ₹ 134.12 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-02.101.0101.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	20,504.89 (-) 4,142.32	16,362.57	15,897.40	(-) 465.17	₹ 4,142.32 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 4,443.32 लाख की कमी (समर्पण ₹ 4,443.32 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 301.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः आधिक्य प्रावधान के कारण हुई जबकि वृद्धि कम प्रावधान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0101.4286- संचालक आयुष एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	1,181.97 (-) 237.35	944.62	776.91	(-) 167.71	₹ 237.35 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 102.35 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 135.00 लाख) अंशतः आधिक्य प्रावधान के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.101.0101.9519- देवारण्य योजना	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 320.00	80.00	0.00	(-) 80.00	₹ 320.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 20.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 300.00 लाख) अंशतः आधिक्य प्रावधान के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.101.0102.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	10,868.94 (-) 1,368.68	9,500.26	9,333.09	(-) 167.17	₹ 1,368.68 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 1,518.68 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम प्रावधान के कारण हुई। समर्पण के रूप में कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.101.0102.9519- देवारण्य योजना	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 169.60	130.40	0.00	(-) 130.40	₹ 169.60 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 19.60 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 150.00 लाख) अंशतः चालू वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	230.00 (-) 106.82	123.18	55.18	(-) 68.00	समर्पण के रूप में ₹ 106.82 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-02.101.0103.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	8,052.22 (-) 642.92	7,409.30	6,552.58	(-) 856.72	₹ 642.92 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 792.92 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। समर्पण के रूप में कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-02.101.0103.9519- देवारण्य योजना	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 170.00	130.00	0.00	(-) 130.00	₹ 170.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 20.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 150.00 लाख) अंशतः चालू वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-02.101.0702.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	1,704.00 914.07 (-) 1,966.07	652.00	652.00	0.00	₹ 1,966.07 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 290.74 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,675.33 लाख) अंशतः प्रावधान में आधिक्य के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.101.0705.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	736.00 568.49 (-) 822.63	481.86	434.67	(-) 47.19	₹ 822.63 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 146.63 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 676.00 लाख) अंशतः प्रावधान में आधिक्य के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.102.0101.4810- होमियोपैथिक औषधालय	मूल पुनर्वि.	2,909.79 (-) 24.56	2,885.23	2,325.96	(-) 559.27	समर्पण के रूप में ₹ 24.56 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-02.103.0101.3613- यूनानी फार्मसी	मूल पुनर्वि.	180.41 (-) 72.59	107.82	86.53	(-) 21.29	समर्पण के रूप में ₹ 72.59 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-02.103.0101.4760- यूनानी अस्पताल एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	1,069.36 (-) 118.55	950.81	935.64	(-) 15.17	₹ 118.55 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 103.55 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 15.00 लाख) अंशतः प्रावधान में आधिक्य के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-02.103.0102.3613- यूनानी फार्मसी	मूल पुनर्वि.	131.14 (-) 74.97	56.17	40.12	(-) 16.05	समर्पण के रूप में ₹ 74.97 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.101.0102.0469- आयुष महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	3,516.05 (-) 391.14	3,124.91	3,065.07	(-) 59.84	₹ 391.14 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 406.14 लाख की कमी (समर्पण ₹ 391.14 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 15.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः आधिक्य प्रावधान के कारण हुई जबकि वृद्धि कम प्रावधान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लेखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0701.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल	4,200.00				₹ 752.57 लाख का निधि में आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 261.43 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,014.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम प्रावधान के कारण हुई। समर्पण के रूप में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	1,184.61				
	पुनर्वि.	752.57	6,137.18	6,137.18	0.00	
2210-02.101.0704.1277- राष्ट्रीय आयुष मिशन	मूल	2,048.00				₹ 741.71 लाख का निधि में आवर्धन समर्पण के रूप में ₹ 174.29 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 916.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम प्रावधान के कारण हुई। समर्पण के रूप में कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	1,301.74				
	पुनर्वि.	741.71	4,091.45	4,091.46	+ 0.01	

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 539.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 29 मार्च 2025 को केवल ₹ 120.48 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.101.0101.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल	594.20				समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	(-) 10.00	584.20	442.02	(-) 142.18	

अनुदान संख्या 38—आयुष समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.101.0101.4286- संचालक आयुष एवं प्रशासन	मूल	1.55				समर्पण के रूप में ₹ 1.50 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	20.00				
	पुनर्वि.	(-) 1.50	20.05	0.00	(-) 20.05	
4210-02.101.0102.0461- आयुष प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल	100.00	100.00	30.00	(-) 70.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.101.0103.0461- आयुष प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल	25.00	25.00	1.00	(-) 24.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.101.0102.0469- आयुष महाविद्यालय	मूल	200.00				समर्पण के रूप में ₹ 57.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	(-) 57.00	143.00	140.00	(-) 3.00	

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

(मुख्य शीर्ष— 2408—खाद्य, भंडारण और भंडागार, 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408—खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 5475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6408—खाद्य भंडारण तथा भंडागार के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	14,96,95,89			
पूरक	10,00,00	15,06,95,89	11,61,38,25	(-) 3,45,57,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				6,97,49

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,85			
पूरक	0	1,85	0	(-) 1,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				60

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	18,70,16			
पूरक	20,00,00,00	20,18,70,16	20,12,32,07	(-) 6,38,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,26,47

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 1,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 34,557.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 697.49 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01.001.0101.1921-मध्यप्रदेश खाद्य आयोग	मूल	171.67	171.67	120.84	(-) 50.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.001.0101.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	61.00	61.00	10.85	(-) 50.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.001.0629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	मूल पुनर्वि.	5,063.69 (-) 11.58	5,052.11	3,768.20	(-) 1,283.91	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.58 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 196.08 लाख की कमी तथा ₹ 184.50 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.101.0101.6627-खाद्यान्न उपार्जन की कंप्यूटराइजेशन परियोजना	मूल	78.74	78.74	34.65	(-) 44.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0101.1370-रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला)	मूल पुनर्वि.	19,840.00 (-) 4,052.58	15,787.42	9,048.08	(-) 6,739.34	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,052.58 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01.102.0101.1387-रसोई गैस सहायता योजना (गैर-उज्जवला)	मूल पुनर्वि.	12,400.00 (-) 1,542.22	10,857.78	8,166.61	(-) 2,691.17	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,542.22 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0101.1504-पैक्स एवं लैम्प्स समितियों के विक्रेताओं के मानदेय हेतु सहायता।	मूल पुनर्वि.	4,402.00 (-) 1,528.02	4,402.00	1,529.97	(-) 2,872.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0102.1370-रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला)	मूल पुनर्वि.	7,040.00 (-) 1,528.02	5,511.98	3,210.61	(-) 2,301.37	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,528.02 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0102.1387-रसोई गैस सहायता योजना (गैर-उज्जवला)	मूल पुनर्वि.	4,400.00 (-) 581.49	3,818.51	2,897.12	(-) 921.39	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 581.49 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0102.1504-पैक्स एवं लैम्प्स समितियों के विक्रेताओं के मानदेय हेतु सहायता।	मूल पुनर्वि.	1,562.00 (-) 1,062.97	1,562.00	603.85	(-) 958.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0103.1370-रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला)	मूल पुनर्वि.	5,120.00 (-) 404.52	4,057.03	2,334.99	(-) 1,722.04	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,062.97 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0103.1387-रसोई गैस सहायता योजना (गैर-उज्जवला)	मूल पुनर्वि.	3,200.00 (-) 404.52	2,795.48	2,107.51	(-) 687.97	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 404.52 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0103.1504-पैक्स एवं लैम्प्स समितियों के विक्रेताओं के मानदेय हेतु सहायता।	मूल पुनर्वि.	1,136.00 (-) 1,039.88	1,136.00	96.12	(-) 1,039.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01.102.0701.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	20,130.00	20,130.00	16,285.40	(-) 3,844.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0701.1466- स्मार्ट पी.डी.एस.	मूल	215.76	215.76	13.90	(-) 201.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0701.7367- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन	मूल	388.01	388.01	0.00	(-) 388.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0702.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	7,590.00	7,590.00	6,182.57	(-) 1,407.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0702.1466- स्मार्ट पी.डी.एस.	मूल	76.56	76.56	4.93	(-) 71.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0703.1466- स्मार्ट पी.डी.एस.	मूल	55.68	55.68	3.59	(-) 52.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0704.1466- स्मार्ट पी.डी.एस.	मूल	143.84	143.84	9.26	(-) 134.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.102.0705.1466- स्मार्ट पी.डी.एस.	मूल	51.04	51.04	3.29	(-) 47.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.800.0801.9253- उपभोक्ता जागरूकता कल्याण योजना	मूल	80.02	80.02	0.00	(-) 80.02	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-02.190.0101.1275- वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति, 2012 के अंतर्गत अनुदान	मूल	91.50	91.50	0.00	(-) 91.50	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01.102.0706.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	3,520.00	3,520.00	3,916.73	+ 396.73	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2408-01.190.0101.9214- डबल फोर्टीफाईड/ आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	मूल पुनर्वि.	3,660.00 5,594.80	9,254.80	9,254.80	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,594.80 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.190.0102.9214- डबल फोर्टीफाईड/ आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	मूल पुनर्वि.	1,380.00 2,109.51	3,489.51	3,489.51	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,109.51 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2408-01.190.0103.9214- डबल फोर्टीफाईड/ आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	मूल पुनर्वि.	960.00 1,467.49	2,427.49	2,427.49	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,467.49 लाख के निधि में आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 638.09 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 2,00,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 638.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 126.47 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) ₹ 638.09 लाख की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

अनुदान संख्या 40—पंचायत

(मुख्य शीर्ष—2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3604—स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	91,23,14,96			
पूरक	85,00,00	92,08,14,96	69,40,50,03	(-) 22,67,64,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	3			
पूरक	0	3	0	(-) 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 8,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 40—पंचायत जारी

- (2) ₹ 2,26,764.93 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-101.0101.2467-पंचायत संचालनालय	मूल	1,404.90	1,404.90	758.77	(-) 646.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-101.2474-पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित प्रभार	मूल	25,469.48	25,469.48	19,964.29	(-) 5,505.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-196.8391-त्रिस्तरीय पुरस्कार	मूल	1,356.64	1,356.64	0.00	(-) 1,356.64	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2515-197.8391-त्रिस्तरीय पुरस्कार	मूल	511.52	511.52	0.00	(-) 511.52	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2515-198.0701.0647-ग्राम स्वराज अभियान	मूल	6,536.76	6,536.76	2,500.00	(-) 4,036.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.0702.0647-ग्राम स्वराज अभियान	मूल	2,382.04	2,382.04	700.00	(-) 1,682.04	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.0703.0647-ग्राम स्वराज अभियान	मूल	1,698.81	1,698.81	800.00	(-) 898.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2515-198.0704.0647-ग्राम स्वराज अभियान	मूल	4,357.82	4,357.82	1,666.67	(-) 2,691.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—पंचायत समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-198.1302.9638-15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	1,05,743.00	1,05,743.00	21,180.89	(-) 84,562.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.1303.9638-15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	76,904.00	76,904.00	13,038.72	(-) 63,865.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-197.0102.6107-राज्य वित्त आयोग की अनुशांसा पर जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	मूल	92.00	92.00	45.11	(-) 46.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3604-198.0101.4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल	27,900.00	27,900.00	21,898.71	(-) 6,001.29	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3604-198.0101.6602-स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	मूल	61.00	61.00	0.00	(-) 61.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-198.0101.9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	4,898.00	4,898.00	0.00	(-) 4,898.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3604-198.0102.9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	1,738.00	1,738.00	0.00	(-) 1,738.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
3604-198.0103.9611-स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	1,264.00	1,264.00	0.00	(-) 1,264.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 0.03 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 41—प्रवासी भारतीय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष—2852—उद्योग)

राजस्व :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	19,50,34			
पूरक	0	19,50,34	14,29,48	(-) 5,20,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (24 मार्च 2025)				5,20,86

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 520.86 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 24 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-80.800.0101.1951- फ्रेंड्स ऑफ एम.पी. कॉन्क्लेव	मूल पुनर्वि.	1,950.33 (-) 520.85	1,429.48	1,429.48	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 520.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

(मुख्य शीर्ष— 2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,53,89,64			
पूरक	0	1,53,89,64	1,11,20,39	(-) 42,69,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2025)				37,95,31

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,01			
पूरक	0	5,01	0	(-) 5,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2025)				5,01

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,80,60			
पूरक	0	4,80,60	2,20,36	(-) 2,60,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2025)				2,60,24

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

(1) ₹ 4,269.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2025 को केवल ₹ 3,795.31 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पुनर्वि.	14,041.17 (-) 3,506.41	10,534.76	10,084.27	(-) 450.49	₹ 3,506.41 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 134.83 लाख की वृद्धि तथा 3,641.24 लाख की कमी (समर्पण ₹ 3,506.41 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 134.83 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि विभाग के अंतर्गत अधिकारियों के बकाया गैर-पेशेवर भत्ते के भुगतान, आकस्मिक सेवा कर्मियों को मकान किराया भत्ता तथा संविदा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई। समर्पण के रूप में कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2235-02.001.3757- राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में अतिरिक्त अमला	मूल पुनर्वि.	339.61 (-) 176.60	163.01	162.85	(-) 0.16	₹ 176.60 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 181.60 लाख की कमी (समर्पण ₹ 176.60 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5.00 लाख) का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

(3) ₹ 260.24 लाख की सम्पूर्ण बचत 30 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (—) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पुनर्वि.	475.05 (-) 254.69	220.36	220.36	0.00	समर्पण के रूप में 254.69 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023—24, 2022—23 तथा 2021—22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

(मुख्य शीर्ष— 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	2,31,46,43			
पूरक	54,00	2,32,00,43	1,69,36,04	(-) 62,64,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	53			
पूरक	0	53	0	(-) 53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	3,54,94,63			
पूरक	89,26,00	4,44,20,63	3,31,85,34	(-) 1,12,35,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 54.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 6,264.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-103.0101.1361-खेलो एम.पी. यूथ गेम्स	मूल पुनर्वि.	1,280.00 (-) 672.46	607.54	149.70	(-) 457.84	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 672.46 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित देयकों के भुगतान, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने के कारण खेलो एम.पी. यूथ गेम्स का आयोजन नहीं होने पर निधि के अप्रयुक्त होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-103.0101.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	2,243.07 (-) 105.70	2,137.37	1,740.77	(-) 396.60	₹ 105.70 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 0.10 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 105.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन शीर्ष में निधि की कमी के कारण हुई जबकि कमी संचालनालय एवं जिलों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-103.0101.7662-खेलो इंडिया एम.पी.	मूल पुनर्वि.	979.02 (-) 488.81	490.21	0.00	(-) 490.21	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 488.81 लाख की प्रत्याशित बचत खेलो इंडिया शीर्ष के अंतर्गत उच्च तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव तथा परियोजना समीक्षा समिति की बैठक नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-103.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	427.00	427.00	341.60	(-) 85.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-103.0102.1361- खेलो एम.पी. यूथ गेम्स	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 102.80	297.20	29.91	(-) 267.29	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 102.80 लाख की प्रत्याशित बचत उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने के कारण खेलो एम.पी. यूथ गेम्स का आयोजन नहीं होने पर निधि के अप्रयुक्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-103.0102.7662- खेलो इंडिया एम.पी.	मूल पुनर्वि.	362.57 (-) 39.55	323.02	0.00	(-) 323.02	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39.55 लाख की प्रत्याशित बचत खेलो इंडिया शीर्ष के अंतर्गत उच्च तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-103.0103.1361- खेलो एम.पी. यूथ गेम्स	मूल पुनर्वि.	320.00 (-) 83.47	236.53	31.40	(-) 205.13	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 83.47 लाख की प्रत्याशित बचत उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने के कारण खेलो एम.पी. यूथ गेम्स का आयोजन नहीं होने पर निधि के अप्रयुक्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-103.0103.7662- खेलो इंडिया एम.पी.	मूल पुनर्वि.	257.53 (-) 27.51	230.02	0.00	(-) 230.02	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27.51 लाख की प्रत्याशित बचत खेलो इंडिया शीर्ष के अंतर्गत उच्च तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0101.6239- खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री	मूल	205.00	205.00	149.73	(-) 55.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2204-800.0101.9044- मां तुझे प्रणाम	मूल	183.00	183.00	85.84	(-) 97.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0102.8840- खिलाडियों को प्रोत्साहन	मूल	1,109.40	1,109.40	748.89	(-) 360.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0102.9044- मां तुझे प्रणाम	मूल	69.00	69.00	22.05	(-) 46.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2204-800.0103.8840- खिलाडियों को प्रोत्साहन	मूल	710.45	710.45	437.00	(-) 273.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः
प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0101.6703- स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	मूल पुनर्वि.	400.00 262.54	662.54	612.01	(-) 50.53	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 262.54 लाख का निधि में आवर्धन खेल मैदानों के समतलीकरण, लैंडस्केपिंग, नई घास के रोपण तथा मिट्टी भरने सम्बन्धी कार्य के लंबित देयकों, लकड़ी के कोर्ट का निर्माण, सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट, मेला क्षेत्र विस्तार तथा जिलों में नए स्टेडियम में फ्लैग मास्ट, टेरापलेक्स जिम फ्लोरिंग के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2204-800.0102.4938- युवा संधि को अनुदान	मूल पुनर्वि.	250.74 211.25	461.99	423.02	(-) 38.97	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 211.25 लाख का निधि में आवर्धन संविदा ग्रामीण युवा समन्वयक को मानदेय के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण जारी

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 8,926.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 11,235.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.102.0101.7662-खेलो इंडिया एम.पी.	पूरक	8,926.00	8,926.00	0.00	(-) 8,926.00	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,926.00 लाख के सामान राशि की वृद्धि तथा कमी हुई। वृद्धि वित्त विभाग के सुझाव अनुसार खेलो इंडिया मध्य प्रदेश योजना के अंतर्गत भूमि एवं भवनों के क्रय/अधिग्रहण के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.800.0102.6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,576.92 (-) 700.00	1,876.92	1,502.10	(-) 374.82	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की प्रत्याशित बचत न्यू बरखेड़ा, भोपाल में निर्माण कार्य पूर्ण होने तक नए उपकरणों की खरीद एवं स्थापना नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4202-03.800.0103.6703-स्टेडियम एवं खेल अवसंरचना का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,792.64 (-) 400.00	1,392.64	1,072.87	(-) 319.77	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण समाप्त

- (8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.003.0102.7662- खेलो इंडिया एम.पी.	मूल पुनर्वि.	3,560.00 700.00	4,260.00	4,260.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख का निधि में आवर्धन प्रावधान में ₹ 504.00 लाख की कमी तथा ₹ 1,204.00 लाख की वृद्धि के कारण हुआ। कमी निर्माण कार्य पूर्ण होने तक नए उपकरणों की खरीद एवं स्थापना नहीं होने तथा निधि की मांग के कारण हुई जबकि वृद्धि निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा नाथू बरखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत चरण-1 तथा चरण-2 के निर्माण कार्य के कारण हुई।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

(मुख्य शीर्ष— 2202—सामान्य शिक्षा, 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 6202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	32,47,20,19			
पूरक	34,59,00	32,81,79,19	24,81,68,93	(-) 8,00,10,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,92,44,40

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में दर्शित व्यय (₹ 24,81,68,93,095) के अंतर्गत दिनांक 14-08-2024 को कुल स्वीकृत ₹ 9,00,00,000 की आकस्मिकता निधि से व्यय की गई राशि ₹ 9,00,00,000 भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसकी निधि में प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	35,00			
पूरक	0	35,00	25	(-) 34,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				34,75

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	6,18,92,54			
पूरक	1,10,43,00	7,29,35,54	4,85,74,58	(-) 2,43,60,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,42,17,81

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	0			
पूरक	14,37	14,37	14,37	0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त 3,459.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 80,010.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 79,244.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.001.0701.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	पूरक पुनर्वि.	783.00 (-) 716.00	67.00	35.81	(-) 31.19	समर्पण के रूप में ₹ 716.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-03.001.0702.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	पूरक पुनर्वि.	205.00 (-) 186.75	18.25	11.95	(-) 6.30	समर्पण के रूप में ₹ 186.75 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-03.001.0703.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	पूरक पुनर्वि.	295.00 (-) 282.25	12.75	5.75	(-) 7.00	समर्पण के रूप में ₹ 282.25 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.001.0704.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	पूरक पुनर्वि.	522.00 (-) 522.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई।
2202-03.001.0705.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	पूरक पुनर्वि.	136.00 (-) 136.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई।
2202-03.001.0706.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	पूरक पुनर्वि.	195.00 (-) 195.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई।
2202-03.001.0801.1041- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान— पी.एम.ऊषा (एम. ई.ई.व आर.)	पूरक पुनर्वि.	213.50 (-) 202.16	11.34	11.34	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 202.16 लाख की प्रत्याशित बचत अनुपूरक में प्रावधान तथा नई योजना के कारण हुई।
2202-03.001.0803.1041- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान— पी.एम.ऊषा (एम. ई.ई.व आर.)	पूरक पुनर्वि.	56.00 (-) 56.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अनुपूरक में प्रावधान तथा नई योजना के कारण हुई।
2202-03.103.0101.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	1,45,025.63 (-) 38,523.24	1,06,502.39	1,06,402.30	(-) 100.09	₹ 38,523.24 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 378.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 38,901.24 लाख की कमी (समर्पण ₹ 38,606.24 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 295.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सकीय प्रकरणों के भुगतान, वकीलों को शुल्क भुगतान, ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन तथा संविदा आउटसोर्स कर्मियों को श्रम शुल्क के कारण हुई जबकि कमी संभावित बचत तथा डी.डी. ओ. द्वारा राशि के आहरण नहीं करने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.5765- प्रयोगशाला का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	810.00 (-) 459.10	350.90	350.90	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 459.10 लाख की प्रत्याशित बचत असामयिक आवंटन प्रक्रिया तथा राशि जारी नहीं होने के कारण हुई।
2202-03.103.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,350.00 (-) 600.00	750.00	474.64	(-) 275.36	समर्पण के रूप में ₹ 600.00 लाख की प्रत्याशित बचत डी.डी.ओ. एवं सम्बंधित एजेंसियों के द्वारा संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0102.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	55,995.95 (-) 13,542.95	42,453.00	42,452.51	(-) 0.49	₹ 13,542.95 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 140.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 13,682.95 लाख की कमी (समर्पण ₹ 13,542.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 140.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि संविदा आउटसोर्स कर्मियों को श्रम शुल्क के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी वेतन भत्ते में संभावित व्यय नहीं होने तथा डी.डी.ओ. द्वारा कार्यालय शीर्ष में आहरण नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2202-03.103.0102.4699- छात्रों के लिए पुस्तकें/स्टेशनरी आदि का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	3,890.12 (-) 1,103.00	2,787.12	2,786.37	(-) 0.75	समर्पण के रूप में ₹ 1,103.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0102.6916- गाँव की बेंटी योजना	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 1,150.00	850.00	848.36	(-) 1.64	समर्पण के रूप में ₹ 1,150.00 लाख की प्रत्याशित बचत छात्रों को पात्रतानुसार भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0102.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	78.00 (-) 78.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा बजट जारी नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0103.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	37,768.98 (-) 9,338.71	28,430.27	28,429.68	(-) 0.59	₹ 9,338.71 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 9,428.71 लाख की कमी (समर्पण ₹ 9,338.71 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 90.00 लाख) का निवल प्रभाव था। वृद्धि संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को मजदूरी शुल्क भुगतान के कारण हुई जबकि कमी वास्तविक व्यय के आधार, वेतन भत्ते में संभावित व्यय नहीं होने तथा डी.डी.ओ. द्वारा कार्यालय शीर्ष में आहरण नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0103.4699- छात्रों के लिए पुस्तकें/ स्टेशनरी आदि का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	4,106.22 (-) 1,507.00	2,599.22	2,598.42	(-) 0.80	समर्पण के रूप में ₹ 1,507.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0103.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	62.00 (-) 62.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा बजट जारी नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0801.1051- ए.आई.एस.एच.ई. (अखिल भारतीय सर्वेक्षण उच्च शिक्षा)	पूरक पुनर्वि.	73.00 (-) 73.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अनुपूरक में प्रावधान तथा नई योजना के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.1201.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	4,850.20 (-) 1,889.02	2,961.18	2,919.58	(-) 41.60	समर्पण के रूप में ₹ 1,889.02 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.1202.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	1,684.60 (-) 1,144.34	540.26	485.86	(-) 54.40	समर्पण के रूप में ₹ 1,144.34 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0102.3444- अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 2,259.95	740.05	740.05	0.00	₹ 2,259.95 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2,229.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 30.00 लाख) अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हेतु सातवें वेतन आयोग का आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.0744- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना	मूल	175.01	276.23	276.23	0.00	₹ 101.22 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 98.78 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पात्र छात्रों की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई जबकि कमी पात्र छात्रों को भुगतान के कारण हुई।
	पुनर्वि.	101.22				
2202-03.103.0101.5476- प्रतिभा किरण योजना	मूल	200.00	300.00	299.00	(-) 1.00	₹ 100.00 लाख का निधि में आवर्धन पात्र छात्रों को भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पुनर्वि.	100.00				

प्रभारित

- (5) ₹ 34.75 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल	35.00	0.25	0.25	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 34.75 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन भत्ते में संभावित व्यय नहीं होने तथा डी. डी.ओ. द्वारा कार्यालय शीर्ष में आहरण नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-) 34.75				

पूँजीगत :

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 11,043.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

- (8) ₹ 24,360.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 24,217.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.0101.1438- प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना (राज्य पोषित)	मूल पुनर्वि.	3,000.03 (-) 2,074.92	925.11	925.10	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 2,074.92 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0101.6938- अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल को ब्लॉक ग्रांट	मूल पुनर्वि.	447.00 (-) 447.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0101.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	100.01 (-) 100.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।
4202-01.203.0102.9574- शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	90.01 (-) 90.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।
4202-01.203.0701.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	5,752.58 (-) 5,034.61	717.97	713.46	(-) 4.51	समर्पण के रूप में ₹ 5,034.61 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0702.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	2,197.20 (-) 2,188.91	8.29	8.29	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,188.91 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई।
4202-01.203.0703.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	2,502.40 (-) 2,411.48	90.92	90.92	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,411.48 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.0704.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	3,493.60 (-) 3,493.60	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0705.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	864.80 (-) 864.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संभावित व्यय नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.1202.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पूरक पुनर्वि.	3,629.80 5,352.00 (-) 3,672.30	5,309.50	5,309.50	0.00	₹ 3,672.30 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2,872.30 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 800.00 लाख) संभावित व्यय नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.1203.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पूरक पुनर्वि.	2,590.00 2,886.00 (-) 2,847.50	2,628.50	2,628.50	0.00	₹ 2,847.50 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,847.50 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,000.00 लाख) संभावित व्यय नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.800.1202.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	261.60 (-) 237.96	23.64	23.64	0.00	₹ 237.96 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 37.96 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 200.00 लाख) संभावित व्यय नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—लोक परिसंपत्ति प्रबंधन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष— 2029—भू—राजस्व, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,56,82			
पूरक	0	5,56,82	54,47	(-) 5,02,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	26,03,22			
पूरक	0	26,03,22	19,97,75	(-) 6,05,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 502.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-104.0101.3837- परिसमापक की परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान	मूल	400.00	400.00	0.00	(-) 400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023–24 तथा 2022–23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-104.0101.9549- म.प्र. राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को सहायता	मूल	130.00	130.00	53.60	(-) 76.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023–24 तथा 2022–23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—लोक परिसंपत्ति प्रबंधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-104.7656- मुख्यालय स्थापना	मूल	26.80	26.80	0.87	(-) 25.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

- (3) ₹ 605.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-80.051.7875- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को सौंपी गई संपत्तियों का विकास कार्य	मूल	600.00	600.00	0.00	(-) 600.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(मुख्य शीर्ष— 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 5425—अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	2,58,28,51			
पूरक	0	2,58,28,51	2,10,07,92	(-) 48,20,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				48,20,59

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	0	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	2,14,00,13			
पूरक	0	2,14,00,13	1,45,59,98	(-) 68,40,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				68,40,15

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

(1) ₹ 4,820.59 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3425-60.200.0101.0144- अनुसंधान, योजना तथा विकासीय गतिविधियां	मूल पुनर्वि.	1,615.00 (-) 323.00	1,292.00	1,292.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 323.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत राशि हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
3425-60.200.0102.0144- अनुसंधान, योजना तथा विकासीय गतिविधियां	मूल पुनर्वि.	545.00 (-) 109.00	436.00	436.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 109.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत राशि हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
3425-60.600.0101.5125- मध्यप्रदेश स्टेट स्पेटियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (एम पी एस एस डी आई)	मूल पुनर्वि.	820.00 (-) 196.00	624.00	624.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 196.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
3425-60.600.0101.5818- स्टेट डाटा सेंटर का उन्नयन, परिचालन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	1,501.00 (-) 260.20	1,240.80	1,240.80	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 260.20 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत राशि हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
3425-60.600.0101.6874- स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,491.12 (-) 438.22	2,052.90	2,052.90	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 438.22 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत राशि हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
3425-60.600.0101.7257- राज्य आई.टी. संवर्ग परामर्श सेवाओं हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,505.00 (-) 827.40	1,677.60	1,677.60	0.00	₹ 827.40 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 393.45 लाख + समर्पण ₹ 433.95 लाख) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3425-60.600.0101.7614-आर सी बी सी/डी ई जी एस/एन आई सी आदि केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	4,033.00 (-) 1,270.60	2,762.40	2,762.40	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,270.60 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
3425-60.600.0101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	682.17 (-) 214.85	467.32	467.32	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 214.85 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
3425-60.600.0102.7257-राज्य आई.टी. संवर्ग परामर्श सेवाओं हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	795.00 (-) 261.40	533.60	533.60	0.00	₹ 261.40 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 148.35 लाख + समर्पण ₹ 113.05 लाख) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
3425-60.600.0103.7257-राज्य आई.टी. संवर्ग परामर्श सेवाओं हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 236.00	464.00	464.00	0.00	₹ 236.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 103.20 लाख + समर्पण ₹ 132.80 लाख) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3425-60.200.2522-परिषद् की स्थापना तथा विश्वविद्यालय मेडिकल तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अधोसंरचना	मूल पुनर्वि.	0.02 199.98	200.00	200.00	0.00	प्रावधान में ₹ 199.98 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 0.02 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी कम प्रावधान के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 6,840.15 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाप्त

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5425-600.0101.5525- विज्ञान पार्क की स्थापना	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
5425-600.0101.7062- प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना	मूल पुनर्वि.	6,527.02 (-) 1,305.42	5,221.60	5,221.60	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,305.42 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
5425-600.0101.7615- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,525.00 (-) 1,525.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,525.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
5425-600.0102.7062- प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,461.02 (-) 492.22	1,968.80	1,968.80	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 492.22 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
5425-600.0102.7615- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	575.00 (-) 575.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
5425-600.0103.7615- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 400.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
5425-600.0701.1358- म.प्र. बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

(मुख्य शीर्ष—2203—तकनीकी शिक्षा, 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	18,49,19,94			
पूरक	3,01,44,10	21,50,64,04	17,41,53,76	(-) 4,09,10,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में दर्शित व्यय (₹ 17,41,53,75,980) के अंतर्गत दिनांक 17-03-2025 को कुल स्वीकृत ₹ 1,44,10,028 की आकस्मिकता निधि से व्यय की गई राशि ₹ 1,44,10,028 भी शामिल है। वर्ष के दौरान इसकी निधि में प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	4,14	(-) 5,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	8,16,91,51			
पूरक	0	8,16,91,51	3,83,12,17	(-) 4,33,79,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 (₹ 13,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 17,144.10 लाख) में प्राप्त ₹ 30,144.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 40,910.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-104.0101.1538-डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
2203-105.0101.1537-कोडिंग लैब की स्थापना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
2203-105.0101.1539-शासकीय/स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
2203-105.0101.1540-स्टूडेंट ऑफ इनोवेशन फण्ड का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
2203-105.0101.2667-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	15,719.21 (-) 43.75	15,675.46	12,716.89	(-) 2,958.57	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43.75 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 50.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 93.75 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी इस शीर्ष में कम व्यय के कारण जबकि वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। शेष कमी तथा वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-112.0101.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	मूल पुनर्वि.	451.90 (-) 451.90	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
2203-112.0102.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	मूल पुनर्वि.	180.72 (-) 180.72	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-112.0103.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	मूल पुनर्वि.	125.96 (-) 125.96	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-112.0503- इंजीनियरिंग महाविद्यालय	मूल	6,987.03	6,987.03	5,608.04	(-) 1,378.99	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
2230-02.101.0101.0724- जनभागीदारी के आधार पर रोजगार कार्यालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	100.01 (-) 2.00	98.01	0.00	(-) 98.01	₹ 2.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-02.101.0101.7877- म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड	मूल	1,150.00	1,150.00	736.00	(-) 414.00	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
2230-02.101.0801.0644- इंटरलॉकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0101.1868- तकनीकी शिक्षा मंडल (मेपसेट)	मूल	351.00	351.00	0.00	(-) 351.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03.003.0701.2327- संकल्प प्रोजेक्ट	मूल	1,245.00	1,245.00	25.49	(-) 1,219.51	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0704.2327- संकल्प प्रोजेक्ट	मूल	645.01	645.01	0.00	(-) 645.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.1201.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	4,066.11	4,066.11	1,938.68	(-) 2,127.43	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.1202.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	1,407.35	1,407.35	337.64	(-) 1,069.71	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.1203.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	1,084.42	1,084.42	293.01	(-) 791.41	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.101.0801.5392- स्ट्राइव योजना	मूल	400.00	400.00	0.00	(-) 400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.101.0801.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	5,287.35	5,287.35	0.00	(-) 5,287.35	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.101.0802.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	1,664.26	1,664.26	0.00	(-) 1,664.26	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03.101.0803.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	1,704.56	1,704.56	0.00	(-) 1,704.56	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.102.0101.1138- मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना	मूल पुनर्वि.	17,505.00 (-) 7,000.00	10,505.00	4,702.28	(-) 5,802.72	₹ 7,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.102.0102.1138- मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना	मूल पुनर्वि.	7,368.00 (-) 5,000.00	2,368.00	0.00	(-) 2,368.00	₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.102.0103.1138- मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना	मूल पुनर्वि.	5,184.00 (-) 3,000.00	2,184.00	0.00	(-) 2,184.00	₹ 3,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-104.0101.2377- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	मूल पुनर्वि.	500.00 2,171.90	2,671.90	898.57	(-) 1,773.33	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,171.90 लाख के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-104.0102.0820-मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मूल	5,950.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	6,910.00				
	पुनर्वि.	5,000.00	17,860.00	17,860.00	0.00	
2203-104.0102.2377-मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	मूल	150.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.72 लाख के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
	पुनर्वि.	300.72	450.72	330.72	(-) 120.00	
2203-104.0103.2377-मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	मूल	100.00				पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 185.96 लाख के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
	पुनर्वि.	185.96	285.96	225.96	(-) 60.00	

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 43,379.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-02.104.0101.6215-तकनीकी शिक्षा अंतर्गत पूँजीगत परिव्यय	मूल	1,947.76	1,947.76	891.56	(-) 1,056.20	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
4202-02.104.0101.6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल	26,193.44	26,193.44	15,487.88	(-) 10,705.56	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-02.104.0103.6215-तकनीकी शिक्षा अंतर्गत पूँजीगत परिव्यय	मूल	481.15	481.15	157.84	(-) 323.31	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
4202-02.104.0701.2667-पॉलिटेक्निक संस्थाएं	मूल	93.15	93.15	0.00	(-) 93.15	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-02.104.0702.9895- वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में आई.टी. आई./कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना	मूल	140.38	140.38	0.00	(-) 140.38	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-02.104.0704.2667- पॉलिटेक्निक संस्थाएं	मूल	67.80	67.80	0.00	(-) 67.80	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-02.105.0101.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	मूल	1,915.76	1,915.76	690.40	(-) 1,225.36	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
4202-02.105.0103.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्ड के अनुसार कमियों की पूर्ति	मूल	561.47	561.47	178.56	(-) 382.91	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.1201.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	24,877.00	24,877.00	11,564.05	(-) 13,312.95	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.1202.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	8,898.11	8,898.11	2,178.55	(-) 6,719.56	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-03.003.1203.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	6,525.14	6,525.14	903.43	(-) 5,621.71	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
4250-201.0102.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	मूल	4,728.41	4,728.41	3,037.68	(-) 1,690.73	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

- (7) समर्पण राशि ₹ 31,59,95,131 स्वीकृति क्र. 874/443921/2025/42-2 भोपाल, दिनांक 01.05.2025, समर्पण राशि ₹ 2,23,43,81,873 स्वीकृति क्र. 866/450449/2025/42-2 भोपाल, दिनांक 01.05.2025 तथा समर्पण राशि ₹ 7,94,75,454 स्वीकृति क्र. 2024/563/230019/2025 भोपाल, दिनांक 23.04.2025 को दिनांक 31.03.2025 पश्चात जारी किये जाने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

(मुख्य शीर्ष— 2055—पुलिस, 2700—मुख्य सिंचाई, 2801—बिजली, 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	3,55,97,29			
पूरक	1,41,90,00	4,97,87,29	4,88,15,16	(-) 9,72,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,24,06

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	59,90,75,97			
पूरक	48,64,50,00	1,08,55,25,97	1,07,36,04,93	(-) 1,19,21,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,15,21,79

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,50,01			
पूरक	0	1,50,01	18,76	(-) 1,31,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,31,25

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 972.13 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 14,190.00 लाख का अनुपूरक अनुदान (दिसंबर 2024 में ₹ 12,500.00 लाख तथा मार्च 2025 में ₹ 1,690.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 972.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 724.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) ₹ 972.13 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (4) ₹ 11,921.04 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 4,86,450.00 लाख का अनुपूरक अनुदान (दिसंबर 2024 में ₹ 2,00,000.00 लाख तथा मार्च 2025 में ₹ 2,86,450.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 11,921.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 11,521.79 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) हालांकि ₹ 11,921.04 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है, निम्नलिखित उप शीर्षों में उल्लेखनीय अंतर देखे गए हैं:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.2428- निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	मूल पुनर्वि.	6,636.79 (-) 1,640.29	4,996.50	5,003.81	+ 7.31	₹ 1,640.29 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में ₹ 1,675.43 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.14 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि वाहन की व्यवस्था हेतु लंबित देयकों के भुगतान तथा अधिवक्ताओं के शुल्क भुगतान के कारण हुई जबकि कमी वास्तविक व्यय के आधार पर हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-43.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,021.11	478.89	481.32	+ 2.43	₹ 1,021.11 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 0.11 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,021.00 लाख) वास्तविक व्यय के आधार, परियोजना हेतु लंबित देयकों के भुगतान तथा आधिक्य बचत प्रावधान के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4700-66.001.0102.5091- लोअर गोई परियोजना	मूल पुनर्वि.	456.26 (-) 136.35	319.91	319.73	(-) 0.18	समर्पण के रूप में ₹ 136.35 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4700-80.001.0101.3115- भू अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पूरक पुनर्वि.	2,200.00 19,975.00 (-) 0.003	22,175.00	32,076.86	+ 9,901.86	समर्पण के रूप में ₹ 0.003 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4700-80.800.0101.1606- संधवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना	मूल पूरक पुनर्वि.	1.00 30,000.00 24,791.00	54,792.00	57,620.91	+ 2,828.91	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,791.00 लाख का निधि में आवर्धन परियोजना हेतु लंबित देयकों के भुगतान, एजेंसी के मोबिलाइजेशन अग्रिम तथा आधिक्य बचत प्रावधान के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4700-80.800.0101.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	320.00 (-) 0.0008	320.00	320.27	+ 0.27	समर्पण के रूप में ₹ 0.0008 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

(7) उचंत लेन—देन:—

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2024—25 के दौरान 'उचंत' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किये गये हैं। 'उचंत' के अंतर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेख की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत की गई हैं। वर्ष 2024—25 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न 'उचंत' उप—शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन—देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंत शेष नामे + जमा(-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				(लाख ₹ में)
(i) भण्डार	+ 13.47	0.00	0.00	+ 13.47
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 3.82	0.00	0.00	(-) 3.82
योग	+ 9.65	0.00	0.00	+ 9.65
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) क्रय	(-) 55.08	0.00	0.00	(-) 55.08
(ii) भण्डार	(-) 2,111.65	0.00	0.00	(-) 2,111.65
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 102.80	0.00	0.00	(-) 102.80
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 258.61	0.00	0.00	(-) 258.61
योग	(-) 2,528.14	0.00	0.00	(-) 2,528.14
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) भण्डार	+ 67.09	0.00	0.00	+ 67.09
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 237.78	0.00	0.00	(-) 237.78
योग	(-) 170.69	0.00	0.00	(-) 170.69

प्रभारित

(8) ₹ 131.25 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास समाप्त

(9) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (—) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.4641- स्थापना (डिक्रीधन)	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-80.800.0102.1831- डिक्री धन का भुगतान	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 31.24	18.76	18.76	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 31.24 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष— 2202—सामान्य शिक्षा, 2225—अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225—अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	21,17,90,64			
पूरक	1,40,00,00	22,57,90,64	13,56,41,35	(-) 9,01,49,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				9,01,49,25

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-) 10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				10,00

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	2,08,85,26			
पूरक	0	2,08,85,26	96,98,64	(-) 1,11,86,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,11,86,62

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 (₹ 9,000.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 5,000.00 लाख) में प्राप्त ₹ 14,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 90,149.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 90,149.25 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01.001.0103.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 1,597.55	402.45	402.45	0.00	₹ 1,597.55 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,097.55 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 500.00 लाख) जिलों में वाहनों का प्रयोग नहीं होने पर राशि का व्यय नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई।
2225-01.001.0103.9545-विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल पुनर्वि.	2,479.50 (-) 884.95	1,594.55	1,594.55	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 884.95 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.190.0103.9606-अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 4,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण-योग्य योजना से छूट प्राप्त नहीं होने पर राशि खर्च नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.196.0103.4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	6,659.49 (-) 2,342.22	4,317.27	4,317.27	0.00	₹ 2,342.22 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 2,141.05 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 201.17 लाख) जिलों द्वारा व्यय नहीं होने तथा संभावित बचत के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01.196.0703.0327- अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	256.55 (-) 256.55	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 256.55 लाख की प्रत्याशित बचत डी.पी. आई के बी.सी.ओ. से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.196.0703.5133- विविध छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	6,272.80 (-) 6,272.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 6,272.80 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से एन.एस.पी. पोर्टल द्वारा 60 प्रतिशत राशि सीधे छात्रों के खाते में अंतरित करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.196.0706.0327- अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	171.04 (-) 171.04	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 171.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.196.0706.5133- विविध छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	4,227.20 (-) 3,466.20	761.00	761.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,466.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (जुलाई 2025)।
2225-01.277.0103.2324- आकांक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 329.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 671.00 लाख) सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर व्यय नहीं होने, योजना के कार्यशील नहीं होने तथा संस्थानों एवं छात्रों की चयन प्रक्रिया के पश्चात संभावित बचत के कारण हुई।
2225-01.277.0103.4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	12,406.93 (-) 2,575.46	9,831.47	9,831.47	0.00	₹ 2,575.46 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 2,775.46 लाख की कमी (समर्पण ₹ 2,575.46 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 200.00 लाख) तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01.277.0103.8829- शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,724.41 (-) 1,293.42	3,430.99	3,430.99	0.00	₹ 1,293.42 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में ₹ 1,464.42 लाख की कमी तथा प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 171.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि मानदेय में वृद्धि के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2225-01.277.0103.8842- विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 307.83	292.17	292.17	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 307.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2225-01.277.0703.7764- पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पुनर्वि.	46,100.00 (-) 46,100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 46,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 44,276.44 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,823.56 लाख) अंशतः भारत सरकार द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से एन.एस.पी. पोर्टल द्वारा 60 प्रतिशत राशि सीधे छात्रों के खाते में अंतरित करने के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.793.0603.2040- सावित्री बाई फूले स्वा सहायता	मूल पुनर्वि.	820.00 (-) 820.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने पर व्यय नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.793.0803.1213- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	मूल पुनर्वि.	12,875.00 (-) 12,875.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने पर व्यय नहीं होने तथा भारत सरकार द्वारा डी.बी. टी. के माध्यम से एन.एस.पी. पोर्टल द्वारा 60 प्रतिशत राशि सीधे छात्रों के खाते में अंतरित करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01.196.0103.3997-विद्यार्थी कल्याण	मूल पुनर्वि.	10.00 40.35	50.35	50.35	0.00	₹ 40.35 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 201.17 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में प्रावधान में ₹ 160.82 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2225-01.196.0103.5902-राज्य शासन अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9 और 10)	मूल पुनर्वि.	184.50 312.45	496.95	496.95	0.00	₹ 312.45 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 450.00 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में प्रावधान में ₹ 137.55 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कक्षा 9 एवं 10 हेतु प्री-मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति में कम बजट प्रावधान के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2225-01.793.0703.5191-अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत	मूल पुनर्वि.	6,750.00 1,823.56	8,573.56	8,811.78	+ 238.22	₹ 1,823.56 लाख का निधि में आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,823.56 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में प्रावधान में ₹ 0.001 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पी.ओ.ए. अधिनियम के अंतर्गत राहत निधि के भुगतान के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (5) ₹ 10.00 लाख के सम्पूर्ण विनियोग की बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01.001.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

(7) ₹ 11,186.62 लाख की सम्पूर्ण बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।

(8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-01.190.0703.3185-म.प्र. अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम	मूल पुनर्वि.	280.00 (-) 280.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
4225-01.277.0103.4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	9,000.00 (-) 2,478.09	6,521.91	6,521.91	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,478.09 लाख की प्रत्याशित बचत पी. आई.यू. द्वारा कम व्यय होने पर व्यय नहीं होने के कारण हुई।
4225-01.800.0103.1096-अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास (राज्य सहायित)	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 492.76	2,507.24	2,507.24	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 492.76 लाख की प्रत्याशित बचत पी. आई.यू. द्वारा कम व्यय होने पर व्यय नहीं होने के कारण हुई।
4225-01.800.0603.4722-अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 3,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-01.800.0803.5635-बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	मूल पुनर्वि.	1,600.00 (-) 1,600.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने पर व्यय नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

(मुख्य शीर्ष— 2401—फसल कृषि कर्म, 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	5,10,79,51			
पूरक	44,00,00	5,54,79,51	3,54,14,77	(-) 2,00,64,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	8,17,97			
पूरक	0	8,17,97	4,61,62	(-) 3,56,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2025 में प्राप्त ₹ 4,400.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 20,064.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-119.0101.2816- फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 850.00	150.00	0.00	(-) 150.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 850.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0103.2816- फसल बीमा योजना	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0101.5153- उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना	मूल	1,000.00	1,000.00	392.67	(-) 607.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2401-119.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	24.40	24.40	0.00	(-) 24.40	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0101.9538- निर्यात प्रोत्साहन योजना	मूल	24.40	24.40	0.00	(-) 24.40	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0102.2816- फसल बीमा योजना	मूल	40.00	40.00	0.00	(-) 40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0102.6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल	63.80	63.80	0.00	(-) 63.80	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-119.0103.6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल	46.40	46.40	0.00	(-) 46.40	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)।
2401-119.0701.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	2,169.00 3,685.00 1,446.00	7,300.00	2,883.18	(-) 4,416.82	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,446.00 लाख का निधि में आवर्धन एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत जारी राशि की आहरण प्रक्रिया के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2401-119.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	258.80 (-) 258.80	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	248.40 (-) 248.40	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0703.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	172.80 (-) 172.80	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0704.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	1,446.00 (-) 1,446.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत जारी राशि की आहरण प्रक्रिया के कारण हुई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-119.0704.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	439.20 (-) 439.20	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0705.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	768.00 (-) 768.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत जारी राशि की आरहण प्रक्रिया के कारण हुई।
2401-119.0705.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	165.60 (-) 165.60	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0706.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	626.00 (-) 626.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत एस.एन.ए. स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत जारी राशि की आरहण प्रक्रिया के कारण हुई।
2401-119.0706.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	115.20 (-) 115.20	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.3902- पौध शाला उद्यान	मूल	14,794.01	14,794.01	9,416.88	(-) 5,377.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-119.0701.7848- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल पुनर्वि.	3,660.00 3,450.00	7,110.01	5,845.13	(-) 1,264.87	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,450.00 लाख का निधि में आवर्धन एस. एन.ए. स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत जारी राशि की आहरण प्रक्रिया के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (5) ₹ 356.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4401-119.0701.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	300.00 200.00	500.00	165.63	(-) 334.37	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख का निधि में आवर्धन एस. एन.ए. स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत जारी राशि की आहरण प्रक्रिया के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
4401-119.0704.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत एस. एन.ए. स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत जारी राशि की आहरण प्रक्रिया के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(मुख्य शीर्ष—2250—अन्य सामाजिक सेवाएँ, 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,15,23,59			
पूरक	0	1,15,23,59	66,27,35	(-) 48,96,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,50			
पूरक	0	1,50	0	(-) 1,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	18,03			
पूरक	0	18,03	6,11	(-) 11,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

(1) ₹ 4,896.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2250-800.0101.2104- बोली आंचलिक भाषा एवं धार्मिक प्रकाशन	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.0101.7227- तीर्थ यात्रा योजना	मूल	5,000.00	5,000.00	3,011.74	(-) 1,988.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.1477- संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना	मूल	147.87	147.87	76.87	(-) 71.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.3611- माफी विभाग	मूल	209.07	209.07	119.53	(-) 89.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2250-800.5415- नदी न्यास	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2250-800.5416- मठ मंदिर सलाहकार समिति	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2250-800.5805- धर्मशालाओं का निर्माण	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.6273- तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की स्थापना	मूल	500.00	500.00	220.00	(-) 280.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2250-800.6292- धार्मिक आस्था के स्थलों का जीर्णोद्धार	मूल	2,500.00	2,500.00	357.57	(-) 2,142.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	25.50	25.50	0.00	(-) 25.50	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

(3) ₹ 11.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4250-800.1477- संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना	मूल	18.03	18.03	6.11	(-) 11.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा

(मुख्य शीर्ष— 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	32,92,10,76			
पूरक	0	32,92,10,76	25,08,04,89	(-) 7,84,05,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	10,01			
पूरक	0	10,01	0	(-) 10,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	16,38,61,28			
पूरक	0	16,38,61,28	13,30,84,46	(-) 3,07,76,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

(1) ₹ 78,405.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा जारी

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.0101.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	1,59,689.00 (-) 4,711.79	1,54,977.21	1,15,985.93	(-) 38,991.28	₹ 4,711.79 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,785.97 लाख की कमी तथा ₹ 1,074.18 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि आवश्यक जरूरतों यथा वेतन, चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति, मशीन के रख-रखाव एवं अन्य के कारण हुई जबकि कमी वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0102.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	44,038.85 10.00	44,048.85	33,515.80	(-) 10,533.05	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख का निधि में आवर्धन आवश्यक जरूरतों यथा वेतन, चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति, मशीन के रख-रखाव एवं अन्य के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-05.105.0101.1542- पी.एम.एस.एस.वाय.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना (राज्य सहायित)	मूल	10,585.83	10,585.83	4,329.19	(-) 6,256.64	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-05.105.0101.7660- कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05.105.0101.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	41,500.25 20.00	41,520.25	34,713.32	(-) 6,806.93	प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का निधि में आवर्धन ₹ 480.00 लाख की कमी तथा पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि आवश्यक जरूरतों यथा वेतन, चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति एवं मशीन के रख-रखाव के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-05.105.0103.1542- पी.एम.एस.एस.वाय.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना (राज्य सहायित)	मूल	625.03	625.03	253.66	(-) 371.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.105.0103.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	6,440.00 (-) 900.00	5,540.00	3,293.51	(-) 2,246.49	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 900.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-05.105.0701.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	मूल	1,304.32	1,304.32	543.79	(-) 760.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-05.105.0704.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	मूल	852.82	852.82	350.30	(-) 502.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा जारी

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05.105.0101.2060-चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में टी.व्ही. चेस्ट विभाग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	500.00 900.00	1,400.00	778.26	(-) 621.74	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 900.00 लाख का निधि में आवर्धन आवश्यक जरूरतों यथा वेतन के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2210-05.105.0527-इंदौर में परिचर्या महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	505.13 484.18	989.31	965.69	(-) 23.62	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 484.18 लाख का निधि में आवर्धन आवश्यक जरूरतों यथा वेतन, चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति, मशीन के रख-रखाव की पूर्ति के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

प्रभारित

- (4) ₹ 10.01 लाख के सम्पूर्ण विनियोग बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.110.0101.1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय	मूल	10.01	10.01	0.00	(-) 10.01	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

दत्तमत

- (6) ₹ 30,776.82 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा जारी

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03.105.0101.1103-रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय (राज्य सहायित)	मूल पुनर्वि.	964.46 (-) 243.46	721.00	432.07	(-) 288.93	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 243.46 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0101.6335-चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	2,525.00 (-) 1,025.00	1,500.00	1,288.64	(-) 211.36	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,025.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0101.7158-चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,368.00 (-) 2,368.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,368.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0101.7280-मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन	मूल	700.01	700.01	0.00	(-) 700.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0101.7296-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	683.50 (-) 283.50	400.00	46.72	(-) 353.28	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 283.50 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0102.7158-चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	874.00 (-) 874.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 874.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03.105.0103.7158- चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	605.00 (-) 605.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 605.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0103.7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	176.00 (-) 176.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 176.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.1136- नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	मूल	915.00	915.00	0.00	(-) 915.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0701.1210- स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट जबलपुर की स्थापना	मूल	5,040.01	5,040.01	0.00	(-) 5,040.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0701.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	मूल	1,920.00	1,920.00	0.00	(-) 1,920.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	1,098.01	1,098.01	0.00	(-) 1,098.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	मूल	1,483.00	1,483.00	0.00	(-) 1,483.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0701.5388- अलाइड हेल्थ सेंटर	मूल	500.01	500.01	0.00	(-) 500.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.7280- मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन	मूल	793.00	793.00	0.00	(-) 793.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03.105.0702.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	1,414.01	1,414.01	0.00	(-) 1,414.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0702.7853- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	मूल	7,300.00	7,300.00	1,632.00	(-) 5,668.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0703.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	1,288.01	1,288.01	0.00	(-) 1,288.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0703.7853- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	मूल	4,800.00	4,800.00	2,768.10	(-) 2,031.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0703.2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	मूल	336.00	336.00	0.00	(-) 336.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0704.2061- एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	4,697.00	4,697.00	0.00	(-) 4,697.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0704.2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	मूल	989.00	989.00	0.00	(-) 989.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0704.6460- चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	15,519.01 (-) 8,333.00	7,186.01	0.00	(-) 7,186.01	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,333.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0704.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	7,339.51 (-) 7,239.03	100.48	0.00	(-) 100.48	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,239.03 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03.105.0705.2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	1,779.00	1,779.00	0.00	(-) 1,779.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0705.6460-चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	मूल	3,479.00	3,479.00	0.00	(-) 3,479.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0705.7853-नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,900.00 (-) 530.00	4,370.00	936.00	(-) 3,434.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 530.00 लाख की प्रत्याशित बचत वर्तमान आवश्यकताओं की व्यवस्था के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0706.2061-एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	मूल	1,232.00	1,232.00	0.00	(-) 1,232.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0706.2064-टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	मूल	224.00	224.00	0.00	(-) 224.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0706.6460-चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	मूल	1,085.00	1,085.00	0.00	(-) 1,085.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0706.7853-नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	मूल	3,200.00	3,200.00	1,804.00	(-) 1,396.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत प्रावधान पर आधिक्य द्वारा मुख्यतः निम्न के अंतर्गत अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03.105.0101.5402-छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	मूल पुनर्वि.	6,100.00 8,333.00	14,433.00	16,813.84	+ 2,380.84	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,333.00 लाख का निधि में आवर्धन नए चिकित्सकीय महाविद्यालयों के निर्माण हेतु देनदारियों की पूर्ति के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03.105.0101.9077- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित)	मूल पुनर्वि.	9,817.00 11,463.99	21,280.99	40,906.51	+ 19,625.52	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,463.99 लाख का निधि में आवर्धन नए चिकित्सकीय महाविद्यालयों के निर्माण हेतु देनदारियों की पूर्ति के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4210-03.105.0701.7853- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	11,800.00 398.00	12,198.00	19,354.03	+ 7,156.03	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 398.00 लाख का निधि में आवर्धन राज्यांश और केन्द्रांश राशि के जमा होने के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 53—अल्प संख्यक कल्याण

(मुख्य शीर्ष—2225—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	16,47,88	16,47,88	10,69,55	(-) 5,78,33
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10	10	0	(-) 10
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,40,03,41	1,40,03,41	18	(-) 1,40,03,23
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 53—अल्प संख्यक कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 578.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-03.800.0101.5180- बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0101.6626- अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	मूल	46.34	46.34	0.00	(-) 46.34	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0101.7237- मध्य प्रदेश हज कमेटी को हज हाउस के निर्माण हेतु अनुदान	मूल	100.00	100.00	80.00	(-) 20.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0801.2676- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.6609- पोस्ट मैट्रिक अल्प संख्यक कन्या छात्रावास	मूल	67.84	67.84	36.64	(-) 31.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.8244- अल्पसंख्यक आयोग	मूल	181.94	181.94	61.54	(-) 120.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.9411- चर्च एवं दरगाह इत्यादि को अनुदान	मूल	60.00	60.00	33.58	(-) 26.42	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—अल्प संख्यक कल्याण समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत

- (3) ₹ 14,003.23 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य- बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-03.277.0701.5617- अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	मूल	8,400.00	8,400.00	0.00	(-) 8,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-03.277.0704.5617- अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	मूल	5,600.00	5,600.00	0.00	(-) 5,600.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(मुख्य शीर्ष—2225 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	14,99,35,22	20,66,69,22	14,03,46,58	(-) 6,63,22,64
पूरक	5,67,34,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,00	1,00	0	(-) 1,00
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	19,61	1,19,61	3,83	(-) 1,15,78
पूरक	1,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 (₹ 18,734.00 लाख) तथा मार्च 2025 (₹ 38,000.00 लाख) में प्राप्त ₹ 56,734.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 54—पिछड़ा वर्ग कल्याण जारी

(2) ₹ 66,322.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-03.001.0101.9918- मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग	मूल	199.63	199.63	68.84	(-) 130.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.001.1474- जिला कार्यालयों की स्थापना	मूल	2,214.40	2,214.40	1,609.49	(-) 604.91	पुनर्विनियोजन द्वारा सामान राशि (₹ 30.00 लाख) की वृद्धि तथा कमी हुई। कमी जिलों से मांग नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि आउटसोर्स कर्मचारियों के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2225-03.001.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पूरक	537.05 10.00	547.05	340.92	(-) 206.13	पुनर्विनियोजन द्वारा सामान राशि (₹ 2.86 लाख) की वृद्धि तथा कमी हुई। कमी वास्तविक व्यय, मांग नहीं होने तथा पद रिक्तियों के कारण जबकि वृद्धि आयुक्त के मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी, गैर-नियमित एन.पी.एस. कर्मियों वेतन/भत्ते तथा आउटसोर्स कर्मियों के देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.0496- आश्रम और छात्रावास	मूल पूरक	649.44 192.00	841.44	441.50	(-) 399.94	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.6175- छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु	मूल	28,800.00	28,800.00	20,562.18	(-) 8,237.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.6890- जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	मूल पूरक	662.89 158.00	820.89	508.94	(-) 311.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—पिछड़ा वर्ग कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-03.277.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	1,230.50	1,230.50	723.87	(-) 506.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.9943- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु)	मूल पूरक	90,000.00 56,000.00	1,46,000.00	1,07,513.39	(-) 38,486.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2225-03.277.0801.2676- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल	20,000.00	20,000.00	6,552.63	(-) 13,447.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.5181- उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	मूल	1,500.00	1,500.00	1,191.30	(-) 308.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0101.9607- पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	मूल	2,000.00	2,000.00	9.35	(-) 1,990.65	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

(4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम है, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(5) ₹ 115.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 54—पिछड़ा वर्ग कल्याण समाप्त

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4225-03.800.0101.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल	11.01				सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
	पूरक	100.00	111.01	0.00	(-) 111.01	

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

(मुख्य शीर्ष— 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236—पोषण, 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	2,62,53,59,23			
पूरक	5,50,01,00	2,68,03,60,23	2,56,34,39,25	(-) 11,69,20,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				11,69,20,80

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	35,00			
पूरक	0	35,00	17,46	(-) 17,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				17,54

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	3,06,39,27			
पूरक	0	3,06,39,27	1,64,75,38	(-) 1,41,63,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,41,63,89

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹ 55,001.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,16,920.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 1,16,920.80 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) ₹ 1,16,920.98 लाख की कुल बचत सम्पूर्ण प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 17.54 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02.001.9041- महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	35.00 (-) 17.54	17.46	17.46	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 17.54 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 14,163.89 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02.102.0701.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पुनर्वि.	5,280.00 (-) 4,752.00	528.00	528.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,752.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02.102.0704.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पुनर्वि.	3,520.00 (-) 3,168.00	352.00	352.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3,168.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.102.0802.0658- आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	मूल पुनर्वि.	4,200.00 (-) 4,200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 4,200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
4235-02.102.1501.7449- सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	540.81 (-) 540.81	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 540.81 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.103.0801.1327- वन स्टॉप सेंटर (मिशन शक्ति-संबल)	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 364.69	35.31	35.31	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 364.69 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.800.0701.5608- महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	72.00 (-) 72.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 72.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.800.0701.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) (मिशन वात्सल्य)	मूल पुनर्वि.	480.00 (-) 480.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 480.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02.800.0704.5608- महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	48.00 (-) 48.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 48.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.800.0704.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) (मिशन वात्सल्य)	मूल पुनर्वि.	320.00 (-) 320.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 320.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग

(मुख्य शीर्ष—2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,51,88,06			
पूरक	0	1,51,88,06	89,34,36	(-) 62,53,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (—) (₹ हजार में)
मूल	70,75			
पूरक	0	70,75	26,42	(-) 44,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत

- (1) ₹ 6,253.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-103.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-103.0101.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	93.00	93.00	19.92	(-) 73.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-103.0102.9545- विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	मूल	33.00	33.00	0.00	(-) 33.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2851-103.0931- केन्द्रीय कार्यालय	मूल	633.54	633.54	372.53	(-) 261.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-103.2542- पर्यवेक्षक कर्मचारीवृन्द (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल	2,127.20	2,127.20	1,097.09	(-) 1,030.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-104.0101.9531- एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-104.0701.1135- प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	183.00	183.00	0.00	(-) 183.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-104.0702.1135-प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	69.00	69.00	0.00	(-) 69.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-104.0703.1135-प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	48.00	48.00	0.00	(-) 48.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-104.0704.1135-प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	122.00	122.00	0.00	(-) 122.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-104.0705.1135-प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	46.00	46.00	0.00	(-) 46.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-104.0706.1135-प्रधानमंत्री विकास (कारीगर) योजना	मूल	32.00	32.00	0.00	(-) 32.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2851-105.0101.5491-कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन, ब्रांड बिल्डिंग एवं विपणन अधोसंरचना	मूल	200.00	200.00	48.00	(-) 152.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2851-105.0101.9531-एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-105.0701.1532-पारंपरिक समूहों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)	मूल	558.00	558.00	0.00	(-) 558.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2851-105.0702.1532-पारंपरिक समूहों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)	मूल	198.00	198.00	0.00	(-) 198.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2851-105.0703.1532-पारंपरिक समूहों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)	मूल	144.00	144.00	0.00	(-) 144.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-105.0704.1532- पारंपरिक समूहों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)	मूल	62.00	62.00	0.00	(-) 62.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2851-105.0705.1532- पारंपरिक समूहों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)	मूल	22.00	22.00	0.00	(-) 22.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2851-105.0706.1532- पारंपरिक समूहों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)	मूल	16.00	16.00	0.00	(-) 16.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
2851-107.0101.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	488.00	488.00	290.57	(-) 197.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0102.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	184.00	184.00	97.14	(-) 86.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0103.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	मूल	128.00	128.00	45.41	(-) 82.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.3778- रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वन	मूल	4,650.70	4,650.70	2,824.63	(-) 1,826.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत

(3) ₹ 44.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग समाप्त

(4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4851-107.0101.6336- रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य	मूल	25.00	25.00	9.89	(-) 15.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24, 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान भी बचत हुई थी।
4851-107.3778- रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वन	मूल	43.50	43.50	16.52	(-) 26.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 57-आनंद

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं)

राजस्व :

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	15,00,02			
पूरक	0	15,00,02	4,32,00	(-) 10,68,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 मार्च 2025)				10,68,02

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

- (1) ₹ 1,068.02 लाख की सम्पूर्ण उपलब्ध बचत 25 मार्च 2025 को अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.1476- आनंदम	मूल पुनर्वि.	1,500.01 (-) 1,068.01	432.00	432.00	0.00	₹ 1,068.01 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्त विभाग द्वारा आहरण पर लगाये गए प्रतिबंध के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान भी बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

आकस्मिकता निधि के अग्रिम से प्राप्त व्यय का अनुदानवार ब्यौरा, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई

अनुदान	मुख्य शीर्ष	खंड	स्वीकृत अग्रिम राशि ₹	स्वीकृति तिथि	अग्रिम से व्यय ₹	अग्रिम की आगामी वर्ष में प्रतिपूर्ति की तिथि
--------	----------------	-----	--------------------------	---------------	------------------	--

---- निरंक ----

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xvi पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक (+) कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)
	(₹ हजार में)		
01. सामान्य प्रशासन			
राजस्व—			
प्रभारित	18,00,00	0	(-) 18,00,00
03. गृह—			
राजस्व—			
दत्तमत	20,38,49	5,22,85	(-) 15,15,64
पूँजीगत—			
दत्तमत	20,00,00	1,21,07	(-) 18,78,93
07. वाणिज्यिक कर			
राजस्व—			
दत्तमत	1	0	(-) 1
08. भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	34,41,00,02	8,64,64,07	(-) 25,76,35,95
09. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा			
राजस्व—			
दत्तमत	39,00,00	0	(-) 39,00,00
10. वन—			
राजस्व—			
दत्तमत	21,76,00	19,02,09	(-) 2,73,91
पूँजीगत—			
दत्तमत	5,10,96,54	12,45,67,86	7,34,71,32
12. ऊर्जा—			
राजस्व—			
दत्तमत	4,60,99,99	0	(-) 4,60,99,99
पूँजीगत—			
दत्तमत	0	10,65,28,75	10,65,28,75

परिशिष्ट-II-जारी

(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ हजार में)			
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी—			
राजस्व—			
दत्तमत	9,00,00,00	0	(-) 9,00,00,00
पूँजीगत—			
दत्तमत	46,60,00	5,09,70,42	4,63,10,42
22. नगरीय विकास एवं आवास—			
राजस्व—			
दत्तमत	4,68,00,04	90,00,02	(-) 3,78,00,02
प्रभारित	0	12,97,54,14	12,97,54,14
पूँजीगत—			
दत्तमत	0	1,86,80,00	1,86,80,00
प्रभारित	0	2,07,18,00	2,07,18,00
23. जल संसाधन—			
राजस्व—			
दत्तमत	2,30,01	0	(-) 2,30,01
24. लोक निर्माण कार्य—			
राजस्व—			
दत्तमत	50,00,00	0	(-) 50,00,00
पूँजीगत—			
दत्तमत	4,04,00,00	29,59,28	(-) 3,74,40,72
25. खनिज साधन—			
राजस्व—			
दत्तमत	63,35,08	29,90,67	(-) 33,44,41
पूँजीगत—			
दत्तमत	20,01	73	(-) 19,28
27. स्कूल शिक्षा—			
राजस्व—			
दत्तमत	41,01,55	24,76,78	(-) 16,24,77
पूँजीगत—			
दत्तमत	4,07,91,36	2,00,11,96	(-) 2,07,79,40
29. विधि और विधायी कार्य—			
राजस्व—			
दत्तमत	4,30,87,81	1,66,55,08	(-) 2,64,32,73

परिशिष्ट-II-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
(₹ हजार में)			
30. ग्रामीण विकास—			
राजस्व—			
दत्तमत	4,81,78,03	2,33,35,02	(-) 2,48,43,01
पूंजीगत—			
दत्तमत	0	13,86,94,34	13,86,94,34
33. जनजातीय कार्य			
राजस्व—			
दत्तमत	13,63,61	0	(-) 13,63,61
पूंजीगत—			
दत्तमत	82,00,01	1,00,88,63	18,88,62
40. पंचायत			
राजस्व—			
दत्तमत	0	8,11,42,00	8,11,42,00
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार—			
राजस्व—			
दत्तमत	21	0	(-) 21
पूंजीगत—			
दत्तमत	(-) 1	0	1
48. नर्मदा घाटी विकास—			
राजस्व—			
दत्तमत	16,85,20	0	(-) 16,85,20
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,45,65,78	0	(-) 1,45,65,78
52. चिकित्सा शिक्षा			
पूंजीगत—			
दत्तमत	2	0	(-) 2
55. महिला एवं बाल विकास			
राजस्व—			
दत्तमत	8,82,75,70	14,71,27,94	5,88,52,24
योग—	89,69,05,46	99,47,11,70	9,78,06,24
राजस्व—			
दत्तमत	73,33,71,75	37,16,16,52	(-) 36,17,55,23
प्रभारित	18,00,00	12,97,54,14	12,79,54,14
पूंजीगत—			
दत्तमत	16,17,33,71	47,26,23,04	31,08,89,33
प्रभारित	0	2,07,18,00	2,07,18,00
योग—			
राजस्व	73,51,71,75	50,13,70,66	(-) 23,38,01,09
पूंजीगत	16,17,33,71	49,33,41,04	33,16,07,33

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/gwalior-i/hi>

